खण्ड-457, अंक-8
शनिवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(11 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	झ-ढ
स्टिंग आपरेशन में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं कतिपय विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध दर्शाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु गठित जांच समिति के सम्बन्ध में सूचना ..	1-3
संसदीय कार्य मंत्री से सम्बन्धित रामपुर प्रकरण तथा अन्य प्रकरणों की जांच समिति में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध ..	3-10
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	10
जनपद लखीमपुर में लखीमपुर शारदानगर रोड के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
जनपद मुरादाबाद की न्याय पंचायत मौढ़ी हजरतपुर में रिजवान गर्ल्स इण्टर कालेज को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11
लखनऊ के महिला डिग्री कालेज के अवकाश प्राप्त कर्मियों के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	11-12
ग्रेटर नोएडा में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	12
सीतापुर में कस्बा मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	12-13
प्रदेश में सरकारी उपेक्षा से उद्योगों के उत्तरांचल पलायन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	13
सेतु निगम खण्ड, आजमगढ़ द्वारा पुलों के निर्माण में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	13-14
लखनऊ की इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी के पार्क के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	14
जनपद बाराबंकी की सिद्धौर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	14
जनपद इलाहाबाद के हण्डिया क्षेत्र की शारदा सहायक नहर में पानी की कमी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	15
दुग्ध इकाई संघ, हरदोई के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना ..	15
जनपद एटा में नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना ..	15-16

विषय	पृष्ठ-संख्या
हाई स्कूल परीक्षा में बहुजन समाज पार्टी के सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना ..	16
जनपद बांदा में मेडिकल कालेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना ..	16
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	16-17
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यक) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	18
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	18
लखनऊ जनपद के बक्शी तालाब क्षेत्र में बीबीपुर ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये आरक्षित भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शीघ्र निर्माण कराने विषयक श्री रमेश पाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ..	18
सरकार के वक्तव्य को तथ्यों के परे आने पर आपत्ति ..	19
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..	19-55
बजट अनुदानों को समेकित रूप से पारित कराने विषयक सुझाव (स्वीकृत) ..	55-56
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान ..	56
अनुदान संख्या--01--आबकारी विभाग ..	56
अनुदान संख्या--02--आवास विभाग ..	56
अनुदान संख्या--03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ..	56
अनुदान संख्या--04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ..	56
अनुदान संख्या--05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) ..	56
अनुदान संख्या--06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ..	56
अनुदान संख्या--07--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	56

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या--08--उद्योग विभाग (मुद्रण एंव लेखन सामग्री)	..	56
अनुदान संख्या--09--ऊर्जा विभाग	..	56
अनुदान संख्या--10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	..	56
अनुदान संख्या--11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	..	56
अनुदान संख्या--12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	..	56
अनुदान संख्या--13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	..	56
अनुदान संख्या--14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	..	56
अनुदान संख्या--15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	..	56
अनुदान संख्या--16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	56
अनुदान संख्या--17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	..	56
अनुदान संख्या--18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	..	56
अनुदान संख्या--19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	..	56
अनुदान संख्या--20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	..	56
अनुदान संख्या--21--खाद्य तथा रसद विभाग	..	56
अनुदान संख्या--22--खेलकूद विभाग	..	56
अनुदान संख्या--23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	..	56
अनुदान संख्या--24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	..	56
अनुदान संख्या--25--गृह विभाग (कारागार)	..	56
अनुदान संख्या--26--गृह विभाग (पुलिस)	..	56
अनुदान संख्या--27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	..	56
अनुदान संख्या--28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	..	56
अनुदान संख्या--30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	..	56
अनुदान संख्या--31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	..	56
अनुदान संख्या--32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	..	56
अनुदान संख्या--33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	..	56
अनुदान संख्या--34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	..	56
अनुदान संख्या--35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	..	56
अनुदान संख्या--36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	..	56

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या--37--नगर विकास विभाग	56
अनुदान संख्या--38--नागरिक उड्डयन विभाग	56
अनुदान संख्या--39--भाषा विभाग	56
अनुदान संख्या--40--नियोजन विभाग	56
अनुदान संख्या--41--निर्वाचन विभाग	56
अनुदान संख्या--42--न्याय विभाग	56
अनुदान संख्या--43--परिवहन विभाग	56
अनुदान संख्या--44--पर्यटन विभाग	56
अनुदान संख्या--45--पर्यावरण विभाग	56
अनुदान संख्या--46--प्रशासनिक सुधार विभाग	56
अनुदान संख्या--47--प्राविधिक शिक्षा विभाग	56
अनुदान संख्या--48--मुस्लिम वक्फ विभाग	56
अनुदान संख्या--49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग	56
अनुदान संख्या--50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	56
अनुदान संख्या--51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	57
अनुदान संख्या--52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	57
अनुदान संख्या--53--[illegible] एकीकरण विभाग	57
अनुदान संख्या--54--लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	57
अनुदान संख्या--55--लोक निर्माण विभाग (भवन)	57
अनुदान संख्या--56--लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	57
अनुदान संख्या--57--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	57
अनुदान संख्या--58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	57
अनुदान संख्या--59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	57
अनुदान संख्या--60--वन विभाग	57
अनुदान संख्या--61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	57
अनुदान संख्या--62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	57
अनुदान संख्या--63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	57
अनुदान संख्या--64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	57
अनुदान संख्या--65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा तथा अल्प बचत आदि)	57
अनुदान संख्या--66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	57

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या--67--विधान परिषद् सचिवालय	..	57
अनुदान संख्या--68--विधान सभा सचिवालय	..	57
अनुदान संख्या--70--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	..	57
अनुदान संख्या--71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	..	57
अनुदान संख्या--72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	..	57
अनुदान संख्या--73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	..	57
अनुदान संख्या--75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	..	57
अनुदान संख्या--76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	57
अनुदान संख्या--77--श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	57
अनुदान संख्या--78--सचिवालय प्रशासन विभाग	..	57
अनुदान संख्या--79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	..	57
अनुदान संख्या--80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	..	57
अनुदान संख्या--81--समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण)	..	57
अनुदान संख्या--82--सतर्कता विभाग	..	57
अनुदान संख्या--83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	..	57
अनुदान संख्या--84--सामान्य प्रशासन विभाग	..	57
अनुदान संख्या--85--सार्वजनिक उद्यम विभाग	..	
अनुदान संख्या--86--सूचना विभाग	..	57
अनुदान संख्या--87--सैनिक कल्याण विभाग	..	57
अनुदान संख्या--88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	..	57
अनुदान संख्या--89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	..	57
अनुदान संख्या--90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	..	57
अनुदान संख्या--91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	57
अनुदान संख्या--92--संस्कृति विभाग	..	57
अनुदान संख्या--95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	..	57
अनुदान संख्या--96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	..	57-58

विषय	पृष्ठ-संख्या
विनियोग विधेयक, 2006 का समय परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	58-59
प्रदेश के विकास हेतु मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापन तथा विधायक निधि का नाम परिवर्तन व धनराशि बढ़ाने का अनुरोध (अस्वीकृत) ..	59
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006----------(पारित) ..	59-68
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	68-69
जनपद चित्रकूट की श्रीमती राम कन्या की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	69-71
प्रदेश में सन् 1977 में मीसा एवं डी0 आई0 आर0 में बन्द राजनैतिक कैदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजनैतिक पेंशन मंत्री का वक्तव्य ..	71-72
जनपद सोनभद्र में भयंकर सूखे को देखते हुए सोन पम्प नहर से घाघरा मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ..	72
जनपद कौशाम्बी में ससुर खदेरी नदी पर अवशेष पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दया राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ..	72-73
जनपद आजमगढ़ स्थित बड़ी सरयू नदी (घाघरा नदी) में डूबते हुये बच्चों को जीवित बचाने वाली 15 वर्षीय कु0 माला पटेल को राष्ट्रीय पदक से पुरस्कृत करने एवं मृत बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	73-74
जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हिस्ट्रीशीटर श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन..	74
समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मार्गों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पत्थर एवं बजरी की आपूर्ति करने वाले क्रेशरों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ..	74-75
जनपद प्रतापगढ़ स्थित अग्निशमन केन्द्रों पर दमकल की गाड़ियों में डीजल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ..	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में पड़े सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ..	76
जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में व्यापार कर से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	76
किसान मजदूर उ0 मा0 विद्यालय गणपतिनगर (दुबिहाँ-नेवादा), जनपद गाजीपुर में नियुक्त अनुमोदित अध्यापकों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	76-77
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत कचरे से बिजली बनाने की योजना का क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ..	77
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड, सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ के भ्रष्टाचार की जांच एवं उनके स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ..	77
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में दो घण्टे भी विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	78
प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग के बन्द होने के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद खाँ द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि, विदेश व्यापार, विपणन एवं निर्यात मंत्री का वक्तव्य ..	78-79
जनपद शाहजहाँपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों से कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	79-80
गोरखपुर में प्रदेश के फुटबाल खिलाड़ियों के लिये छात्रावास प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ..	80-81
फैजाबाद में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अभी तक अवमुक्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ..	81-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में स्टाम्प आयुक्त के निर्देश के बाद स्टाम्प विक्रताओं के हड़ताल पर चले जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री का केवल वक्तव्य ..	83
जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में मानक के अनुरूप कार्य न कराने, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न करने के सम्बन्ध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	84
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ..	84
जनपद चित्रकूट के ग्राम हस्ता में पी0 ए0 सी0 की मौजूदगी में दबंगों द्वारा आतंक मचाये जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	84-85
के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकायों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ..	85
बांदा स्थित केन कैनाल सिस्टम से पानी लेते समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा हो रहे झगड़ों को देखते हुए केन नदी व बागेय नदी को जोड़कर किसानों को पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ..	85-86
गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संस्कृति मंत्री का केवल वक्तव्य ..	86-87
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए छात्रहित में बिजली की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	87-88
नत्थी ..	89-96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--343

अकील्रुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान , श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरियां
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	संत कबीरनगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य, श्री उर्फ गन्नू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद

इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम , श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन पाल बघेल,सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
केलाश, श्री	गाजीपुर
केलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र देव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटेलाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंगबहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर , श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन

प्रति पदेश्वर सभा

दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनुपर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
नरेन्द्र शिशोदिया, श्री — गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल — हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री — पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रभू दयाल, श्री — मेरठ
प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राजू, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी — आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत

मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यदव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान ठाकुर, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर (भदोही)
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती,	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर

राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक , श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
राम हेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद , श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद , श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिवचरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली

शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई" , श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन , श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्री राम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानुपर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) , श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समर पाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल, साहू, श्री	महोबा
सिया राम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल , श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–

श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री),
श्री ख्वाजा हलीम (औद्योगिक विकास मंत्री),
श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री),
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) एवं
श्री अजीत कुमार राजू, (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

स्टिंग आपरेशन में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं कतिपय विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध दर्शाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु गठित जांच समिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

सदन को मुझे एक सूचना देनी है।

दिनांक 15 फरवरी, 2006 को टेलीविजन के चैनल 7 पर सी0 एन0 एन0, आई0 बी0 एन0 एवं डिग द्वारा प्रसारित "नेता बिकता है" नाम स्टिंग आपरेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (तत्कालीन) श्री महबूब अली (ज्योतिबाफूले नगर), भारतीय जनता पार्टी के श्री सोमारू राम सरोज, सदस्य विधान सभा (जौनपुर) एवं बहुजन समाज पार्टी के श्री अनिल कुमार मौर्य सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर) पर लगाये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर अरोपों के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार एवं अन्य कतिपय सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी, 2006 को एक सूचना दी थी जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 17 फरवरी, 2006 के उपवेशन में सदन में चर्चा हुई थी और मैंने उक्त तिथि के उपवेशन में प्रश्नगत प्रकरण की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने की घोषणा की थी जो यथासम्भव विधान सभा के वर्ष 2005 के तृतीय सत्र के सत्रावसान के पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अत: मैं सदन को सूचना दे रहा हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के अन्तर्गत उक्त जांच समिति गठित कर दी है जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यगण नाम-निर्देशित किये गये हैं :--

1--श्री किरन पाल कश्यप, सदस्य, विधान सभा, (मुजफ्फरनगर),

2--श्री छोटे लाल यादव, सदस्य, विधान सभा, (बाराबंकी),

3--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सदस्य, विधान सभा, (इलाहाबाद),

4--डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा, (कुशीनगर),

5--श्री वसीम अहमद सदस्य, विधान सभा, (आजमगढ़),

6--श्री शिव कुमार बेरिया, सदस्य, विधान सभा, (कानपुर देहात),

7--श्री राम स्वरूप सिंह, सदस्य, विधान सभा, (बिजनौर),

8--डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा, (मेरठ),

9--श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा, (जौनपुर),

10--श्री राम नरेश यादव, सदस्य, विधान सभा, (आजमगढ़),

11--डा0 अजय कुमार सदस्य, विधान सभा, (बागपत)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 201 के उप नियमें (1) के अन्तर्गत श्री किरन पाल कश्यप उक्त जांच समिति के सभापति नियुक्त किये गये हैं।

उपर्युक्त जांच समिति के निर्देश-पंद (टर्म्स आफ रिफरेन्स) निम्न प्रकार होंगे :--

समिति का गठन--

(1) दिनांक 15 फरवरी, 2006 को टेलीविजन् के चैनल-7 पर सी0 एन0 एन0, आई0 बी0 एन0 एवं डिग द्वारा प्रसारित "नेता बिकता है" नामक स्टिंग आपरेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी कि सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (तत्कालीन) श्री महबूब अली (ज्योतिबाफूलेनगर), भारतीय जनता पार्टी के श्री सोमारू राम सरोज, सदस्य, विधान सभा (जौनपुर) एवं बहुजन समाज पार्टी के श्री अनिल कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर) पर लगाये गये भष्टाचार के गम्भीर आरोपों के प्रकरण की जांच सम्बन्धी एक समिति होगी।

(2) उपर्युक्त जांच सम्बन्धी समिति में 11 से अनधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे।

समिति के कृत्य--

समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--

(1) दिनांक 15 फरवरी, 2006 को टेलीविजन के चैनल-7 पर सी0 एन0 एन0, आई0 बी0 एन0 एवं डिग द्वारा प्रसारित "नेता बिकता है" नामक स्टिंग आपरेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री महबूब अली (ज्योतिबाफूलेनगर), भारतीय जनता पार्टी के श्री सोमारू राम सरोज, सदस्य विधान सभा (जौनपुर) एवं बहुजन समाज पार्टी के श्री अनिल कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर) पर लगाये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच करेगी।

(2) समिति यह भी जांच करेगी कि आरोपी व्यक्तियों के पास उक्त इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि स्वप्रेरणा से गये थे अथवा उन्हें कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। यदि शिकायत प्राप्त हुई थी तो किसकी ओर से अथवा सम्बन्धित सदस्य ने उन्हें बुलाया था।

(3) समिति प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सी0 डी0 (वीडियो एवं आडियो) की जांच करेगी।

(4) समिति सी0 डी0 की जांच करते समय यह भी देखेगी कि क्या सी0 डी0 जैन्य है अथवा उसमें कुछ अंश घटाये या बढ़ाये गये हैं और सी0 डी0 में आवाज क्या सम्बन्धित विधान सभा सदस्य की ही है।

(5) समिति यह भी देखगी कि क्या सम्बन्धित चैनेल को वर्तमान विधि के अन्तर्गत उक्त कार्य करने का अधिकार प्राप्त था या नहीं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किये जायं।

(6) समिति अपने निष्कर्षों के आधार पर संस्तुति करेगी कि प्रश्नगत प्रकरण में कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।

(7) समिति उसे सन्दर्भित उपर्युक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करेगी तथा यथासम्भव विधान सभा के वर्ष 2005 के तृतीय सत्र के सत्रावसान से पूर्व उक्त जांच पूर्ण करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी।

समिति का अधिकार क्षेत्र :--

समिति का अधिकार क्षेत्र सदन में दिनांक 17 फरवरी, 2006 के उपवेशन में की गयी उक्त घोषणा के अनुरूप होगा।

उपर्युक्त जांच समिति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली,1958 के संगत नियम लागू होंगे। समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री से सम्बन्धित रामपुर प्रकरण तथा अन्य प्रकरणों को जांच समिति में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

अध्यक्ष महोदय, निर्णय का स्वागत है लेकिन सिर्फ जानकारी के लिये जानना चाहूँगा कि एक मामले में आपने निर्णय लिया है लेकिन और भी कुछ मामले हो सकते हैं या हुए हों जिसमें इसी तरह से मीडिया के लोगों ने किसी का चरित्र हनन किया हो, क्या वह इसमें शामिल हो सकते हैं या उसके लिए अलग से...

श्री अध्यक्ष--

उसके लिये अलग से लाना पड़ेगा। आपका जो प्रस्ताव है उस पर विधिक रूप से विचार कर लेते हैं। अगर सम्भव होता है तो कर लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है कारोबार चलाने के लिए दौड़ में आगे बढ़ने के लिए वगैर प्रमाणों के किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना और अगर बहुत किया तो जबानी खण्डन कर देना पूरे देश में चरित्र हनन कर देना यह काफी गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखित सूचना भिजवा दें इसमें जो भी नियमानुसार विधि सम्मत होगा वह करेंगे अगर यह आ सकती है तो जोड़ देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये । क्योंकि यह लोक तंत्र पर जबरदस्त हमला हो रहा है।

*श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इस सदन में हैं उनके सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम इस सदन का है। अगर हम बिल्कुल लाइसेन्स दे देंगे कि किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री को लेकर कुछ भी समाचार पत्रों में निकालते रहो और दो तीन दिन तक बराबर चैनल पर सारे देश के सामने दिखाते रहो तो आखिर इसका कभी तो अन्त होगा। मैं इसके आगे बढ़कर कहता हूँ कि इसका संज्ञान सदन स्वत: ले तभी इसके ऊपर रोक लग सकेगी वरना रोक नहीं लग पायेंगी। हम लोग एक प्रेरणा लेकर राजनीति में आये हैं हमने कोई पाप नहीं किया है। जनता का विश्वास जीतकर यहाँ आए हैं। जनता जिसने हमारे अन्दर विश्वास व्यक्त किया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके बाद अकारण ही हमारा चरित्र हनन होता रहे तो किसको यह अधिकार मिल गया लाइसेन्स मिल गया छूट मिल गई है। उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध रहा नहीं है अच्छा यह होता कि उन्ही के यहाँ इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगती लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसलिये सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व आप पर है कि उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

गम्भीरता इसलिये भी है कि दो चैनल्स में दो दिन बराबर हमारे बारे में कुछ चीजे दिखाई गई और यह कहा गया कि हमारी पत्नी ने 160 गज जमीन पर कब्जा कर लिया, जो जमीन की रजिस्ट्री दिखाई गई वह कब्रिस्तान से तकरीबन दो फर्लांग की दूरी पर है यह जेड0 ए0 की जमीन है। हमारी पत्नी डिग्री कालेज में सीनियर रीडर है उनकी पौने चार लाख रुपये सालाना तनख्वाह है। मेरे पूरे जीवन में बेईमानी का यह पहला मामला है। इल्जाम बहुत बड़ा है हकीकत बहुत छोटी है। जो रजिस्ट्री दिखाई गई है उसके साथ कब्रिस्तान दिखाया गया है और यह कहा गया कि चैनल के पास रजिस्ट्री है लेकिन चैनल यह नहीं बता पा रहा है कि जमीन कहाँ है और कब्रिस्तान की भूमि कहाँ है। कब्रिस्तान और जिसके बाहरी हिस्सों पर लोगों ने कब्जा कर रखा था खोखे, रेत और बजरी की दुकानें थी तो कमेटी ने जिलाधिकारी से और यहाँ के सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर उन दुकानों को हटाया और उनकी जगह नई दुकानें बनवाई। वहां पर माफिया ने कब्जा कर रखा था और वह दुकानों से किराया लेता था लेकिन उन दुकानों को बगैर पैसे के इमारत बनाकर उन्हीं दुकानदारों को देने की कार्यवाही की गई। इमारत बनकर तैयार हो गई है लेकिन दो चैनल्स ने दिखाया कि मेरा कब्रिस्तान पर कब्जा है और यह मेरी इमारत बन रही है। कार्यालय के बारे में कहा गया कि आजम खाँ ने इस कार्यालय का कब्जा किया है जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। चैनेल्स को यह अधिकार भी हो गया कि जो मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है अब यह अधिकार भी हासिल हो गया कि वह राय देंगे ? नहीं।

मान्यवर, नहीं, यह बहुत गम्भीर मामला है। मण्डी समिति के गेस्ट हाउस के बारे में कहा गया कि मैंने वहाँ पर कार्यालय बना लिया है। इसी तरह से दो-तीन और सरकारी जायदादों के बारे में कहा गया है कि मेरा उन पर कब्जा है। मैंने कहा कि अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ तो मुझसे जानने की जरूरत नहीं। अगर पुलिस वाला जाकर चोर से यह पूछे कि तूने चोरी की है तो चोर नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है। हमने कहा कि अगर वक्फ की जमीन पर कब्जा था तो उसके लिये जिलाधिकारी एडिश्नल कमिश्नर होता है उनसे पूछना चाहिये था। अगर मेरा असर उस पर है तो कमिश्नर से पूछना चाहिये था उन पर भी है तो मुख्य सचिव से पूछना चाहिये था। अगर उनसे भी नहीं पूंछ सकते थे और यह सब मेरे असर में है तो फिर लोकतंत्र की व्यवस्था क्या होगी। सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कान्फ्रेन्स की और नक्शा दिखाकर कहा कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं यह जेड0 ए0 की जमीन है, 15 साल पहले हाई कोर्ट से इसका फैसला हो चुका है। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया । मैंने कहा कि मण्डी समिति के गेस्ट हाउस पर अगर मेरा कब्जा है तो उसके बारे में मण्डी समिति के मण्डी डायरेक्टर से पूछा जाना चाहिये था, उसके मंत्री से पूछा जाना चाहिये था, मुख्य सचिव, से पूछा जाना चाहिये था। इसी तरह से उन तमाम सरकारी इमारतों पर मेरा कब्जा दिखाया गया है उसके बारे में सरकारी अफसरों से पूछा जाना चाहिये था, जिलाधिकारी ने प्रेस कान्फ्रेन्स करके सारा रिलीज कर दिया उसके बावजूद भी तीन दिन तक

लगातार बराबर जो जुमले इस्तेमाल किये गये वो इतने टक्साली जुमले थे, इतने गन्दे जुमले थे, बाजारू जुमले थे जो किसी सभ्य समाज में नहीं बोले जा सकते । जिन जुमलों को कभी एक बाप अपनी बेटी के सामने नहीं बोल सकता। एक पति अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल सकता। मान्यवर, कोई इन्तेहा तो होगी। हम से कहा कि हम तो आपसे पूछने आये थे। मैं एयर पोर्ट जा रहा था मेरी कोठी पर रोका गया मेरी गाड़ी को। मेरी गाड़ी पर घूँसे मारे गये। आज भी मेरी गाड़ी पर गड्ढे पड़े हुए हैं। चैनल सेवन मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाकर मेरी गाड़ी में मेरे मुँह में माइक घुसाकर तारों में मुझे फसा कर गिरा कर आधे घंटे की फिल्म बनाना चाहते थे आप मेरे से एयर पोर्ट के दरवाजे पर मुझसे रिएक्शन लेंगे।

मान्यवर, इन्तेहा यह है कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जब दिल्ली में मैं एयर पोर्ट के दरवाजे पर उतरता हूँ तो जैसे किसी अपराधी को घेरा जाता है, किसी आतंकवादी को घेरा जाता है उसी तरह से हमको घेर कर खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम आप किसे लेकर आ रहे है अपने साथ, किसके हाथ में माइक है। क्या चरित्र है इनका ? यह किसी चैनल से मुतअल्लिक है कि नहीं ? ओर इस तरह से मान्यवर, आधे घंटे की फिल्म को यह चैनल हमसे एक मिनट में लेने की कोशिश की जाती है। हम आपसे यह जानना चाहते है कि जब हमने यह कहा कि भइया हमारा इससे मतलब नहीं है तो चैनेल जवाब क्या देता है कि काली करतूत खुल गई आजम खाँ की, सातवें आसमान पर है गुस्सा। मान्यवर, काली करतूत क्या होती है आप भी जानते हैं। क्या चैनल बता सकेगा कि हमारी कौन सी शिकायत इनके सामने आई ? किसने इनसे शिकायत की। मान्यवर बात और देखिये 3 दिन तक बराबर आता रहा रामपुर का नवाब। हम लानत भेजते है इस शब्द पर। यह समाज का सबसे गन्दा शब्द है। माँ की गाली से भी ज्यादा बुरा है हमें नवाब कहलाना गाली है हमारे लिये नवाब कहलाना क्योंकि नवाबों ने अंग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी की। हम नवाब शब्द को अपने लिये जिन्दगी का सबसे अपमानजनक शब्द मानते हैं। तीन दिन तक बराबर दिखाया जाता रहा चैनल पर, हमें नवाब कहकर। हमको नवाब कहा गया। तीन दिन तक हमारा चरित्र हनन किया गया। इसीलिये मैंने सदन में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के नेताओं कोई एक सदस्य आप अपने में से तय कर लें। आप अकेले जाँच करा ले अगर अपने पूरे जीवन में एक बूंद पानी की हराम और नाजायज निकल आये तो मैं सारा जीवन न्यौछावर कर दूँगा। मान्यवर, इसीलिये मैंने कहा था कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो न कोई ईमानदार पैदा हुआ है और न होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आप की बात सुन ली है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, हमको पीड़ा है। बात यह मेरी तरफ से नहीं आई है। यह पीड़ा सबकी है। हम सबके साथ हुआ है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

पाँच गज जमीन कब्रिस्तान में लेने का हर एक का अधिकार है। अगर पाँच गज जमीन ले भी ली होगी तो कोई आपत्ति नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अगर हो तो उस जमीन में जिन्दा रहने से गड़ जाना बेहतर समझूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आप मुझे जजमेन्ट देने देंगे। मैं निर्णय देता हूँ। आप बैठें तो।

श्री मोहम्मद आजंम खाँ--

नेता विरोधी दल मुझे अफसोस है कि आप जैसे संजीदा व्यक्ति, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी बात कहे तो पीड़ा होती है। आपसे इतने हल्केपन की उम्मीद न थी। मैं आपको भारी देखना चाहता हूँ।

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)--

मेरी व्यथा भी सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--

शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

मेरे साथ भी ऐसी पीड़ा घटित हुई है। मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। मेरे पूरे जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन में, मैं एक अच्छा स्टूडेन्ट रहा हूँ। अखबार की दुनिया में भी मैंने दो साल तक काम किया है। इसी तरह से एक चैनल द्वारा एक घटना को लेकर घटना का खुलासा करना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश के एक कार्यालय में 2003 में दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कम्पनी के साथ उत्तर प्रदेश का फर्जी अधिकारी बनकर एक व्यक्ति द्वारा 12 करोड़ का फर्जी सौदा तैयार किया गया। इसका एग्रीमेन्ट एक सरकारी दफ्तर में हुआ। इसमें एक उत्तर प्रदेश सरकार के मुलाजिम, तीन और फर्जी लोग थे उन्होंने 12 करोड़ के बिस्किट फर्जी सप्लाई करने का आदेश दिया गया। उसमें यह बताया गया कि 12 करोड़ के बिस्किट सप्लाई करने है इसकी एवज में 24 लाख रुपया मिलेगा।

(व्यवधान)

2006 में उस आदमी के विरुद्ध कम्पलेन्ट हुई । एस0 एस0 पी0 लखनऊ को हमने इतनी बात कही इसकी जांच कराई जाए। जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया उस पर क्रिमिनल केस हुआ और वह सवा चार महीने जेल गया। इसके बाद वह वापस आता है कहता है एक मंत्री ने मुझे उठवा लिया। मेरी धुनाई कराई । मेरा अपहरण करवा कर मुझे उठवा लिया । यह ई0 टी0 वी0 द्वारा दिखाया गया। ई0 टी0 वी0 द्वारा चरित्र हनन किया गया। मुझे अपराधी की श्रेणी में रखा गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने उस व्यक्ति का चेहरा तक देखा नहीं है। उस व्यक्ति से मैं कभी मिला नहीं हूँ मैं सदन में घोषणा करता हूँ अगर ऐसा आरोप सिद्ध हुआ तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। इसी तरह से कथित चैनल द्वारा पूरी सरकार के विरुद्ध इस तरह से हमला करना सही नहीं है। यह इसलिये किया गया कि हम मंत्री हैं ? विधायक हैं ? इसलिये हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोई अखबार कुछ लिख दे, उसका चरित्र हनन करे, यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक बात है। मैं कहना चाहता हूँ क्या किसी टी0 वी0 चैनल को अधिकार है कोई झूठा आरोप लगा दें बगैर सबूत के, मेरे खिलाफ किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

मेरे खिलाफ कभी 107, 16 की भी कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से प्लानिंग करके चरित्र हनन का प्रयास किया गया इससे ज्यादा क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

बस हो गया बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

इस तरह की घटनाओं का आप संज्ञान लें। इस तरह से अगर टी0 वी0 चैनल दिखाते हैं चाहे वह किसी दल का सदस्य हो चाहे ब0 स0 पा0 का हो, चाहे भा0 ज0 पा0 का हो, चाहे कांग्रेस का हो जो आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाला पहले अपना गिरेवां में झाँककर देखें।

(व्यवधान)

*श्री आलम बदी--

सदन में सदस्य चुनकर आते हैं तब सदन में बैठते हैं सदन के सदस्यों का इस तरह से करेक्टर हनन हो रहा है। यह सही नहीं है।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ, एक विषय तो यह है कि जो बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है, यह टी0 वी0 चैनल पर मैंने भी देखा। उसे देखने के बाद समाज के किसी भी व्यक्ति ने उस पर विश्वास करने के लिए मन नहीं बनाया, जो लोग जानते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है, उस पर विचार कर लें और इसे भी उस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लें और भविष्य में सदन के किसी भी सदस्य की बात हो, इस प्रकार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सदन अपनी नीति निर्धारित करे। यह निर्धारण हो जाए, इस बारे में आप प्रेस से भी बात कर लें। कम से कम इसके लिए कोई मानक निर्धारित होना चाहिये। एक अभियान चल रहा है, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का, उसके प्रति सारे संसार में अविश्वास उठाये जाने का। यदि लोकतंत्र से विश्वास उठ गया तो सारे संसार में लोकतंत्र बचेगा नहीं। इस देश के सबसे बड़े सदन की कुर्सी पर आप विराजमान हैं, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इस पर भी विचार कर लें जिससे कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, इस पर भी यह समिति विचार करे, यह मेरा आग्रह है और फिर इस सम्बन्ध में आपको विशेष जिम्मेदारी निर्वहन करनी है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निर्णय लेने का आग्रह करता हूँ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

माननीय, मेरा भी प्रकरण इसमें शामिल कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मुझे निर्णय करने दीजिए।

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, मेरा भी मामला है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मानीय सदन के अन्दर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी है, वह बहुत ही गम्भीर है और यह सभी जानते है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग आज नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए मनमाने तरीके से भोंड़ा प्रदर्शन कर रहे है, एक नहीं अनेक बार यह सिलसिला चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं अंकुश लगना चाहिए और यह बहुत गम्भीर बात है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है, उससे बहुजन समाज पार्टी सहमत है और उसका संज्ञान लेते हुए मैं तो आपके माध्यम से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजपत्रित अधिकारियों की किसी भी जांच के लिए उनके प्रमुख से, सचिव से, विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से यदि किसी भी सदस्य, विधान सभा के प्रति कोई बात होती है, तो उसके लिये माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी आवश्यक है और इसी तरीके से यदि कोई सदस्य, विधान परिषद है तो उसकी बात के लिए विधान परिषद के सभापति से अनुमति लेनी आवश्यक है और इसी क्रम में कोई सांसद, लोक सभा है, सांसद, राज्य सभा है, तो वहाँ के भी लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति से अनुमति ले करके ही इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है और यदि बिना पीठ के अनुमति के, बिना प्रमुख के अनुमति से किसी भी राजनीति में रहने वाले, चाहे सदस्य, विधान सभा हो, विधान परिषद हो या सदस्य, लोक सभा या राज्य सभा हो, उसके खिलाफ यदि इस तरीके की कोई घिनौनी साजिश की जाती है तो इसके लिए ऐसे दोषी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों को भी वही सजा मिलनी चाहिये जो एक अपराधी को मिला करती है। इसलिए मान्यवर, मेरा कहना है कि इस गम्भीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर अमलीजामा देने का कष्ट करें।

होमगार्डस्, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)--

मान्यवर, अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूँ कि किसी की भी चरित्र हत्या करनी हो तो इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया के साथियों से मिल लीजिए। अभी श्री राजेन्द्र सिंह राणा जी ने अपनी व्यथा कही, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हीं के शीर्षक में मेरा नाम भी था। मान्यवर, ई0 टी0 वी0 में दिखाया गया था। जिसमें शीर्षक था कि मुलायम सिंह के गले की हड्डी बने चार मंत्री श्री हाजी याकूब, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री महबूब अली और श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी। श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जनपद कुशीनगर में आतंक के पर्याय बन गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक पूरी जिन्दगी में चींटी तक नहीं मारी है और मेरे विरुद्ध साजिश करके इस तरह की बातें कही गयी, मैं उस समय क्षेत्र में था। एक साथी ने टेलीफोन किया कि आप ई0 टी0 वी0 देखिए, मैंने देखा और उन्होंने ई0 टी0 वी0 से सम्पर्क कराया तो मैंने कहा कि क्या आपने देखा है मुझे दंगा पैदा करते हुए तो ई0 टी0 वी0 वालों ने कहा कि गलती से ऐसा हो गया अभी कैसेट से निकाल दिया जायेगा। मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के कुछ लड़के कुशीनगर के कालेज में पढ़ते हैं। लड़को-

लड़कों में झगड़ा हो गया तो हिन्दुस्तान अखबार ने लिखा कि जैसे बाल ठाकरे के यहाँ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में लड़ रहे हैं, उसी प्रकार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के घर में युद्ध चल रहा है। मान्यवर, इस तरह से मेरी चरित्र हत्या करायी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि कुशीनगर में एक रेपोटेंडेट पत्रिका इण्डिया टुडे ने लिखा कि श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी का शासन कुशीनगर में है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बौद्ध भिक्षु ने कहा मंत्री के इशारे पर मेरा आवास ढहवाया जा रहा है। जबकि पुरातत्व विभाग ने आपत्ति किया और उस पर एक व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंच गया तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर पुरातत्व विभाग चौहट्टी में निर्माण हुआ होगा तो उसे गिरवा दे। मान्यवर, ए0 डी0 एम0, कसया, कुशीनगर और सी0 ओ0 कसया पहुंचे तो आरोप लगाया गया मेरे विरोधियों द्वारा कि ब्रह्माशंकर यह ढहवा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के कहने पर यह आरोप लगाया जाता है, कि ब्रह्माशंकर 10 लाख रुपये की हीरे की अगूंठी मांगता है। मान्यवर, मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी से और इस पूरे सदन से कहना चाहता हूँ कि आप संसदीय टीम बना दीजिए और जांच करा लीजिए कि अगर कसिया विधान सभा क्षेत्र के लोग मानते है कि ब्रह्माशंकर त्रिपाठी इस तरह का आदमी है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है। अब आप बैठ जायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुन लें। उसमें सब आ जायेगा, सबका निदान हो जायेगा। अगर चर्चा करेंगे तो लम्बा हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मेरा निवेदन [illegible]

श्री अध्यक्ष--

मेरी बात सुन लें। विधायकों के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व मेरा है और मैं जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही होगी वह करूँगा। करवरिया जी आप बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उसे सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो कहा है वह तो अलग है। लेकिन डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने जितनी गम्भीरता के साथ, श्री हुकुम सिंह जी और श्री मौर्या जी ने जिस गम्भीरता के साथ तर्क के साथ बात रखी है उसके बाद मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इससे मामले की गम्भीरता हल्की हो जायेगी। जिन साहेबान को अपनी बात रखनी है वह लिखित आधार पर दे दें और इस मामले को गम्भीर से गम्भीर रहने दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे जितनी भी शिकायतें होंगी वह लिखकर दे देंगे हम उन्हें समिति को सन्दर्भित कर देंगे और वह समिति इसकी जांच करेगी। उनको छानबीन करने का पूरा अधिकार रहेगा। मैं प्रेस और मीडिया के लोगों से भी कहूंगा कि इस प्रकार की चीजों

को गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है। जैसा मौर्य जी ने कहा कि इस प्रकार की घटना को दिखाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता है तो इसमें मैं नेताओं की बैठक कर लूंगा, विधिक राय भी ले लूंगा और अगर सम्भव हुआ तो लागू भी करवाऊंगा।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यह समिति आपकी अध्यक्षता में काम करे तो अच्छा होगा। आप जिसे बुलाना चाहेंगे वह आ जायेगा अन्यथा यह सम्भव नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन जब निर्णय लेना होगा तो मैं पीठ पर रहूंगा, कार्यवाही करूंगा तो मैं ही पार्टी कैसे बनूँगा इस कमेटी को पूरा अधिकार होगा, वह जिसे साक्ष्य हेतु बुलाना चाहेगी बुलायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है जो सारे प्रश्नों पर विचार करेगी। आप इसमें वरिष्ठता का भी ध्यान रख लें। आप मेरा इशारा शायद समझ गये होंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं इसमें बाद में बात कर लूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11-03-2006 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्रीमती माया प्रसाद की है, दूसरी सूचना श्री रिजवान अहमद की है, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है। (उपस्थित)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप अपनी सूचना पढ़ दें।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा सदन के समक्ष सूचना पढ़ी गयी)

श्री अध्यक्ष--

चौथी सूचना श्री लल्लू सिंह की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित पाये गये)

पांचवी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है, छठवीं सूचना श्री राम हेत भारती की है। सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, आठवीं सूचना श्री आलमबदी की है, नवीं सूचना श्री राकेश सचान की है, दसवीं सूचना श्री राम मगन रावत की है, ग्यारहवीं सूचना श्री महेश नारायण सिंह की है, बारहवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की है। तेरहवी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की है, चौदहवीं सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की है, पन्द्रहवी सूचना बाबू लाल कुशवाहा की है। (उपस्थित)

(सदन की सहमति से सदस्यों की स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी।)

जनपद लखीमपुर में लखीमपुर शारदानगर रोड के पुनर्निमांण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद--

[आपके माध्यम से जनहित से जुड़ी समस्या सदन के संज्ञान में लाते हुये त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा करती हूँ।

लखीमपुर से शारदानगर रोड जो निघासन तहसील को जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है, अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। प्रतिदिन हजारों यात्री एवं वाहनों को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, किसानों को भी अपने उत्पाद लाने,ले जाने में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अत: लोक महत्व के इस प्रश्न पर उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।]

जनपद मुरादाबाद की न्याय पंचायत मौढ़ी हजरतपुर में रिजवान गर्ल्स इण्टर कालेज को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान अहमद खाँ--

[जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलैट के अन्तर्गत न्याय पंचायत मौढ़ी हजरतपुर में बालिकाओं की शिक्षा का कोई साधन न होने के कारण ग्राम गढ़ी सलेमपुर, अकबरपुर चैदरी में अल्प संख्यक एवं पिछड़ा क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र की आबादी लगभग 80,000 की है और उक्त क्षेत्र में कोई भी कन्या माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिससे उक्त क्षेत्र शिक्षा के स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ है और जिसमें ब्लाक छजलैट में सेवित/असेवित स्कीम में मांग की गई थी। परन्तु जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों के लापरवाही के कारण उक्त ब्लाक में सेवित/असेवित स्कीम में नहीं आ सका। जिस कारण शिक्षा के घटते स्तर को देखकर रिजवान गर्ल्स इण्टर कालेज, अकबरपुर चैदरी गढ़ी में माध्यमिक शिक्षा हेतु भूमि पर्याप्त उपलब्ध है और सभी औपचारिकतायें पूर्ण हैं। परन्तु 9(4) केवल बिल्डिंग बनाने हेतु समय मांगकर 9 (4) में मान्यता की मांग की गई है। लेकिन रिजवान गर्ल्स इण्टर कालेज को 9(4) में मान्यता नहीं मिली है जिससे न्याय पंचायत की सभी जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये रिजवान गर्ल्स इण्टर कालेज को 9 (4) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के महिला डिग्री कालेज के अवकाश प्राप्त कर्मियों के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेरे मध्य विधान सभा क्षेत्र में उत्तर भारत का अति प्राचीन महिला विद्यालय डिग्री कालेज मोलवीगंज में स्थित है। इस महाविद्यालय को अब पोस्टग्रेजुएट डिग्री कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो गयी है। इस विद्यालय का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बहुत दिनों से प्रवन्ध समिति में आपस में विवाद चल रहा है और यहाँ तक कि मुख्य द्वार से लेकर अन्दर तक प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग लगा दिये गये हैं, अभिभावक भी आसानी से अन्दर नहीं आ जा सकते। जहाँ प्रधानाचार्या का विषय विवादित है वहीं प्रवन्धक का भी विषय विवादित है। यहाँ के कर्मचारी ठीक प्रकार से अपने कार्यो का सम्पादन ही कर रहे है जिसके फलस्वरूप जो शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर लेते है उनको देय उपलब्धियों को समय पर उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। सन् 2004 में यहां के कर्मचारी चन्द्र किशोर, मार्च 2005 में श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, मई 2005 में मालती श्रीवास्तव और दिसम्बर 2005 में प्रेमनाथ ने अवकाश प्राप्त किया किन्तु उनको अभी तक देय पेन्शन, प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रुप इन्श्योरेन्श, ग्रेच्युटी इत्यादि समस्त देय उनके द्वारा प्रयास करने के बाद भी नहीं दिये गये जिससे अवकाश प्राप्त करने के वाद उन्हें अपनी जीविका चलाने में कठिनाई हो रही है, जबकि सरकार का निर्णय है कि अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अविलम्ब उसके पेन्शन सहित सभी भुगतान किये जायें। जिसका विद्यालय प्रवन्ध तन्त्र खुला उल्लंघन कर रहा है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब समस्या का निदान करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।

ग्रेटर नोएडा में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नवाब सिंह नागर--

[ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अन्तर्गत गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य रुका हुआ है, इसके निर्माण में अनियमितता होने की जाँच भी लगभग एक वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुकी है जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी किन्तु शासन द्वारा आज तक निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश नहीं दिया गया है जिससे क्षेत्र के लोगों में शासन, प्रशासन के प्रति भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जिसका अनेक राजनैतिक एवं क्षेत्रीय संगठन धरने, प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय के निर्माण की माँग कर रहे हैं साथ ही जनता में यह भी शंका व्यक्त की जा रही है कि शासन विश्वविद्यालय के स्वरूप को वदलना चाहती है जिसको क्षेत्र की जनता किसी भी कीमत पर वर्दास्त नहीं करेगी।

अत: मैं इस अति लोक महत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की माँग करता हूँ]

सीतापुर में कस्ता मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामहेत भारती--

[अवगत कराना है कि निर्वाचन क्षेत्र-हरगाँव जनपद सीतापुर में जिला मुख्यालय से सीतापुर कस्ता मार्ग जो गोला गोकर्ण नाथ को सीधे जाता है जो गैर जिला मार्ग है यह मार्ग विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य चक्रतीर्थ तथा मिश्रिख दधीचि कुण्ड जहाँ पर प्रतिमाह अमावस्या का मेला लगता है तथा होली परिक्रमा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं सीधे गोला गोकर्णनाथ तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नैमिषारण्य व मिश्रिख को जोड़ता है परन्तु सीतापुर से कस्ता मार्ग किमी0 1 से किमी0 23 तक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त तथा कम चौड़ा होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे जन-धन की हानि होती रहती है। इसके अलावा जब महोली, सीतापुर तथा हरगाँव सीतापुर जिला मुख्यालय के मध्य दुर्घटनाओंवश रोड जाम हो जाता है तो सीतापुर कस्ता मार्ग से ही होकर वाहन निकलते हैं जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनायें भी घटित हुई हैं।

अतएव सीतापुर से कस्ता मार्ग को किमी0 1 से किमी0 23 तक को चौड़ा किये जाने की माँग करता हूँ]

प्रदेश में सरकारी उपेक्षा से उद्योगों के उत्तरांचल पलायन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा सुविधा न देने एवं सरकारी विभागों के इंस्पेक्टरों द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर औद्योगिक इकाइयां उत्तरांचल राज्य में शिफ्ट हो रहा हैं।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बिजली लगभग 5 रु0 प्रति यूनिट मिल रही है इसके उपरान्त भी बिजली 24 घंटे नहीं मिल पा रही है, पीक आवर्स में उद्योग चलाने पर लगभग 7/- प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है जबकि उत्तरांचल राज्य में बिजली एल0टी0 लाइन से 2.5/- प्रति यूनिट एवं एच0टी0 लाइन से 2/- प्रति यूनिट मिल रही है एवं आपूर्ति भी 24 घंटे है।

उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी 16 प्रतिशत है जबकि उत्तरांचल में एक्साइज ड्यूटी नये उद्योगों हेतु फ्री कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य में सेन्ट्रल ट्रेड टैक्स 4 प्रतिशत है जबकि उत्तरांचल राज्य में 1 प्रतिशत है एवं जमीन सस्ती व इन्कम टैक्स में भी 5 वर्ष के लिए छूट है।

इस तरह से उपरोक्त कारणों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से डीजल पम्प, मोटर पार्टस, खेती उपकरण, पेपर मिल, लकड़ी का कार्य, कम्प्यूटर एवं टी0वी0 उपकरण, इलैक्ट्रानिक उपकरण, टेलीफोन उपकरण, पेन्ट, रबर उद्योग आदि उत्तरांचल जाने की तैयारी में है। इतने उद्योग उत्तरांचल जायेंगे तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

सेतु निगम खण्ड आजमगढ़ द्वारा पुलों के निर्माण में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आलमबदी--

[मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोहम्मदपुर बाजार के समीप मंगई नदी पर आजमगढ़-वाराणसी मुख्य मार्ग पर नया पुल सालभर पहले ढांचा बनकर खड़ा है, उस पर एप्रोच रोड कार्य विभागीय सेतु निगम खण्ड आजमाढ़ के अभियन्ताओं से बार-बार आग्रह करने के बाद भी आरम्भ नहीं किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुंवर नदी पर एक पुल बीनापारा के समीप निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी स्थिति यह है कि दो दिन कार्य होता है तो चार दिन बन्द रहता है। कोई देख-रेख नहीं है। निर्माण कार्यों में समय सीमा तय होनी चाहिए कि समय पर कार्य समाप्त करने की रुचि पैदा हो सके।]

लखनऊ की इन्दिरानगर सचिवालय कालोनी के पार्क के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राकेश सचान--

[मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरानगर ए-ब्लाक, सचिवालय कालोनी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ए-1161/7,ए-1161/6 कालोनी के ठीक सामने एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क की रेलिंग पूरी तरह से टूट गयी है। इस पार्क में सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है तथा फालतू जानवरों का भी जमावड़ा लगा रहता है। सुअरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अगर अध्यासी का दरवाजा जरा सा खुला कि सुअरें घरों में प्रवेश कर जाती हैं जिस कारण अध्यासियों का रहना दूभर हो गया है। सुअरों के प्रकोप के कारण कई बार महामारी फैल चुंकी है इस बाबत पत्राचार के माध्यम से सुअरों को भगाये जाने की कई बार शासन से मांग भी की जा चुकी है तथा बरसात के दिनों में सुअरों की वजह से इतनी ज्यादा गन्दगी हो जाती है कि लोगों का आना-जाना तथा रहने वाले अध्यासियों के लिए वहाँ रहना और प्रकोप का सामना करना पड़ता है जिस कारण आये दिन लोग बीमार रहते हैं। चूँकि यह प्रकरण कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है एवं जनहित का है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पार्क की रेलिंग बनवाये जाने तथा सुअरों एवं फालतू जानवरों को हटाये जाने एवं पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करना चाहता हूँ।]

जनपद बाराबंकी की सिद्धौर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम मगन--

[सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा सिद्धौर जनपद बाराबंकी में विगत वर्ष 1994-95 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जनहित में तीन सड़कों की स्वीकृति हुयी थी जिनका निर्माण कार्य भी शुरू कराया गया था। वतमांन में इन तीनों मार्गों पर आज भी बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुये हैं जिनके कारण आम आदमी का चलना दुश्वार है। सरकार गिर जाने के बाद जब दूसरी सरकार आयी तब ईर्ष्यावश स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य रोक दिया गया जो आज भी आधी-अधूरी पड़ी है। जनहित में अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूँ कि अधूरी पड़ी निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य कराने की कृपा करें।

1--इसरौली सारी से अलुवामऊ होते हुए भिटौरा लखन जैदपुर रोड तक विकास खण्ड सिद्धौर बाराबंकी।

2--वांदा--बहराइच मार्ग से सोहांवा तक विकास खण्ड सिद्धौर बाराबंकी।

3--कोठी से दुल्लहीपुर तक विकास खण्ड सिद्धौर बाराबंकी।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के हण्डिया क्षेत्र की शारदा सहायक नहर में पानी की कमी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेश नारायण सिंह--

[मै आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हण्डिया, इलाहाबाद की तरफ दिलाना चाहता हूँ। शारदा सहायक खण्ड-39 नहर में पानी नहीं है जिसके कारण किसानों की फसल सूख रही है। कई बार अधिकारियों से कहा गया परन्तु अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। पानी न होने के कारण कई हजार एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है जिस कारण किसानों में घोर असंतोष व्याप्त है। यह मामला किसानों की रोजी-रोटी से जुड़ा जनहित का मामला है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

दुग्ध इकाई संघ, हरदोई के कर्मचारियों के वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन गोपाल वर्मा--

[जनपद हरदोई के दुग्ध इकाई के प्रबंधक सतीश कुमार सिंह के द्वारा दुग्ध इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का घोर उत्पीड़न किया जा रहा है। करीब 4 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण उनकी होली सूनी है। बच्चों की फीस न जमा होने के कारण कई बच्चे फाइनल परीक्षा से भी वंचित हो गये हैं। सतीश सिंह पूर्व में भी इस जनपद में तैनात रहे हैं। उक्त अवधि में इनके द्वारा घोर अनियमितताये की गयी थी, जिसमें यह निलम्बित हुए थे तथा जाँच भी चल रही है। इनके द्वारा जनपद सीतापुर में भी अपने कार्यकाल में घोर अनियमितताये की गयी हैं, जिसकी भी जाँच चल रही है। इनके द्वारा विभाग में गड़बड़ी करके काफी मात्रा में धन एकत्र करके जनपद सीतापुर में एक फार्म हाउस तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में एक भवन खरीदा गया है।

प्रकरण लोक महत्व का है तथा तात्कालिक प्रकृति का है। अतएव इस लोक महत्व के प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल वहाँ से हटाकर प्रकरण की जाँच एवं त्यौहार को देखते हुए होली के पूर्व कर्मचारियों के वेतन भुगतान की माँग करता हूँ।]

जनपद एटा में नया इन्जीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिशुपाल सिंह यादव--

[जनपद एटा एक बहुत ही पिछड़ा जनपद है यहां पर प्राविधिक शिक्षा का कोई भी अच्छा कालेज नहीं है जिससे यहां के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है। जनपद में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे जनपद का विकास हो सके, कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग कालेज नहीं है जिसमें युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जनपद को पिछड़ेपन से उबारना अति आवश्यक है। और यहां के युवाओं का रुझान अच्छे कार्यों की तरफ हो सके नया इंजीनियरिंग कालेज खुलने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इंजीनियरिंग कालेज न होने से युवाओं में एवं क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है और वह आये दिन लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन आदि करते रहते हैं।

अत: आपसे इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर जनपद एटा में एक नया इंजीनियरिंग कालेज स्थापित/खोलने की मांग करता हूँ।]

हाई स्कूल परीक्षा में बहुजन समाज पार्टी के सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

[दिनांक 8 मार्च, 2006 को हाई स्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न-पत्र में प्रश्न संख्या-16 में परीक्षार्थियों से पूछा गया था कि बहुजन समाज पार्टी के दो सिद्धान्तों का वर्णन किया जाए। सामाजिक विज्ञान में समाज के स्वरूप, संगठन और संरचना का ज्ञान प्रदान किया जाता है। हाई स्कूल के छात्रों से किसी पार्टी के सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न करना छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है।

उक्त विषय की महत्ता को देखते हुए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बाँदा में मेडिकल कालेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल कुशवाहा --

[चित्रकूट धाम मण्डल बांदा में कोई त्वरित एवं सघन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। जनपद बांदा, जनपद चित्रकूट, जनपद महोबा, जनपद हमीरपुर के नागरिक गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो जाने पर व आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर उन्हें अपने इलाज के लिये करीब डेढ़ सौ से दो सौ किमी0 कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता है जिससे आने जाने में देरी हो जाने के कारण गरीब जनता की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। यह अति लोकमहत्व का प्रश्न है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी वक्तव्य के साथ ही साथ चित्रकूट धाम मण्डल मुख्यालय बांदा में मेडिकल कालेज बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी उनके नाम निम्नलिखित हैं--

श्री श्याम सिंह अहेरिया, श्री जगदम्बिका पाल, डा0 पूर्णमासी देहाती, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सदल प्रसाद, श्री मदन चौहान, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राम करन आर्य तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन को कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना दे रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 12 से 20 मार्च, 2006 तक विधान सभा के उपवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की है--

1--सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006 को सदन का उपवेशन हो।

2--दिनांक 12 से 20 मार्च, 2006 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय--

मार्च, 2006

12 रविवार	बैठक नहीं होगी।
13 सोमवार	
14 मंगलवार	होली का अवकाश।
15 बुधवार	
16 गुरूवार	
17 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
18 शनिवार	
19 रविवार	

20 सोमवार 1--निधन के निर्देश।

2--"उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में" डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा --एक घण्टा।

3--"प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा --एक घण्टा।

सदन के शेष उपवेशनों तथा उनमें लिये जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में यथासमय सूचना दी जायेगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषय जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य , नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि:--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि:--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2006 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

लखनऊ जनपद के बक्शी तालाब क्षेत्र में बीबीपुर ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शीघ्र निर्माण कराने विषयक श्री रमेश पाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ जनपद के बक्शी का तालाब क्षेत्र में बीबीपुर ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शीघ्र निर्माण कराने विषयक श्री रमेश पाल तथा श्री कृष्ण गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नोट--†छपा नहीं गया।

सरकार के वक्तव्य को तथ्यों के परे आने पर आपत्ति †

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मेरा एक वक्तव्य आया था जो मैने पूछा था उसमें सब उल्टा उत्तर आया है।

श्री अध्यक्ष--

आप हमें लिखकर भेज दें हम उस अधिकारी को खुद बुला लेगे।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा प्रारम्भ होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2006-07 के बजट अनुमानों पर विचार करने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और उनका जो भाषण था उसको कुल मिला करके मैने बड़े गौर से सुना तो जो मुझे नजर आया वह "बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम" नजर आया और सिवाय उसके इस बजट भाषण में और कुछ नहीं है। वही पुरानी जर्जर व्यवस्था, वही पंगु कानून व्यवस्था, वह लाचार शासन और प्रशासन की व्यवस्था। केवल पलीता लगाया गया है अच्छे-अच्छे शब्दों का। एक भाषा बना करके उसको नया रंग देने की कोशिश की गयी है। लेकिन मान्यवर, सही मायने में गंभीरता से देखा जाए तो इसमें कुछ भी नया नहीं है।

मान्यवर, इस बजट भाषण में यह दिखाया गया है कि 2300 करोड़ रुपये का जो यह बजटीय घाटा है उसको किन स्रोतों से पूरा किया जायेगा। उसकी क्षतिपूर्ति कहां से की जायेगी ? उनके कौन से स्रोत होंगे ? इसका कही भी कोई भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, यह हम सभी जानते है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और उसमें भी उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा कृषि पर आधारित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद अपने को किसानों का नेता कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बजट भाषण में कहीं कोई भी चर्चा नहीं है।

मान्यवर, आप जान लें कि कृषि की जान सिंचाई पर यानि कि पानी पर निर्भर करती है। आज उत्तर प्रदेश की पूरी कृषि व्यवस्था चरमरा गयी है और नहरों में पानी नहीं है। नहरों की सफाई कागजों में होती है और व्यवहारिक रूप में कहीं भी नहरों में फावड़ा तक नहीं लगता है।

मान्यवर, टेल तक पानी देने का वायदा करने वाली यह सरकार नहरों, रजवाहों और माइनरों के हेड में भी पानी नहीं दे पा रही है। सिंचाई मंत्री जी नहरों की सफाई नहीं कर पाये लेकिन आज सिंचाई मंत्री की सफाई उनके अपने कुकर्मों के कारण हो गयी है और एक नये सिंचाई मंत्री जी की व्यवस्था की गयी है। हम अपेक्षा करते है कि जो नुये सिंचाई मंत्री आये है वह अपने पुराने सिंचाई मंत्री के पद चिह्नों पर नहीं चलेंगे वरना उनका भी सफाया सुनिश्चित हो जायेगा। इसलिए आप नहरों की सफाई कराके नहरों में हेड तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें, जिससे उत्तर प्रदेश का किसान हताहत है। नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें जिससे किसानों की फसल जो

---

† दिनांक 28 फरवरी, 2006 की कार्यवाही से।

सूख रही है, पानी के अभाव में उसकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, उस कमी को पूरा किया जा सके। मान्यवर, हमें लगता है कि यह सरकार गूंगी बहरी है इसलिए हमारी इतनी तेज आवाज के बाद भी नहीं सुन पा रही है।

(अनेक सदस्यों द्वारा आपस में बात करने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य व्यवधान न करें, जल्दी खत्म करने दें आज बजट पास करना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में बोल रहा हूँ माननीय पीठ के सामने, अध्यक्ष पीठ के सामने बोल रहा हूँ। हमारे सत्ता पक्ष के कुछ साथी कह रहे है कि नहरों में टेल तक पानी पहुँच रहा है अगर पहुँच रहा है तो हमारे डलमऊ विधान सभा क्षेत्र में चले जाइये, डलमऊ पम्प कैनाल और उससे निकलने वाले जितने रजबहे और माइनर है उसमें सालों साल से पानी नहीं जा रहा है। इसलिए अभी तो मैं सरकार को गूँगी बहरी ही मानता था लेकिन लगता है कि इस सरकार को आँखों से भी नहीं दिखाई देता है, अंधी भी है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ सरकार को, सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि आप दिल दिमाग खोलकर जनता की समस्याओं को ध्यान से देखें और सुने और साथ ही साथ उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करें। मान्यवर, आज इस सरकार में गरीबों का अनाज माफियाओं का शिकार हो रहा है। आज खाद्यान्न घोटाले एक नहीं अनेक होते जा रहे है और प्रदेश में लगभग 2 दर्जन खाद्यान्न घोटाले प्रकाश में भी आये है। हम लोग जानते है कि यह जो सरकार की योजनाएँ है बीपीएल योजना और एपीएल योजना, अन्त्योदय खाद्यान्न योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना इनके अन्तर्गत आने वाले जितने अनाज है, आज बड़े-बड़े कालाबाजारी करने वाले लोगों के द्वारा इस अनाज का गोलमाल कर दिया जा रहा है जिसके रास्ते गरीबों के पेट की रोटी मिलनी चाहिए वह आज बड़े-बड़े पूँजीपतियों के ठिकानों का शिकार हो रही है कालाबाजारों का शिकार हो रही है। हम लोग जानते है कि यह सरकार गरीबों की दुहाई देती है, मजदूरों की और किसानों की दुहाई देती है, लाचार और बेसहारा की दुहाई देती है। इसलिए उनके लिए आने वाले अनाज जिस पर तमाम आज कालाबाजारी करने वाले कुण्डली मारकर बैठे हुए है और एक तरफ घोटाले दर घाटाले करते जा रहे हैं, इसकी भी बहुत गंभीरता से जाँच होनी चाहिये।

मान्यवर, सही बात तो यह है कि इस प्रकार की कालाबाजारी करने वाले दोषी लोगों को, चाहे वह अधिकारी हों, चाहें कर्मचारी हों, चाहें कोई व्यापारी हों, ऐसे सभी लोगों की सूची भी प्रकाशित की जानी चाहिये जिससे कि सदन भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के चेहरे से वाकिफ हो सके। मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामले हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का इन गंभीर विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये आग्रह करता हूँ कि जन समस्याओं से जुड़ी हुयी जो गुत्थियाँ है मामले हैं, इसलिये इसमें जल्दी से जल्दी न्याय करने के लिये यदि टास्क फोर्स बनाने की भी जरूरत पड़े, अलग से कोई कमेटी बनाने की जरूरत पड़े तो उसे बनाकर इन खाद्यान्न घोटाले वालों को बेपर्दा करना चाहिये। मान्यवर, जब भी सी0बी0आई0 जाँच की बात आती है, हमारे नेता सदन जी उचक जाते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर, अपने शासन प्रशासन पर भरोसा है तो मैं नहीं कहता कि सी0बी0आई0 से जाँच कराये। आप अपनी ही जाँच एजेन्सियों से इसकी जाँच कराकर ऐसे दोषी लोगों को सजा दिलाने की बात करें और ऐसे कालाबाजारी करने

वाले लोगों की सूची भी जारी करें जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। अब मान्यवर, जाँच कहाँ से हो, प्रदेश सरकार करे या सीबी0आई0 करे, बात यह नहीं है। बात यह है कि इस तरह के जो और घोटाले हो रहे है, उन पर अकुंश लगना चाहिये। इसी तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार बहुत चिन्तित है। लेकिन बंद उद्योगों को चालू करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

(लाल बत्ती जलाये जाने पर)

मान्यवर, अभी तो यह अगंड़ाई है, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, बंद उद्योगों को चालू करने के लिये कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाया, इसलिये कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की बढ़ोत्तरी हो, बेहतरी हो और आपने सपना संजोया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। लेकिन मान्यवर, वही ढाक के तीन पात। अभी कल ही उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने खुद स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिये यह स्वीकारोक्ति है। इसको गंभीरता से लेते हुये उद्योग के क्षेत्र में व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योग होगा, बड़े व्यापारी आयेंगे, मिल कारखाने लगेंगे, उसके लिये सही धरातल होना चाहिये। यह तभी सम्भव होगा जब प्रदेश में कानून व्यवस्था हो। कोई भी बड़ा पूँजीपति, उद्योग पति इस प्रदेश में उद्योग लगाने के बाद अपनी हत्या नहीं करवायेगा। इसलिये मान्यवर, उद्योग स्थापित करने के लिये जो सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए इस सदन में एक नहीं अनेक बार चर्चा हुई है। लेकिन उसकें बावजूद भी इसे जितनी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था, उतनी गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

मान्यवर, कभी-कभी कुछ घटनाएं घट जाती है, उसे इत्तफाक कहा जाता है लेकिन जब किसी विषय पर आशंका पहले से रहती है और वह घटना घटित हो जाती है तो वह सरकार की लापरवाही मानी जाती है। अभी कल ही लखनऊ के सम्बन्ध में चर्चा हुई, परसों बनारस की घटना के सम्बन्ध में चर्चा हुई, इसके पहले भी मऊ जैसी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सोती रहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या पूरा उत्तर प्रदेश ही जब जल जाएगा तभी यह सरकार जगेगी। मान्यवर, कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ सरकार को निर्णय लेना होगा और उत्तर प्रदेश की जनता में कानून-व्यवस्था को सतही जामा देते हुए जन-जन में विश्वास पैदा करना होगा कि उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था कायम करने में सक्षम है। बहुजन समाज पार्टी की भी तीन-तीन बार सरकारें रहीं। सुश्री मायावती जी एक नहीं तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहीं, हम लोग भी मंत्री रहे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कानून-व्यवस्था का राज कायम किया। उस समय सारे के सारे माफिया और अपराधी उत्तर प्रदेश की सड़को में नहीं दिखाई पड़ते थे बल्कि जेल में दिखाई पड़ते थे। कल जो अपराधी जेलों में हुआ करते थे, आज वही अपराधी सत्ता के गलियारे में दिखायी दे रहे है। इसलिए मान्यवर, अगर

सत्ता के संरक्षण में सत्ता के गलियारे में अपराधियों की आवाजाही होगी, उनकी चमक और दमक रहेगी तो कानून-व्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती है। मान्यवर, चूँकि आपने संक्षेप में समाप्त करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विस्तार से उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अगर संक्षेप में यह है तो विस्तार से क्या होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अन्त में मैं केवल इतना ही कहूँगा, इस सदन में कानून-व्यवस्था की एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मान्यवर, यह जो जनप्रतिनिधि हैं बहुजन समाज पार्टी के हमारे माननीय सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र जिस दिन से चुनाव जीते हैं, उसके कुछ दिन बाद 10 दिसम्बर को उनको धमकी दी गई कि छः माह के भीतर तुम नहीं रहोगे और दोबारा चुनाव होगा और माननीय नेता सदन द्वारा उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी अभी तक उन्हें सुरक्षा-व्यवस्था उपलब्ध नही हो पाई है। इसी प्रकार सरोजनी नगर के विधायक श्री इरशाद खाँ जी है, 25-26 जुलाई, 2004 और 26 फरवरी, 2006 में दो बार उन पर हमला हुआ, इत्तफाक से उनके परिवारीजन जग रहे थे, इसलिए वह बच गये। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। इसी तरीके से 04 नवम्बर, 2004 और 20 अक्टूबर, 2005 को हमारे विधूना के विधायक पर दो बार जानलेवा हमला हुआ, लेकिन उन्हें सुरक्षा-व्यवस्था तो देने की बात दूर, विधायक एफ0आई0आर0 लिखा रहा है, उसकी एफ0आई0आर0 तक नहीं लिखी जाती है। यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था है। मान्यवर, यह अन्तर्देशीय लिफाफा-पत्र है, जिसके माध्यम से हमारे झांसी गेरौथा के विधायक श्री बृजेन्द्र व्यास को धमकी भरे पत्र मिले कि बृजेन्द्र व्यास ब्लाक प्रमुख के चुनाव में तुम बहुत उचक रहे हो, तुम्हें पहले भी समझाया, लेकिन तुम नही मान रहे हो, इसलिए अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा, कुछ ही दिन में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा।

[समय 12.00 बजे]

एक दिनांक 6-12-2005 का, दूसरा पत्र दि0 7-3-2006 का है। मान्यवर, मैं आपके सामने इन बातों को इसलिए रख रहा हूँ जिससे मा0 मुख्य मंत्री जी इन सारे मामलों को गम्भीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दें और आसन्न खतरे से बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष--

आप ये सारे पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को भिजवा दीजिए, बार-बार कहने से क्या फायदा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, इसी तरीके से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये कार्य जिनमें कुछ बजट भी प्राविधानित हो चुका था, सरकार धन खर्च भी कर चुकी थी उसके लिए नये बजट की व्यवस्था नहीं है, वह कार्य लम्बित है इसलिए इसको भी माननीय मुख्य मंत्री जी संज्ञान में लेते हुए इसको अमलीजामा देने का कष्ट करें। इसके साथ ही योजनागत कार्यों के लिए बजट की व्यवस्था तो है लेकिन नई कार्य योजना, जो प्राथमिक आवश्यकतायें है, जगह-जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाँवों में महिलाओं के लिए जच्चा-बच्चा

केन्द्र होने चाहिए, बड़े पैमाने पर आज इसकी कमी है। इस गम्भीर और जनहित से जुड़े जो मसले है उस पर सरकार ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कन्या विद्या धन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए गहरी चिन्ता व्यक्त की। उनकी गहरी चिन्ता में हम भी साथ है लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आपकी चिन्ता सही तब मालूम होती जब उन बालिकाओं के पढ़ने के लिए बालिका माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाती। इस बजट में उनके पढ़ने-लिखने के लिए न माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों की व्यवस्था है। असंवित विकास खण्डों के लिए अलग से कोई धन प्राविधानित नहीं किया गया है। मान्यवर, कुल मिलाकर यह असंतुलित बजट है, पूरे प्रदेश के विकास को अनदेखा किया गया है। कुछ क्षेत्र विशेष के क्षेत्र के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह असंतुलित बजट है, इसे संतुलित होना चाहिए था। अंत में मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि वह इटावा के रहने वाले हैं। कल ही बढ़पुरा और पछाड़ गाँव थाने से 3 ग्रामीणों का अपहरण हुआ है। यह आपका जिला है, जब एक मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है तो प्रदेश के लोगों की रक्षा कैसे करेगा, इस पर भी सवालिया निशान उठता है।

श्री अध्यक्ष--

अब खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अन्तिम वाक्य कह रहा हूँ। यह बजट पूरे प्रदेश नहीं बल्कि यह बजट केवल एक जिले का, एक गाँव का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मान्यवर, इसी के साथ इससे ज्यादा हमको कुछ कहना भी नहीं है।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपना समय तो पहले ही पाल साहब को दे दिया था, आपका निर्देश है तो मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात रख दूँगा। आज बजट पर चर्चा का अंतिम दिन है। मैं कुछ सुझाव के रूप में कुछ बातें रख देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि यद्यपि कि यह सरकार का बजट होता है जो सरकार होती है उसका बजट होता है परन्तु बजट तो पूरे प्रदेश का होता है। बहुमत के आधार पर जो सरकार होती है वह बजट बनाती है और बहुमत के आधार पर इसे पारित करती है। मेरा सुझाव है, मैं जानता हूँ कि इरादतन नहीं होगा, पर कभी-कभी हो जाता है। आपने जहाँ धन्यवाद दिया स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के उल्लेखनीय योगदान का, आपने कहा कि जिस प्रदेश का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान है, जिस प्रदेश ने महान स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे कर्मशील विचारकों का जन्म हुआ। मान्यवर, यह सभी महापुरुष थे, मैं इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, एक आग्रह जरुर करना चाहता हूँ कि यह वह लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये काम किया और आजाद भारत आज ईमानदारी की सौगन्ध खानी हो किसानों के हित की बात करनी हो तो इनका नाम लिया जायेगा। इनके बगैर भारत का इतिहास अधूरा रहेगा। लेकिन एक विनम्र प्रार्थना और करनी है। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ नाम जोड़ने चाहिए जिन्होंने कौमी एकता का नमूना पेश किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय जी का नाम छूट गया है। क्या स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप लिख लेंगे बगैर स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के। उनका नाम छूट गया है वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। अब्दुल कलाम आजाद जिन्होंने नयी शिक्षा नीति इस देश को दी थी।

(किसी सदस्य द्वारा टोकने पर।)

श्री प्रमोद कुमार--

कभी-कभी समझ नहीं पाता हूँ जब कभी रात को गायन हो रहा हो तो एक राग होता है गंदर्भ राग, वह न अलापा जाय। वैसे मैंने कुछ कहा नहीं है आपको। मान्यवर, आपने चिन्ता व्यक्त की है मैं इसके लिये आपको शुभकामनायें भी देता हूँ कि 8 प्रतिशत सालाना विकास दर की बात आपने कही है। पर तीन वर्षो के आंकड़ें आप देख लें वर्ष 2003-04 में 5.9 प्रतिशत विकास दर है, 04-05 में यह 5.2 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 3.7 प्रतिशत के आस-पास यह है। तो आपको लंबी छलांग लगानी होगी तब यह दो गुनी होगी। मेरी शुभकामनायें हैं, मेरा सहयोग रहेगा अगर आप 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लें। आपको कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, उनको उठायें यह मेरा सुझाव है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी जब अखबारों में पढ़ता हूँ सच्चाई को सामने रख देना चाहिये, कभी-कभी यह कह दिया जाता है कि राजस्व घाटा है। माननीय टंडन जी ने और मौर्या जी ने जो कहा है उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता लेकिन निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि कभी-कभी यह होता है कि केन्द्रीय सहायता नहीं मिल रही है। मैं कुछ आंकड़े जो आपने दिये हैं उनको रख रहा हूँ। वर्ष 2005-06 में 17046.23 करोड़ रुपये करों में जो राज्य का अंश था वह मिला था। यह पुनरीक्षित होकर 18306.23 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2006-2007 में यह बढ़कर 21051.90 करोड़ रुपये हो गया। तो इस तरह से 115 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुयी है। यह आपको केन्द्र का सहयोग है आपको इसको मानना चाहिये। केन्द्रीय सरकार से आपको सहायता अनुदान मिला था 5083 करोड़ रुपये 2005-06 में अब बढ़कर 8030 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि जो हुयी है वह परिवहन विभाग से नहीं आयी यह केन्द्र से आयी है। यह वृद्धि जो हुयी है यह 126 प्रतिशत है इसको आप स्वीकार करें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

यह क्यों आयी है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैं तो यह कहूँगा कि यह सहयोग के लिये आयी है तो क्या बुरी बात है। मान्यवर, केन्द्र सरकार से कर्ज के तौर पर 402.65 करोड़ मिला तो इसमें 143 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।योजना आयोग से 19 हजार करोड़ रुपये मिला है। यह भी बढ़कर मिला है। तो मैं समझता हूँ कि केन्द्र ने जो कुछ वह कर सकता था किया है। अगर नहीं किया है तो अगर आप चाहेंगे तो सर्वदलीय

प्रतिनिधि मण्डल के रूप में मैं स्वयं चलूँगा और मेरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ चलेगी और प्रदेश के विकास के लिये योगदान के लिये समुचित प्रयास करेगी पर लालजी टण्डन जी को जरूर ले चलें उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता है, कही नहीं लगता है।

एक चिन्ता मेरी है। मैं सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ऋण विकास की निशानी होती है ऋण बहुत बढ़ गया है। वर्ष 2006-07 में राज्य पर कुल 13,791.22 करोड़ रुपए का ऋण हो गया है। एक लाख 37 हजार करोड़ रुपया छोटी संख्या नहीं है इसको हम अगर मानकर चलें तो लगभग 17 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति पर जो बच्चा पेट में पल रहा है उस पर भी 8,112.42 रुपये का ऋण होगा। मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता की आपने बात कही मैं कहता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण कदम है इसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन आपने यह कही नहीं दिखाया कि इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करेंगे। उसकी भी घोषणा हो जाय तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाय। 500 रुपये के हिसाब से देना शुरूआत के लिए अच्छी बात हो सकती है लेकिन इसे जितना बढ़ाया जा सकता हो, बढ़ाया जाय। मेरा सुझाव है मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ जो आपके लिए हितकर है, प्रदेश के लिए हितकर है इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त न हो इस दिशा में क्या प्रयास किया है ? राजस्व मंत्री जी महत्वपूर्ण बात है। कृपया मुख्य मंत्री जी को हमारी बात सुनने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव --

आपकी बात हम सुन नही पाए इसलिए वह पूछ रहे थे।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन) --

बहुत सी बाते सुनने लायक नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार --

मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि हर ब्लाक प्रमुख को 100-100 हैण्ड पम्प देने की बात हुई है। एक विधायक के क्षेत्र में तीन-तीन ब्लाक आते हैं। इसलिए हर विधायक को 300 हैण्ड पम्प देने की घोषणा करें इससे कम में हमारी हकतलफी होगी। मैं यह जरूर कहूंगा कि यह हैण्ड पम्प हमारे घर से एक कि0मी0 के बाद ही लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिद्धार्थ नगर की बात अलग से कही है। यह चुनाव का वर्ष है अगर ब्लाक प्रमुख 100 हैण्ड पम्प लेकर जाएगा और हम 10 हैण्ड पम्प लेकर जाएंगे तो इससे आपकी बेइज्जती होगी। एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपकी सिद्धार्थ नगर की सड़क बहुत खराब है मैं आपके क्षेत्र इटवा गया था वहां पर भी सड़क बड़ी खराब है। शिवपाल जी एक नए उभरते हुए सितारे है मेरी शुभकामनाएं है कि उनका भविष्य और उज्जवल हो। पिछली बार आपने पांच कि0मी0 सड़क हर विधायक को दी थी वह पास भी हो गई है और बननी भी शुरू हो गयी है इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर , कैलेन्डर तो हर साल छपता है ऐसा नहीं है कि एक साल छप कर बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करिये। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है। (व्यवधान) आपने सारे माननीय विधायकों की भावनाओं को भड़काया है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पिछली बार यह विभाग आपके साथ था और इस वर्ष दो तीन विभाग और आपके पास बढ़ गये हैं। इसलिये आपसे निवेदन है कि 10 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में हो जाय। मान्यवर, नरेश अग्रवाल जी ने एक परम्परा शुरू की थी कि हर विधायक को पाँच गाँव में बिजली देने की बात शुरू की थी, आजकल रुकी हुई है। मैं चाहूँगा कि नरेश अग्रवाल जी ने पांच गाँव बिजली वाला शुरू किया है तो आप 10 किमी0 सड़क अवश्य कर दें। नरेश जी नरेश हैं तो आपका कद उनसे दुगना बड़ा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 300 हैण्डपम्प, 10 किमी0 सड़क और 10 गाँव बिजली के लिये दिये जायं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव का समय है। मान्यवर, उनसे नहीं माँगते हैं जो नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनसे माँगो तो नहीं मिलता है। आपसे माँगने पर मिलता है। और अन्त में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी अंतिम बात अंतिम ही होगी मौर्या जी की तरह हर अंतिम के बाद फिर अंतिम नहीं होगी। मान्यवर, प्रदेश के समग्र विकास के लिये 403 भागों में बाँटकर विधायकों के माध्यम से जिस तरह से विधायक निधि दी है वैसे ही 300 हैण्डपम्प, 10 किमी0 सड़क और 10 गाँव विद्युतीकरण के लिये दे दें तो उससे उत्तर प्रदेश जगमगा उठेगा और आपके प्रति जो भावना प्रदेशवासियों की होगी उससे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

दो लोग एक हुकुम सिंह जी और एक और बोलना चाहते हैं उनको 2-2, 3-3 मिनट का समय अगर थोड़ा दे दिया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आप जानते हैं, हमारी जो मजबूरी है तो अगर यह लोग लिखकर दे दें तो यह कार्यवाही में जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लोग लिखकर दे दें तो यह आज की कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा और हम इसको प्रोसीडिंग में लिखवा देंगे। आज ही लिखकर दे दें। †

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं वायदा याद दिला रहा हूँ पिछली बार सचिवालय में मार्शल के नीचे के जो लोग हैं इनके पदनाम में परिवर्तन करने की घोषणा की गई थी और मंत्रि-परिषद् में उसका निर्णय भी हो गया उसके बाद भी वह अभी तक लागू नहीं हो पाया है, उसको लागू करवा दिया जाय। इसी तरह से इनको जो पौष्टिक भत्ता मिलता है वह बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया जाय क्योंकि इनका हृष्ट-पुष्ट होना जरूरी है।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, बजट सत्र के बाद अनुग्रह राशि प्रतिवर्ष यहां के कर्मचारियों को दी जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† देखिये मा0 अध्यक्ष के निर्देश नत्थी क आगे पृष्ठ 89-96 पर।

पिछली बार विधान सभा के कर्मचारियों को यह 1200 रुपये दी गयी थी। मेरा यह निवदन है कि इस बार होली का अवसर भी साथ-साथ है इसलिये कुछ ऐसी घोषणा करें ताकि इनके परिवारों को होली अच्छी तरह से हो जाय और यह सरकार के प्रति आभारी हों।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह घोषणा कर दें कि होली का त्योहार मनाया जायेगा कि नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने होली का बहिष्कार कर रखा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते है कि हमारी सुविधा के अनुसार आपने हमको बोलने का अवसर दिया। मुझे इस बात की खुशी है और धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ नेता विरोधी दल माननीय टण्डन जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांग्रेस के नेता प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल जी, मुझे इस बात की खुशी है, शायद इतने लोगों ने बहस में हिस्सा शायद ही पहले कभी लिया हो। करीब 46-47 लोगों ने बहुत दिनों के बाद प्रदेश में अपनी राय और सुझाव, और जो हमारी कमियां हैं, बजट में, कहने का प्रयास किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। अच्छे सुझाव भी हुए हैं। बहुत दिनों के बाद सदन में ऐसी बहस देख रहा हूं। महत्वपूर्ण सुझाव सदन में हो रहे हैं, इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों और माननीय नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

(मेजें थपथपाई गई)

नेता विरोधी दल ने जहां तक बजट के संबंध में कहा भूमिका, अंतिम और समापन बहुत अच्छा है। लेकिन जब अन्दर पढ़ा तो भाषण ही भाषण है। भाषण की चतुराई और कार्यकुशलता जो है वह है, और कुछ है ही नहीं। आप नेता विरोधी दल हैं, विरोधी दल का महत्वपूर्ण पद होता है। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कहलाता है, होता भी है। शुभकामना है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आप ही बनें, मुझे आपत्ति नहीं है। आपने बजट भाषण पढ़ा ही नहीं, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, इसके माने आपने यह पढ़ा ही नहीं। यह सच्चाई है, यह ऐसी सच्चाई है जिसको मिटा नहीं सकते हैं। न योजना आयोग मिटा सकता है न कोई और मिटा सकता है। यह सच्चाई है कि प्रदेश में 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्व घाटा नहीं है, 1123 करोड़ राजस्व सरप्लस है।

(मेजें थपथपाई)

प्रमोद कुमार जी, बिना किसी की सहायता के, काला बाजारी के बारे में बाद में जवाब दूंगा। व्यापारियों पर उंगली उठाई, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिलकर, व्यापारियों ने बैठकर सुविधायें दी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह सरकार चलती है उसको हम जानते हैं। उन्होंने बहुत योगदान दिया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उसका परिणाम है 30 साल में राजस्व घाटे को पूरा करके 1123 करोड़ सरप्लस कर दिया। यह मामूली बात नहीं है। एक-आध सूबे को छोड़कर हिन्दुस्तान में यह पहला प्रदेश है जिसने यह किया। यह हमारी उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसको पिछड़ा कहा जाता था, अपमानित किया जाता था, अब कोई पिछड़ा नहीं कह सकता है

विकसित प्रदेश जो काम नहीं कर सके वह हमने किया है। लक्ष्य था, 2009 तक पूरा करना चाहिए था राजस्व घाटा। यह किसी ने नहीं किया। केन्द्र सरकार भी नहीं कर सकी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कर दिखाया है। केन्द्र सरकार अपना राजस्व घाटा खत्म नहीं कर पाई । यह मामूली उपलब्धि है। इसे पढ़ा था क्या ? यह भाषा नहीं है, असलियत है। इसमें सत्यता है, पहली बार जो हमें मिला है योजना आयोग से 19 हजार करोड़ रुपया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रमोद कुमार जी आप विद्वान हैं कैसे पैसा मिलता है आप जानते हैं। उनकी शर्तें हैं। उनकी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। उन्होंने शर्तें रखी थी। उन्होंने पहले 70 फीसदी कहा था, उन्होंने कहा कि आपको 1200 करोड़ करना पड़ेगा। हमने 1500 करोड़ किया, यह सच्चाई है। योजना आयोग का जो पैसा मिलता है किसी की कृपा पर नहीं मिलता है। राज्य सरकार की परफारमेंस और कार्य कुशलता है। संसाधन जुटाने पड़ते हैं, उसके आधार पर मिलता है और अपना हिसाब लगा लेना, 20 हजार करोड़ रुपये हमें मिलना चाहिए था, जितनी परफारमेंस रही है और संसाधन जुटाये हैं, उसके अनुसार 20 हजार करोड़, 21 हजार करोड़ रुपये मिलना चाहिए था। वैसे हम संतुष्ट हैं। यह मामूली बात नहीं है उन्होंने माना, पिछली बार साढ़े तेरह हजार करोड़ दिया था तो उन्हें विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार इसे खर्च कर लेगी लेकिन हमने साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपये खर्च करके दिखा दिया। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, हमें 19 हजार करोड़ रुपये योजना आयोग ने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं, 20 हजार करोड़ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, नेता विरोधी दल, आप बहुत जिम्मेदार हैं, इतने काम हुए हैं लेकिन धन्यवाद, बधाई देने में आप इतने कंजूस हैं। मैं तो जानता ही नहीं था कि आप बधाई भी नहीं देंगे। हुकुम सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, जो चाहते हैं, सीमा से निकल कर बोल देंगे, कोई भी शिकायत कर दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेता सदन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो आपने धन्यवाद और बधाई देने में कंजूसी की है, वह भविष्य में न करें। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बधाई और धन्यवाद देंगे।

ऐसा बजट, मैं आज कह सकता हूं, कोई हिन्दुस्तान के बजट को निकाल कर देख ले, सबसे बेहतर बजट उत्तर प्रदेश का है। उन्हें आश्चर्य है, आज प्रमुख लोगों का आशीर्वाद कैसे मिल गया ? उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ मिलना चाहिए था, कम दिया है, मैंने नहीं मांगा। इसलिए मैं बताऊंगा, यह क्यों मिलता है। वह केवल यू0पी0 को ही नहीं मिलता है। उसकी एक नीति बनी है, उसके अनुसार मिलता है। इसलिए यहीं पर कहना चाहता हूं कि कितने प्रदेशों को विशेष पैकेज दिया है, कितने प्रदेशों को पैकेज दिया है। भारत एक है कम से कम हम गरीब पिछड़े हैं, उनको कह नहीं सकता, मैंने चिट्ठी लिखी, मिलकर कहा, वित्त मंत्री से मिला भी, यहां वित्त मंत्री आए, सही है, उनके मन में था कि अन्याय हो रहा है। चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, सबको दिया है, मुझे खुशी है। आपकी सरकार ने पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा सबको विशेष पैकेज दिया है। मैंने अनुरोध किया कि यह प्रदेश आपका है, सबका है, संघीय ढांचा है, उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने विशेष पैकेज नहीं दिया। हमने जब चिट्ठी लिखी, अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिट्ठी पढ़ लें तो प्रमोद कुमार को बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या देश की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। इस बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, गरीबी से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। माननीय प्रधान मंत्री जी को बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए। मैं भी दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कोई नीति ही नहीं है उन्हें लिखना चाहिए था कि दिक्कतें तो हैं, लेकिन विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कोई नीति नहीं है। बताइए आपकी क्या नीति है फिर ? आज बेरोजगारी की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे गम्भीर समस्या है। जिस दिन बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी तो गरीबी मिट जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया है।

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। नेता विरोधी दल ने लोक लेखा प्राप्तियों को जोड़े बिना ही कह दिया कि 23 सौ करोड़ रुपये का घाटा है। यह गलत है। मुझे आश्चर्य है। अगर आपने लोक लेखा की प्राप्तियों को पढ़ा होता तो यह न कहते। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद में कंजूसी कर दी है। कंजूसी ही कंजूसी आपके भाषण में है। पूंजीगत व्यय में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। मान्यवर, प्रदेश में नई परिलब्धियों का सृजन होगा और रोजगार के अवसर देंगे। यह सही है कि व्यस्तता रहती है, लेकिन उसमें समय निकालकर हम भी जानकारी करते रहते हैं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल इसे नहीं पढ़ पाये, इसलिए ऐसा भाषण दे गये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल का बजट था 69 हजार करोड़ का और इस साल का बजट है 83 हजार करोड़ का। 20 प्रतिशत हमने बजट बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। श्री मौर्य जी को पढ़ना-लिखना है नहीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा विकास की गति क्या हो सकती है, बिना केन्द्र सरकार की मदद के। वह मदद कैसे मिलती, क्या मिलता है, वह जानते हैं। वह मदद केन्द्र सरकार की मदद नहीं कहेंगे, इसके लिए योजना बनी है पूरे देश के लिए, उसके तहत मिलता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो उन्होंने बंद कर दीं लेकिन हमने उन्हें चलाया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ? हमारी प्राथमिकता है किसान और किसान का विकास बिजली के बिना नहीं हो सकता। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और किसान के लिए भूमि सेना का गठन हमारी प्राथमिकताओं में है। इन प्राथमिकताओं में हम आगे बढ़े हैं।

मान्यवर, सड़क, पुल भी हमारी प्राथमिकताओं में हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बीजों की अधिसूचित प्रजातियों पर 200 रुपये प्रति कुन्तल का अनुदान देती थी और इस बीच बीजों के दाम भी बढ़ गये। हमारे कई बार अनुरोध करने पर भी केन्द्र सरकार ने अनुदान की राशि में वृद्धि नहीं की। अब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने संसाधनों से हम 120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 24 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था कर ली गयी है। यह हम उनसे नहीं कह सकते हैं, मजबूरी हो सकती है उनकी, क्योंकि वह भी घाटे में चल रहे हैं। लेकिन मुश्किलों के बाद भी उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। यह तो लोकतंत्र है, यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि राज्यों में किसकी सरकार है। आप किसी और को जितना चाहें दें, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे पक्ष में है, उसे तो दीजिये। किसान के प्रति हम मांगे और आप दे नहीं पा रहे हैं लेकिन हमने खुद दिया है और यह हमारा प्राविधान है। इसी तरह से हमने यह सुनिश्चित कर दिया कि किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ बिना किसी कठिनाई के मिलेगा और मिला। किसान हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमने किया है।

इसके लिए योजना के अंतर्गत प्रीमियम पर आने वाले व्यय के लिए बजट को बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया है। जो-जो मैंने कहा है उसके लिए बजट में प्राविधान है और किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए 2004-05 में गन्ना मूल्य की काफी वृद्धि हुई । उसके फलस्वरूप माननीय हुकुम सिंह जी को पता है, छः सौ करोड़ का लाभ हुआ है।

आज हमने नीति बनायी और उस नीति के अनुसार चार सौ करोड़ का अधिक लाभ होगा। और इसी के साथ-साथ जो यह कहा गया है कि उद्योगपति नहीं आ रहे हैं, मौर्य जी, चाहे जितना कहिये कि कानून व्यवस्था खराब है, यहां का वातावरण खराब है, चार हजार करोड़ रुपया चीनी कारखानों में उद्योगपतियों ने लगाकर दिखा दिया है। आप कहते हैं कि खतरा है और कहते हैं कि उद्योगपति आने को तैयार नहीं हैं। आप जैसे नेता सदन में हैं, बड़ी पार्टी बन गये हैं, यह हम लोगों की कमजोरी से बड़ी पार्टी बन गयी। कभी नहीं समझौता कर सकते थे हम। जब हम बाद में निकले तो पता चला। जनता के बीच निकले तो पता चला। जैसे ही प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर और आस-पास का दौरा हमने किया, पहला समझौता करने के बाद, तो लोगों ने कहा कि आपने यह क्या कर डाला। पत्रकारों ने कहा, पढ़े-लिखे वकीलों ने कहा, लड़ाई क्यों की है ? मस्जिद किसने बचायी, किसने गिरायी, लड़ाई यह थी। इससे मेरी अच्छी-अच्छी जो पूरब की सीटें थीं, वह चली गयी। आज यह वहीं का लाभ उठा रहे हैं। अगर समझौता नहीं किया होता तो लड़ाई दो के बीच होती मस्जिद किसने गिरायी और मस्जिद किसने बचायी। मेरी यह भूल थी और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जनेश्वर प्रसाद जी ने रोका था, ज्योति बसु जी ने रोका था, सुरजीत जी ने रोका था, उन्होंने मुझे समझाया था लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने वचन दिया है, अब मैं उस वचन का पालन करूंगा। हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ा अपमान झेलना पड़ा था। लाल जी टण्डन जी फिर भी अच्छे थे जो उन दिनों बात करते थे।

मैं कैलाश मिश्र जी और लाल जी टण्डन को नहीं भूलूंगा, जिस समय संकट में हम थे, गोलियां चल रही थी, लाखों की तादाद थी, उन दिनों कहते थे हमें बचाओ, सम्भालो। नानाजी देशमुख जी को कभी नहीं भूलूंगा, उन्होंने कहा था, वह भी सही है और आप भी सही है, रास्ता निकाल लें। आज नानाजी देशमुख और गिरिराज किशोर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इन दो व्यक्तियों ने बीच में पड़ करके रात में तीन बजे पंचायत हुई, वहां पर एक हुए, उन्नाव के लिए चलने में नवाबगंज के पहले है, 27 किमी0 है यहां से, जो भी है, उसमें मीटिंग हुई, पूरे बीजेपी के लोगों की, एक कौशल किशोर की, हम अपने घर पर तीन बजे तक बैठे रहे और साढ़े तीन बजे उन्होंने स्वीकार किया और नानाजी ने कहा सेवा दल को बदल दो। मैंने बदल दिया और मैंने कहा कि मेरी एक पुलिस नहीं जायेगी, आपके जिम्मे छोड़ता हूं, कौशल किशोर और गिरिराज किशोर जी और नाना जी ने कहा मत भेजो। मैंने एक पुलिस नहीं भेजी। उसके बाद कार सेवा को दर्शन सेवा में बदला गया, मैंने बसें लगा दिया, आगे पिस्टल लेकर के दस्तखत करते हुए सब निकले तो नाना जी देशमुख का मैं आदर करता हूं उनकी बात को मैंने माना और आगे उनकी लाइफ बचाई । गोलियां चलतीं और ज्यादा चलतीं यह सही है कि 16 की जानें जब गई, और जाने जा सकती थीं, लेकिन मस्जिद की एकता, मस्जिद का सवाल नहीं था, देश की एकता का सवाल था। इतनी बड़ी माइनारिटी का विश्वास टूट जाता। उन्हें विश्वास हो गया कि हिन्दू खड़े हो गये, हिन्दू के साथी खड़े हो गये, उन्हें परवाह नहीं किसी की, उसका लाभ उठा ले गये आप और आप कहते थे कि मस्जिद कहां, यहां पेशाब घर बना दो।

(विपक्ष के अनेक सदस्य इस बात का विरोध करने लगे और अपनी-अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब बोलने से क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब वह बोलने के लायक नहीं हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं माननीय काशी राम जी का बहुत आदर करता हूं। बात के पक्के हैं, वचन का पालन करते थे और सही बात बता दो तो मान लेते थे, लेकिन पीछे के लोगों ने खराब कर दिया दिमाग बेचारे का बन्द कर दिया। मौर्य जी अभी आपको बन्द कर दिया जाय और किसी से मिलने न दिया जाय तो खुद पागल हो जाओगे। मैं बता रहा हूं दिल की बात। मैं और अमर सिंह उनसे मिलने गये तो उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, बिल्कुल सही माननीय नेता थे, कहीं काशी राम जी के दिमाग में कुछ नहीं, कहीं नहीं, चुपचाप अब वह यह देखें कि कहीं वह तो नहीं है। यह सच्चाई मैं कह रहा हूं, मेरे नजदीक पहुंचे और धीरे से कहा कि दरवाजा बन्द कर दो। दरवाजा बन्द करवाया, सबको हटाया बताओ पागल हैं ? बोल नहीं पाते हैं, सबको हटवा दिया और हटा करके बैठ गये। सच्चाई बता रहा हूं। अमर सिंह ने कहा पहचाना ? उन्होंने कहा पहचाना नहीं ? मैंने पहचाना भी है, उनको मुख्य मंत्री बनाया। यह सच्चाई है। इनकी थोड़ी बहुत भूल है हम लोगों की ज्यादा भूल है। असली समझौता यही था। बताओ पागल है ? बताओ, बोल नहीं सकते थे ? किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप लोग हमेशा सुनने की क्षमता रखें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य इस बात का विरोध करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय दद्दू प्रसाद जी आप बैठ जायें, माननीय नेता सदन को सुन लें, मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठ जायें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सुनो भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि एक भी खड़े मत होना, कोई नहीं बोलेंगे। अनुशासित जैसे आप लोग हो, वैसे ही रहो।

पार्लियामेन्ट में यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है। यह कहा है स्पीकर साहब ने कहा है। आपके जो शिव सेना के स्पीकर साहब थे जोशी जी, उन्होंने मुझे बधाई दी है कि मैं अपने सदस्यों को हाथ दिखा देता हूं तो सारे एम0पी0 चुप हो जाते हैं। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया जानती है कि अगर ऐसा न होता तो उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता ? इसका है जवाब आपके पास ? (सत्तापक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मां को जाना पड़ा, परिवार को जाना पड़ा।

श्री ददू प्रसाद--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप शांत हो जायें, माननीय नेता सदन ने केवल इतना कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गये क्या यह गलत है ?

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी आप तो नेता हैं आपको प्रक्रिया पता है कि जब तक माननीय नेता सदन नहीं बैठेंगे तब तक आपको मैं अनुमति नहीं दे सकता। वे बैठ जायें तो आप बोल लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

नहीं लिखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मैं और मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, इनको उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। यह केवल व्यापारी, धन्धेगीर हैं। रुपया देकर टिकट लेंगे। धन्धेगीर है, व्यापार करते हैं, राजनीति नहीं।

मान्यवर, मैंने गलत क्या कह दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा परिवार को ? यह सही बात है। माननीय हुकुम सिंह जी, वह व्यक्ति 70 के बाद साइकिलों पर पूरे देश में घूमा, संगठन बनाया। बहुत सच्चा व्यक्ति है। एक आ गयी, लग गयी पीछे। वे सब यह सुनना नहीं चाहते थे। (हंसी) इसमें क्या बुरा है ? मैं सच्चाई कह रहा हूं। अब सच्ची बात हमने कह दी। कहा कि अधिकारी कैसा है, इस सवाल को छोड़ दो, कहा कि लेकिन उसको समझा लेना। मजबूरी हो गयी, पूरा अधिकार दे दिया है। हम समझाते थे, बुलाते थे, 3-3 घंटे बिठाते थे। नाश्ता, चाय, पानी सब कराते थे और तीन घंटे से कम नहीं लेती थीं। (हंसी) (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) अब वह बातें नहीं कहेंगे। आज दुनिया में, आज वह दुनिया में नहीं हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठ चुके थे, मुझे बुलाया, कहा कि इसको मनाने में क्या देर लगती है, मैंने कहा नहीं (हाथ जोड़कर)। और क्या करें, इनको दिखाना पड़ा, बताना पड़ा क्या है ? बदली जा सकती है उत्तर प्रदेश की जनता की तकदीर।

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में सुझाव दें, मदद करें, हम स्वीकार करेंगे सुझाव। मौर्य जी जो कहेंगे हम सुझाव स्वीकार करेंगे। लिखकर दें। सही है सुझाव, स्वीकार करेंगे। जैसे इन्होंने उठाया सवाल, मैं जानता हूं उन विधायकों ने क्या किया अत्याचार। कमिश्नर की रिपोर्ट, उसके बाद भी हमने पूरी सुरक्षा दी। यही उठा था। आपने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, जांच नहीं करेंगे। आपने जांच तक रोक दी। जांच में कहां सजा दे रहे थे ? कमिश्नर की रिपोर्ट माननीय प्रमोद कुमार जी पढ़िये, क्या किया है। गोलियां खुद चलाईं, खुद। जिनसे कहा उनसे जांच कराई । आपने माननीय अध्यक्ष, रोक दी कार्यवाही करने से, मैंने मान लिया। याद कीजिए रिपोर्ट पढ़ लीजिए ऐसे-ऐसे लोग हैं। इंसानियत और मानवता से उनको जो कुछ कीजिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह राजनैतिक दल नहीं है यह गिरोह है। यह सच है कि गिरोह है। गलती हमने भी की और गलतीआपने की और सत्यानाश कर दिया। माननीय प्रमोद कुमार जी, मैं गारन्टी करता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी को खत्म किया इस विधान सभा में। 40 फीसदी भीख मांगने वाली पार्टी कभी नहीं थी कांग्रेस पार्टी। मैं कह सकता हूं, कभी भीख मांगने वाली पार्टी नहीं थी। आपने भीख मांगी 200 की, पौने दो सौ की, डेढ़ सौ की। मुझे पता है। सुनिये, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं और कोई नहीं जानता। माननीय सीताराम, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने कहा यह क्या कर रहे हो ? 40 फीसदी जाटव हमेशा आपके साथ रहा है। आपने रास्ता दिखा दिया तो कांग्रेस चली गयी। आपके बड़े कर रहे हैं निराश, आपको पता नहीं कितने बड़े-बड़े नेता आपके इटावा में थे। किशन लाल जैसा नेता आपको मिलेगा नहीं। आज भी कांग्रेस का झंडा लिये हुए हैं, 95 साल की उम्र है। चौधरी रघुराज सिंह, श्रद्धानन्द दूबे, यह सब हैं। तो, सिद्धनाथ पाण्डेय वकील, सी0 के0 चतुर्वेदी, सारे पर पानी फेर दिया, बरबाद हो गयी पार्टी। अगर 425 लड़े होते तो पार्टी खड़ी रहती, चाहे भले हार जाती। मेरा, जैसा मैं हार गया 1990-91 में। 423 विधान सभा 40-48 लोक सभा और हमने राम सरन दास से कहा पार्टी बनाओ और पार्टी बन गयी। पूरी सीटों पर लड़े भले जमानत जब्त हो जाती, हार जाते, अगर यह कर दिया होता तो आपकी पार्टी नम्बर दो पर होती। बरबाद कर दिया।

एक बार ये आ गये पूरब की पूरी सीटें ले गये। ये 69 सीटें जीते थे उसमें 54 सीटें पूरब की थीं। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर सब ले गये, हुई गलती। ज्योतिबसु जैसे अनुभवी लोगों ने कहा, क्या बातें करते हो, लड़ो अकेले। गलती हो गयी। लड़ते अकेले तो हम 109 जीते थे। इसलिए मैं गारन्टी करता हूं कि 150-155 आते, लड़ाई दो ही की थी। मैं आज कह रहा हूं कि बी0जे0पी0 और समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी। वह लड़ाई ठीक थी। अच्छा लगता, हम और आप लड़ते। फिर आप चले गये तो आपका देखो क्या हाल ?

आपने बरबाद किया। आप क्या समझते हो ? उच्च वर्ग को कितना बुरा लगा है, जब दुरुपयोग हुआ है, अनुसूचित ऐक्ट का। कौन गया था मेरे साथ जेल में ? मथुरा के लोगों ने कहा, पहले मैंने गालियां दी, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्राली लेकर आन्दोलन किया, बी0जे0पी0 ने। आप कभी धरातल पर देखते हो कि क्या भावना है ? भाई -बहन राखी बंधवा रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता

हूं, आप देखें। पशु चिकित्सालयों के लिये मैंने 26 करोड़ रुपये रखा है। आज मैं कहना चाहता हूं, आप गेहूं, धान और सब उपजों को जोड़कर देख लें, उससे कितना रेवेन्यू मिलता है और कितना पशुधन से मिलता है। यदि इसमें मीट को भी जोड़ लिया जाय तो थोड़ा ही अन्तर है। मान्यवर, यदि हमारा पशुधन सुधर जाय तो पूरे किसान की हालत सुधर जायेगी। केवल दो भैंस ही किसान की गरीबी को दूर कर सकती है। मैंने इसका हिसाब लगाया है। चाहे गन्ना हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, सब हिसाब लगा लें कि इससे रेवेन्यू कितना है और पशुधन से रेवेन्यू कितना है। यह हम और आप जानते हैं क्योंकि हम किसान हैं। कभी-कभी एक भैंस से ही पूरा परिवार चल जाता है। इसलिये हमने जानवरों के अस्पतालों के लिये ज्यादा पैसा दिया है और आगे और जरुरत होगी तो और देंगे। इसी तरह से सिंचाई के लिये भी हमने बजट बढ़ाया है। वर्ष 2005 में जितना था उससे 30 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर अब 3320 करोड़ देने का काम किया है। इसमें हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। सभी ने हमें सहयोग दिया है।

माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय नेता प्रमोद कुमार ने सहयोग किया है सदन चलाने के लिये। मेरी सुविधा के अनुसार, कभी मेरे स्वास्थ्य को देखते हुये, या कहीं अन्य कोई समस्या है, मैं तो आपसे भी छुट्टी लेकर जाता हूं। सारी परम्पराओं को बनाये रखने में आप लोगों ने सहयोग किया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से करता हूं। ऐसा वातावरण हमें कभी सामने वालों ने नहीं दिया। भाग कर टेलीफोन करेंगे दिल्ली कि अब क्या करें। लेकिन आप पर ऐसा कोई भार नहीं है, मैं जानता हूं। और हम तो खुद हाईकमान हैं, हमें क्या जरूरत ? इसलिये आज हम कहना चाहते हैं हुकुम सिंह जी, आपकी शिकायत सही है। वर्ष 1993 में 3 महीने के अन्दर टेल तक पानी हमने पहुंचा दिया था। पत्थर जो गड़ा है, उसी के अनुसार करा देंगे । उस पत्थर के बराबर जिस दिन सफाई करा देंगे, टेल तक पानी पहुंच जायेगा।

[समय 1.00 बजे]

हम बच्चे थे, लेकिन जानते हैं कि जब सफाई होती थी तो जब तक पत्थर नहीं मिलता था, तब तक सफाई होती रहती थी। अब तो केवल सफाई दिखा देते हैं। अगर पत्थर तक सफाई हो जाएगी तो पानी पहुंच जाएगा। पानी पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि केवल पानी पहुंच जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि खेतों की सिंचाई भी हो। वह मेरे साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे सिंचाई मंत्री ने काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उन्हें हटना पड़ा। वह स्थानीय स्तर का मामला था। वह हमारे साथ के लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हम लोकदल के साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम टेल तक पानी तीन महीने में पहुंचायेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि केवल पानी पहुंचायेंगे, बल्कि सिंचाई भी होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

पहले वाले सिंचाई मंत्री कहां गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह उनकी पार्टी का फैसला है। मामूली बात है कि उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया ? यह मामूली बात नहीं है क्योंकि अब उन्हें मंत्री बनाने का काम दे दिया है। वह मंत्री और अध्यक्ष बनायेंगे। अध्यक्ष महामंत्री नहीं बनायेगा, वह उनसे ऊपर हो गये हैं। नये सीमान्त बन्धों के निर्माण तथा बचाव के लिए हमने 86 करोड़ रुपए रखे हैं। जैसे तटबन्ध है गंगा का है या कहीं का भी है।

हमारे क्षेत्र में भी है, शाहजहांपुर से लेकर पूरे इलाके में है, जिसमें किसानों की जमीन जा रही है। जहां-जहां भी है, आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में हैं, अगर वहां पर अरबों रुपया लगा दिया जाए तब भी नहीं हो पायेगा। हमने काफी रुपया लगाया है, लोगों की जमीनें जा रही हैं, यह बहुत गम्भीर संकट है। वहां शारदा नदी है। मैं वहां पर गया था और मैंने तो हेलीकाप्टर दुर ही खड़ा करवा दिया था और जब तक हम वहां से देख करके लौटे, पानी हमारे हेलीकाप्टर तक पहुंच गया था। इस प्रकार से यह बहुत बड़ा संकट है। हमने अरबों रुपया लगाया और बेकार गया। इसमें बहुत रुपया लगाया लेकिन सफल नहीं हो पाये। लेकिन फिर भी हम प्रयास में हैं, नयी टेक्नालॉजी आ रही है, हम इसमें प्रयास करेंगे। हमारे साथी प्रमोद कुमार जी अगर कुछ करें और अगर दिल्ली की सरकार इसमें लग जाए और हम भी इसमें हिस्सा लें तो यह समस्या हल हो सकती है। यह बहुत बड़ी समस्या है, गांव के गांव पानी में चले जाते हैं। अगर इस कटान को रोकने के प्रयास में हमारे तिवारी जी मदद करें, तो हमें बड़ी खुशी होगी और आप चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं।

अगला है, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ पहले भी किया है। वर्ष 2006-07 में हमने इसके लिये 404 करोड़ रुपए रखे हैं और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने एक लाख पैंतीस हजार नये हैंडपम्प लगाने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख पैंतीस हजार हैंडपम्प लगेंगे। आपकी भी जो चिन्ता है हैंडपम्प की, वह भी दूर हो जाएगी। तीस हजार हैंडपम्पों को रि-बोर कराया जाएगा और काफी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हमारी पार्टी का 57वां चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक योजना 'साथ-साथ योजना' के नाम से है। आज पूरे हिन्दुस्तान को खुल करके एक राष्ट्रीय जलनीति बनानी चाहिए। संकट आयेगा किन्तु दूरदृष्टि से काम करें। जहां तक पं0 जवाहर लाल नेहरू का सवाल है, आज हम कह सकते हैं, देश के शानदार नेता, बेहतर नेता थे, जिसने गंगा में कूदकर अपनी जान की परवाह नहीं की, बड़े घर के थे लेकिन बहुत जबरदस्त कुर्बानी दी। कोई कहता रहे लेकिन पं0 जवाहर लाल नेहरू, मालवीय जी का क्या कहना है ? मालवीय जी ने आजादी दिलायी थी, गांधी जी को बुलाकर। गांधी जी ने मालवीय जी को डांटा था, बड़े-बड़े राजा-महाराजा सोने का हार, चेन लाखों-लाख रुपये के पहनकर आये तो गांधी जी ने क्या कमेण्ट किया था ? बहुत बुरा भला कहा था कि हमें बुला लिया, मालवीय जी की वजह से चले आये। तब मालवीय जी ने पानी नहीं पिया और गांव-गांव घूमकर धन एकत्र किया। आज उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाया है। आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है। उन्होंने गांधी जी को बुलाया है। यह सब मुझे पता है। उस विश्वविद्यालय से राज नारायण जैसे लोग, जय प्रकाश जी जैसे, डा0 लोहिया, आचार्य कृपलानी जैसे लोगों का संबंध रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। पब्लिक मीटिंग में कहता हूं, नेहरू की देशभक्ति से कोई इंकार नहीं कर सकता है। उनकी आजादी की लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा नीतियों का विरोध था, आज भी है। पता नहीं इनसे लड़ रहे हैं या हमसे लड़ रहे हैं, यह आपको तय करना पड़ेगा।

माननीय प्रमोद कुमार जी, हम चिन्तित हैं इस बात के लिए कि पूरी शक्ति मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ने में लगा रहे हैं। इनका तो फर्ज है, यह लड़ेंगे, तो लड़ें, अच्छी बात है, उनका काम है, इनकी विपक्ष में बैठकर लड़ाई है। ये भागने वाले लोग (ब0स0पा0) सेकुलर है ? तीन बार इनसे (भा0ज0पा0) समझौता करके सरकार बनायी। अगर मुलायम सिंह व समाजवादी पार्टी सेकुलर नहीं है तो दुनिया में कोई सेकुलर नहीं है। राष्ट्रीय एकता की लड़ाई में किसी ने कुर्बानी की है तो

समाजवादी पार्टी ने की है। सारी तकलीफें झेली है, मानसिक तकलीफें झेली होती हैं। हिन्दुओं ने बहिष्कार किया है। मुझे कहा गया कि यह हिन्दू नहीं है। यह भी कहा गया कि माँ या बाप जरूर मुस्लिम हैं। हम इतिहास को, अयोध्या से ले करके अब तक के इतिहास को झुठला नहीं सकते हैं। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज आतंकवाद को रोकने का प्रयास और हिन्दुस्तान को बांटने से रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) जिस दिन हिन्दुस्तान में लोगों का विश्वास उठ जायेगा, तो लोग खड़े हो जायेंगे। पंजाब के लोग खड़े हो गये थे तो मुश्किल बढ़ गयी थी। इंदिरा जी शहीद हो गयी उसके बाद हजारों नौजवानों ने हथियार फेंक दिये। आज मुस्लिमों को कम्युनल कहते हो, मुसलमान ने मुसलमान को नेता नहीं माना है। यह भी कहा गया कि मुलायम सिंह आर0एस0एस0 के साथ आ गये, वह अच्छे काम के लिए आये थे। मैं बताना चाहता हूं कि मैं सीतापुर जा रहा था, आर0एस0एस0 के अध्यक्ष मुझसे मिले हैं, वह बहुत सारे लोगों से मिले हैं। पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी से हम मिलते हैं, आडवाणी जी से मिलते हैं। बाजपेयी जी ने सदन के अन्दर कहा कि मैं आर0एस0एस0 का सदस्य पहले हूं, बी0जे0पी0 का बाद में हूं,प्रधानमंत्री बाद में हूं। यह बात अमेरिका में भी कही और यहां भी कही। बताओ, क्यों मिलते हैं प्रधानमंत्री जी ? जब भी आर0एस0एस0 का कोई हेड मुझसे मिलना चाहेगा, मैं मिलूंगा। हमारी लड़ाई विचार धारा की है। मैं आर0एस0एस0 को पसन्द नहीं करता। आर0एस0एस0 के बारे में शुरू में मेरी विचारधारा बहुत अच्छी थी, उनकी देशभक्ति के बारे में, सीमा के बारे में अच्छे विचार थे लेकिन अब वह बात नहीं है। अब वह राजनीति कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी की चोटी अब आर0एस0एस0 के हाथ में है। आडवानी को कभी बिठाते हैं, कभी हटाते हैं। टंडन जी उसी समय तक नेता विरोधी दल के पद पर हैं जब तक आर0एस0एस0 चाहता है। आर0एस0एस0 का निर्देश अगर आज आ जाए तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। दोहरी नागरिकता के प्रश्न पर 1977 में हमने सरकार गिरा दी। इतने बड़े-बड़े नेता उस सरकार में थे, उतने बड़े नेता केवल आजादी के बाद जब सरकार बनी थी उस समय थे। उस समय मोरार जी भाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी उसमें चौधरी चरण सिंह जी थे, राजनारायण थे, अटल बिहारी बाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम थे। कितने बड़े बड़े नेता थे लेकिन दोहरी सदस्यता के नाम पर हमने सरकार गिरा दी। परवाह नहीं की। हम 19 महीने जेल में रहे। जेल में केवल सीखचों से झांक लेते थे। बाहर अवरोध लगा दिया गया था जिससे हम बाहर देख न पाएं। 1977 की सरकार में इतने शानदार नेता थे लेकिन इनके आर0एस0एस0 के दफ्तरों से निर्णय होते थे और इनके मिनिस्टरों को निर्देश दिए जाते थे। इसलिए हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता पर कभी समझौता नहीं किया, सिद्धान्तों के नाम पर कभी समझौता नहीं किया। यह शानदार इतिहास है समाजवादियों का, आजादी की लड़ाई का शानदार इतिहास है। अगर आजादी की लड़ाई में जय प्रकाश नारायण जी, नरेन्द्र देव, लोहिया जैसे नेता न खड़े होते तो इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलती। जब 'डू आर डाई' में बड़े-बड़े नेता जेल में भेज दिए गए थे, उस समय लोहिया जी ने नेपाल से ब्राँडकास्ट किया था और आजादी के आन्दोलन को आगे बढ़ाया। बाद में वह जेल गए, उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए, वह जेल में बीमार पड़ गए। नौजवान कहीं कमजोर न पड़ जाय इसलिए जेल में अपने कपड़े जगदीश भाई को ओढ़ाकर जय प्रकाश जी हजारी बाग की जेल से बाहर निकल आए, क्योंकि उस समय अधिकांश बड़े नेता जेल में बन्द थे। उस समय अंग्रेजों का

शासन था अगर वह देख लेते तो उनको शूट कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे व्यक्ति ने आजादी के बाद कोई पद नहीं लिया समाजवादियों का ऐसा शानदार इतिहास है। अब सामने भागने वालों से क्या कहें ?

जहां तक बिजली की बात है, बिजली हमारी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष इसके लिए 1988 करोड़ रुपए रखे गए थे, इस वर्ष बढ़ाकर 4,200 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। आप बजट को पढ़ें तो रुपए बाकायदा रखे गए हैं। कोई वायदा नहीं, कोई अनुमान नहीं, रुपया कैश है। हम अधिकारियों से यह नहीं कह रहे हैं कि रुपया नहीं है। हम जल्दी कर रहे हैं कि रुपया है, इसको जल्दी खर्च करें। रुपए की कोई कमी नहीं है, जितना खर्च करना है उतना करें। आप कहते हैं कि अधिकारियों को भेजा। इतना बढ़िया काम किया है, जो कमजोरियां थीं उनको बताया। हमने . . . .कमजोरियों के लिए ही अधिकारियों को भेजा था और अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि जो जनता की समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए तुरन्त घोषणा करें। उन घोषणाओं में 70 फीसदी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। कमजोरियों को अधिकारयों ने छिपाया नहीं है। अधिकारियों ने बहुत अच्छा लिखा। जो धन मिला और खर्च नहीं हुआ उसको भी लिखा बिजली की झूठी रिपोर्ट दी जा रही है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यह सब लिखा है। इसकी तारीफ करनी चाहिए कि यह कहना चाहिए कि ये लिखकर लायें, वो लिखकर लायें। यह तो मैंने इसलिये भेजा ही था कि हमारी कमजोरियां, सरकार की, निकालो। फर्रुखाबाद में गये, निकाली। गांव में गये जिसमें कोई जा नहीं सकता था और यह लिखा है कि आजादी के समय जैसा गांव था, वैसा ही समां है गांव में। गांव में सुधार हुआ है अब तो। दोबारा समय निकल गया, दोबारा भेजने वाले थे। मौका मिल गया तो भेज देंगे कि जो घोषणा करके आये वह पूरी हुई कि नहीं हुई और अब जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, 31 मार्च तक उनकी जिम्मेदारी है और सुधारने की और चेतावनी दी है, नहीं सुधारेंगे तो 31 मार्च के बाद उनको सजा देंगे। अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है, जो लिखकर लायें, उसका पालन करेंगे। हमारी कमजोरी निकाल कर लाये, हम धन्यवाद देते हैं उन अधिकारियों को, बधाई देते हैं उन अधिकारियों को।

कोई सरकार अपनी कमजोरी नहीं छिपाती। हमने उजागर किया है। अच्छा काम किया है, उसकी भी आलोचना करना चाहते हैं ? और इसी तरह पहली बार बिजली उत्पादन करने के लिये तैयारी की गई और आपको आश्चर्य होगा कि विष्णु प्रयाग योजना से 88 मेगावाट और पारीछा परियोजना में 210 मेगावाट अतिरिक्त बिजली हमको मिलेगी, अभी थोड़े दिन बाद। आपने सुझाव दिया, मैंने अधिकारियों से कह दिया है। आज अगर दादरी की लेट हुई है बिजली तो कौन नहीं जानता ? एग्रीमेन्ट हुआ है। और यह आपकी संस्था है सरकारी, क्या नाम है ? मिर्जापुर में है, क्या नाम है ? एन0टी0पी0सी0। मुझे खुशी है कि बड़े भाई बदल गया, समझौता है, एग्रीमेन्ट है। उन्होंने यहां तक कहा मुझे हिस्सा मिले न मिले, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए कि दादरी में हम लगायेंगे, कारखाना लगायेंगे बिजली का और उन्होंने जैसा एग्रीमेन्ट नहीं किया कहा कि 35 हिस्सा नहीं, मुझे 25 हिस्सा ही दे दो। लेकिन यह प्रोजेक्ट दादरी में ही लगेगा। किन परिस्थितियों में दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ, कितना संघर्ष हुआ दोनों के बीच, कितना नाम है उस कम्पनी का हिन्दुस्तान में, कितना नाम है उसका एशिया में। बतायें, रिलायंस से बड़ी कौन कम्पनी है हिन्दुस्तान में ? आज की रात आपने पढ़ा होगा, चाहे मुकेश का नाम हो या अनिल का नाम हो, कम्पनी एक है। बंटवारा भले हुआ हो, एग्रीमेन्ट हुआ है गैस का। उन्होंने नहीं दी तो एन0टी0पी0सी0 जो है भारत सरकार की, वह हाई कोर्ट बॉम्बे गई है कि जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसको मानना पड़ेगा और

गाजियाबाद दादरी को बिजली के लिये गैस देना पड़ेगा। एन0टी0पी0सी0 हाई कोर्ट गई है। लड़ाई हुई है, विवाद हुआ है कम्पनी के अन्दर। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इन सारी चीजों को समझ लीजिये। अब आपके त्रिपाठी जी हैं, नहीं कह रहे थे कि जमीन दे दी, जमीन दे दी ? यहां तो पी0आई0एल0 हो जाती है। हरियाणा में जमीन दे दी। कितने दिन में ? हम दे पाये साल भर में, उन्होंने तो, एक महीने के अन्दर दे दी इससे ज्यादा इन्हीं अनिल अम्बानी को . . . . . । जमना नगर में कितना तेजी से काम शुरू हो गया। यहां पर के0एन0 त्रिपाठी ने कहा भूमि का घोटाला है। हम कहना चाहते हैं, बिजली के बिना विकास नहीं हो सकता है। केशरी नाथ त्रिपाठी जी कहते हैं-- घोटाला। एक नेता कहते हैं हम धरना दे देंगे। बताइए, ऐसा कहीं गुजरात में हो रहा है ? महाराष्ट्र में हो रहा है ? हर जगह पी0आई0एल0 विकास के काम पर भी पी0आई0एल0। हम जैसे व्यक्ति के लिए पी0आई0एल0। पता चल जाए हुकुम सिंह जी, तो देख लेना हिसाब-किताब। कितना पी0आई0एल0 है।

मेडिकल कालेज सैफई में बना है। यह सब नेता चलकर देखें, मैं न्योता देता हूं, 100 किलोमीटर के आस-पास के लोग हैं, क्या अमीर हैं ? इसलिए अस्पताल पहुंचने में उनके आपको आपत्ति है। उच्च स्तरीय सुविधा का कालेज नहीं खुलेगा तो हमारे गांव के लड़के, लड़कियां कहां जाएंगे। वह कहीं और जाकर पढ़ नहीं सकते हैं। वहां बाहर के भी लड़के, लड़कियां हैं। देवरिया की लड़कियां हैं, हरियाणा की लड़कियां हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लड़के, लड़कियां हैं वहां। ग्वालियर से लेकर आगरा और कानपुर से लेकर कन्नौज। अगर सवेरे अस्पताल में जाएंगे तो ओ0पीडी0 में देखें, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद के लोग ओ0पी0डी0 में खड़े मिल जाएंगे। वहां मुफ्त दवा मिलती है और कहीं नहीं मिल रही है। सैफई क्या अयोग्य है ? हम सैफई में पैदा हुए इसलिए वहां नहीं खुल सकता है ? सैफई का कालेज कब बना है ? जुलाई 1978 से यह धीरे-धीरे बनता रहा है। पिछली सरकार ने कहा चौधरी चरण सिंह की जन्मशती के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जन्मशती मनाई जाए। इस सदन में बताना चाहते हैं, यह हमने नहीं कैबिनेट ने पास किया है कि जन्मशती मनाई जाए। गौर साहब को बहुत बुरा लगा। जाने क्या-क्या कह गए। पी0आई0एल0 करवा दी। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। हम बदल जाएं लेकिन कालेज तो खड़ा रहेगा। बिल्डिंग गिर जाए ? यह कालेज क्या हमने अपने लिए बनाया है ? मेरा कौन सा लड़का पढ़ता है ? शिवपाल के कौन से लड़के, लड़की पढ़ते हैं ? रामगोपाल का कौन सा लड़का पढ़ता है ? हमारा कोन सा भतीजा वहां पढ़ता है ? सैफई क्या मुलायम सिंह का है ? सैफई क्या शिवपाल का है ? आज हम कह सकते हैं, ग्वालियर में खुशी की लहर है इस अस्पताल को लेकर। आगरा के बहुत लोग बधाई देते हैं। फिरोजाबाद से लेकर एटा तक के सारे के सारे लोग ओ0पी0डी0 में मिलेंगे। नंगे भूखे लोगों को दवा देते हैं। गांव को लेकर चले। गांव को लिए बिना क्या विकास होता है ? गांव में अच्छा कालेज बन जाए तो आपत्ति है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए थी। यह कालेज केवल सैफई के लिए नहीं बना है, यह दूसरे प्रदेशों के लिए भी बना है। क्या आप लोग श्रीराम कालेज में पढ़ा सकते हैं ? क्या श्रीराम कालेज में आपके लड़कों का दाखिला हो जाएगा ? बहुत मुश्किल से दाखिला होता है। श्रीराम कालेज के लिए मैं दावा करता हूं, अगर आपका सहयोग रहा तो श्रीराम कालेज इस कालेज के सामने कुछ नहीं रहेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

हिन्दुस्तान में कहीं ऐसे कम्प्यूटर आपको नहीं मिलेंगे जैसे यहां है। पूरे प्रदेश के लड़के पढ़ने जा रहे है। जिनका दाखिला और जगह नहीं हुआ वह पढ़ रहे हैं। एकरूपता कहीं नहीं ला सकते हैं। श्रीराम कालेज में बता दें, किसका लड़का पढ़ रहा है ? माननीय हुकुम सिंह जी, आप तो अच्छे कालेज में पढ़े हैं। श्रीराम कालेज में कोई अपने लड़के का दाखिला करके दिखा दे। तीन लड़कों का श्रीराम कालेज में दाखिला कराना था। हमने और अमर सिंह जी ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन दाखिला नहीं हो पाया। सैफई में जिसका कहो दाखिला करा दें। क्या इलाहाबाद में ही पढ़ाई रहेगी ? क्या लखनऊ में ही पढ़ाई रहेगी ? क्या लखनऊ में ही सड़कें बनेगी ? यही अस्पताल रहेंगे ? सब कुछ यही रहेगा ? गांवों में पता नहीं है कि सुविधाएं क्या-क्या मिल सकती हैं और इस बीमारी का इलाज भी है। वह हमने करके दिखाया है, इसीलिए बक्से में वोट भरता है और इसीलिए देश की जनता बधाई दे रही है। एक भी पार्लियामेन्ट की सीट कोई जीत नहीं सका। आप सैफई में भाषण देकर देख लीजिए, गलत क्या है, सही क्या है, पता चल जाएगा। मैं कहता हूं कि 20 किलो मीटर दूर भी भाषण देकर देखिए, सब पता चल जाएगा। क्या सैफई में है ? सोबरन सिंह जी खड़े होकर बतायें, किसके घर पर है ?

श्री सोबरन सिंह--

मेरे क्षेत्र में है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इनके क्षेत्र में है, फ्लोर मिल के सामने है, हैवरा में कालेज है। इन्होंने कहा कि हमारी-तुम्हारी लड़ाई रहेगी लेकिन कालेज के नाम पर नहीं रहेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे कितने संबंध अच्छे थे, आज भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन छोटा मन है। ये बुलाते हैं, अभी घर पहुंच जायेंगे। हम बुलाते हैं, आते नहीं हैं। हम याद करते हैं, यदि आपके पिता जी होते तो ऐसा नहीं होता, बुलाते तो आते, इतने अच्छे संबंध हैं। पांच भाई ये, पांच भाई हम, जैसे 10 भाई हैं।

श्री सोबरन सिंह--

यह तो उनके और आपके बीच की बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

गौर साहब को तो सोचना चाहिए कि कालेज तुम्हारे घर में है, घर के पास है, उनके फ्लोर मिल के सामने हैं। इससे वहां की जमीन का भाव बढ़ गया है, यह हैवरा और लचवई के बीच है, सैफई का कोई वास्ता नहीं है। सैफई की जमीन जो थी, वह लचवई में दी गई । सैफई की एक इंच नहीं है, लेकिन गौर साहब हमारा विरोध कर रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

उत्तर प्रदेश के किसी और गांव का विकास करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सोबरन सिंह के घर में कालेज है, वह सैफई में नहीं हैं, उनके फ्लोर मिल के पास है। पहले लड़ाई थी फिर तैयार कर लिया और कहा कि अच्छा काम किया। अध्यक्ष हमने ही उनको बनवाया, सहयोग था, शिलान्यास किया था राम नरेश यादव जी ने। यहां है नहीं। यह राजनाथ जी को करना था, लेकिन उसके एक दिन पहले चौधरी चरण सिंह ने राजनाथ सिंह को निकाल दिया तो कैंन्सिल हो गया। तब राम नरेश जी को भेजा गया, जुलाई , 78 में और दर्शन सिंह जी ने बहुत मेहनत की और हम तो उसके मेम्बर वैसे ही थे, 1001 रुपये दिया था।

मान्यवर, सैफई अस्पताल कोई पूरा सैफई में नहीं है आधा लवईपुर में है। आधा इधर है, आधा उधर है। जो पार्लियामेन्ट सीट है उसमें परिसीमन होगा तो आधे से ज्यादा अस्पताल बदल जाएगा। और शायद वह पूरा अस्पताल मैनपुरी जिले में चला जाएगा, और नया इस्टीमेट बन रहा है मैनपुरी में और आप सैफई कालेज सैफई कालेज कहते रहते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगले बित्तीय वर्ष में 1420 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो जाएगी। कोशिश तो हमारी एक अप्रैल से होगी लेकिन 1 जून से अधिकारियों को कह दिया है कि पहली अप्रैल या 30 अप्रैल नहीं तो 1 जून से मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिजली का बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। इतनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मान्यवर, 30 करोड़ रुपये की बिजली प्रतिदिन खरीद रहे हैं। लड़कों के इम्तिहान में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते थे कि लखनऊ में कटौती हो रही है। श्री हुकुम सिंह के नेतृत्व में अभी कमेटी बना दीजिए, वह चली जाए और देखे कि लखनऊ कटौती में है क्या। मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े नेता कहें कि लखनऊ में कटौती हो रही है।

श्री लाल जी टण्डन--

मेरे घर में बिजली नहीं आती है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

कहीं-कहीं बीच में गुपचुप तो होती रहती है।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, जितना बिजली का बिल देना पड़ता है उससे ज्यादा तो डीजल जल जाता है, बिजली के लिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह अलग चीज है। मान्यवर, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। कहीं-कहीं विवाद हो रहे हैं। जहां पर मीटर लगा रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और मीटर नहीं लगाने दे रहे हैं। लेकिन हम उन्हें समझा रहे हैं। अभी गोण्डा में झगड़ा-मारपीट भी हो गयी व्यापारियों और बिजली वालों के बीच। उन्हें हम समझा लेंगे, बातचीत हो गयी है। मान्यवर, कितनी निष्ठा से हम लोग बिजली के लिए चिंतित हैं। अगर आपने टाण्डा, ऊंचाहार न बेचा होता तो क्या ऐसा होता ? लेकिन आपने बेच दिया। यहां कोई उद्योगपति नहीं आया। आप बताइये कि कुमार मंगलम बिड़ला से, टाटा से बड़ा उद्योगपति कौन है ? रिलायंस से बड़ा उद्योगपति कौन है ? या कुशाग्र बजाज, वह सब लगे हुए हैं। सारे उद्यागपति पूरी तरह से आ रहे हैं। इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग आ रहे हैं।

हमने विकास परिषद अपनी नीतियों के स्तर पर बनायी। हमारी नीति है कि विदेशी पूंजी निवेश लगाने की जरूरत है, व्यवहारिक चीज है। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के उद्यागपतियों के माध्यम से। क्योंकि उन्हें चिंता रहेगी कि कहीं हमारे देश का उद्योग बंद न हो जाये। इसलिए हमारी जो नीति है वह यह है कि निवेश हो। मान्यवर, पहले किसान चीनी मिल मालिकों के पीछे भागता था कि आप हमारा गन्ना ले लीजिए, लेकिन आज चीनी मिल मालिक भागता है किसान के पास कि अपना गन्ना हमें बचना और उसके लिए वह एडवांस में पैसा देता है। यहां नहीं दिया, यहां जरूरत [illegible] चिन्ता है। जो सीधा सादा किसान पूरब का है, उसको चिन्ता नहीं है। उस किसान का

गन्ने से कोई मतलब नहीं, चने से मतलब नहीं, आलू से मतलब नहीं, गेहूं से मतलब नहीं, केवल गन्ना-गन्ना। अरे आप पूरे प्रदेश की बात करिये। आलू के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते ? धान के लिए क्यों नहीं कहते ? हम लोग आलू के किसान हैं। हम गन्ने को प्राथमिकता देते हैं और गन्ने को प्राथमिकता देंगे भी। क्योंकि दुनिया में चीनी का संकट पैदा हो गया है। उस संकट में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसलिए हम गन्ने को प्राथमिकता देंगे। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, इम्पोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट होता है।

मुझे गर्व है कि चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश से जाती है। इन दो वर्षों में और भी बढ़ा देंगे। चार हजार रुपया तो आपके विरोध के बावजूद भी . . . . . । और कानून-व्यवस्था के नाम पर रोकने का कितना गलत काम किया था। कितना वातावरण खराब रहा है। कितने डकैत मारे यह क्या हमने पाले हैं ? यह पले पलाये डकैत है। और सब तो बता दिया है।

एनटीपीसी ने रिलायंस के मुकेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी है। प्रदेश में अगले वर्ष तीस हजार आठ सौ बावन गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा जिससे प्रदेश के सभी ग्राम ऊर्जाकृत हो जायेंगे। चिन्ता मत करिये, आपको देंगे। आपकी मांग ज्यादा रहती है। फिर आप कहते हैं कि यह जेन्डर बजट नहीं है। यह आपको जेन्डर बजट नहीं दिखायी दे रहा है ? हमने उत्तर प्रदेश में सारी की सारी विधवाओं को सबको पैसा दिया है। (तालियां) यह जेन्डर बजट नहीं है तो क्या बजट है, बताओ ? लड़कियों के लिए बीस हजार रुपये देने के लिए तीन सौ से छः सौ करोड़ रुपये बढ़ाया। यह कौन सा बजट है ? यह जेन्डर बजट नहीं है ? और इसमें बच्चियों को वजीफा दिया है। और जो फीस समाप्त की है लड़कियों की, तो यह जेन्डर बजट नहीं है ? और कक्षा आठ से कक्षा बारह तक सुविधाएं दे रहे हैं, वजीफा देकर, जिससे लोग हाई स्कूल में पास हो जायें। वह नहीं होंगे ? इससे फर्स्ट ईयर, सेकेण्ड ईयर में आयेंगे, अभी आगे और मिलेगा, बी0ए0 तक की [illegible] माफ कर दी । क्या यह जेन्डर बजट नहीं है ? अकेले उत्तर प्रदेश में मैंने पहली बार यह जेन्डर बजट पेश किया था उसके बाद दिल्ली सरकार ने पेश किया था। हिन्दुस्तान में अगर जेन्डर बजट का सबसे ज्यादा उपयोग किया है और सही और डायरेक्ट उपयोग किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। आपको देखना चाहिए कि जो कालेज के मैनेजर, डीआईओएस मिल करके पांच-पांच हजार लिस्ट बनाते हैं, मैंने कहा कि सबको दे दें। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा हो जाता है कहीं, माननीय जगदम्बिका पाल जी, कि डीआईओएस से मिलकर, अधिकारी या मैनेजर या कोई तहसीलदार से मिलकर सार्टीफिकेट बनाने के लिए रुपया ले लेते हैं। ऐसी खबरें हैं मेरे पास।

श्री जगदम्बिका पाल--

अगर डीआईओएस और यह अनियमितता कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ कमियां डीआईओएस या जो लोग मिलकर बनाते हैं, अगर गल्तियां रह जाती हैं . . . .।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें आपको मदद चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मेरे यहां तीन बार डीआईओएस बार-बार बस्ती ट्रांसफर होकर जा रहा है, तो शासन को कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें अगर करेप्शन किया गया होगा तो चाहे जितनी बड़ी पहुंच वाला हो, बिना सजा के वह नहीं रह सकता है। और ऐसा सीधा पैसा दे दो, अगर घुमाकर दे दो, हम बांटें, चैक हम बांटें, आप बांटो। आप बांटो। आप आइये, मैं सबको बुलाता हूं, मैं सबको निमंत्रण देता हूं।

जब हम कहीं विद्या धन बांटें, हम मंत्रिगणों से भी कहेंगे, सबको निमंत्रण दे दें, आ जाइये, सब बांटें, कोई भेद-भाव नहीं, कोई पक्ष-विपक्ष नहीं, हम पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधियों को एक समान मानते हैं। हमने कह दिया आप नहीं आते हो कि समाजवादी लोग हैं तो मैं क्या करूं ? अंकुश लगा है कहीं ? अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमें बुलाइये, हम वहां आ जायेंगे।

(विपक्ष के कई सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं सहयोग मांग रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा हूं। आप छेदनामऊ में आयें और जब हम छेदनामऊ में जायेंगे, वहां धन बांटेंगे, तो आप आ जाइये। मेरा निमंत्रण अभी से है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब भाषण खत्म हो जाने दीजिए, तब आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप बाद में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं निवेदन होगा। मैं आपके निवेदन को मान लेता हूं, यह तो मनवा लेते हैं, इतनी कला तो है इनमें। और आपको पता है, दोहराना नहीं चाहता हूं, विधवाओं को हमने दो लाख और पहले से ज्यादा दे दिया है और बालिका श्री योजना प्रारम्भ की गयी जिस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होगा। आप ही लोग कह रहे थे कि बालिका श्री योजना के लिए कुछ नहीं किया बालिकाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपको पता है, हर ब्लाक में एक लड़कियों का कालेज होना चाहिए ऐसा हमारा मानना था और इस योजना को हमने ही चलाया था, पिछली बार ही हम इसको स्वीकृत कर गये थे। पता नहीं, इन्होंने लीपा-पोती कर दी, क्या कर दिया, कहीं अब है ही नहीं, पता नहीं सब भाग गये होंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष का आरोप सही नहीं है कि इसमें बालिका श्री योजना का नाम बदल दिया गया है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, आपको पता नहीं, केन्द्र सरकार ने बालिका श्री योजना बन्द कर दी थी। इन्हें पता होना चाहिए हमने चालू की। उल्टा बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको चलाया है, पढ़ लेना अब आप। जहां तक आप देख रहे हैं कि चिकित्सा के बारे में कहीं भी किसी राज्य में मुफ्त इलाज नहीं हो रहा है, मुफ्त इलाज की बात परसों मैंने हिन्दुस्तान अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा पैसे के अभाव में मेडिकल कालेज में मरने के करीब है, उस पर दो लाख रुपया खर्च होगा। मैंने उसी वक्त ठीक याद छः बजे अखबार पढ़ा। हिन्दुस्तान अखबार था, पेज नम्बर-9 था। मैंने उसी समय डी0एम0 को बाकायदा टेलीफोन किया और टेलीफोन करके कहा और उसी समय उसे दो लाख रुपया दिया

गया और पी0जी0आई0 में ले जा करके उस बच्चे को भर्ती करवाया गया। इसी तरह से बाराबंकी में पता चला कि बाराबंकी में एक मरीज मर रहा है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, उसी वक्त मैंने कलेक्टर को आदेश दिया। अरविन्द सिंह गोप जानते हैं उसी वक्त मैंने मरीज को उठवाया और पी0जी0आई0 में लाये और जितना पैसा लगा, उतना पैसा उसको दिया गया। तब जाकर वह मरीज बचा। मुफ्त इलाज के अलावा, मुफ्त दवाइयों के अलावा जितना इन्होंने इलाज के लिए पैसा मांगा है, अगर दो लाख मांगा है तो एक लाख रुपया जरूर दिया गया है। ऐसा कहीं भी हिन्दुस्तान में नहीं है। अगर हो तो बता दें। आप मांगें, लिख कर दें हमको एक कागज। जहां भर्ती हो मरीज उस अस्पताल का डाक्टर उस कागज पर दस्तखत कर देगा। आप मेरे अफसर को दे दीजिएगा। जगदेव को दे दीजिए। आपको रुपया जितना सम्भव हो सकता है, हम देंगे। आप ये क्या कहते हैं ? आप लाइये, कागज हमें दें। इस वक्त नहीं, बाद में हमको कागज दे दीजिएगा।

मान्यवर, बजट में हमने 65 प्रतिशत की वृद्धि की है, स्वास्थ्य विभाग जो लोगों की स्वास्थ्य रक्षा से जुड़ा हुआ विभाग है, का बजट 2400 करोड़ से बढ़ा कर 4000 करोड़ रुपये किया गया है। लखनऊ में पी0जी0आई0है और दूसरे जो अस्पताल हैं, उनका बजट बढ़ाया है। मैं सदन में सब आंकड़े दे दूंगा। बी0जे0पी0, बी0एस0पी0, आप कोई भी सदस्य अगर किसी की मदद के लिए कोई पत्र देंगे, किसी का हार्ट का इलाज होना है या कोई गंभीर बीमारी है, तो हम उसकी आर्थिक मदद करेंगे। गरीबों को आप लायेंगे तो जरूर मदद करेंगे। लोग मदद के लिए आते हैं और ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कभी इसमें पार्टी नहीं देखी, इंसानियत देखी है। देखा जाता था पहले, पहले ऐसा हुआ था कि कौन किसका है। इटावा में, क्या आप सोच सकते हैं कितना गन्दा काम किया गया ? लोहिया ट्रस्ट का काम चल रहा था, वहां से बालू, सीमेन्ट, सरिया सब उठा ली गयी। (व्यवधान), लोग लड़ते रहे, ट्रैक्टर, ट्रक चलती दिये गये, लाठियां चली, लेकिन जबरन सब उठा ले गये। भरथना में पुल पर काम चल रहा था, उसका सामान उठा लिया गया। वहां पुल पिलर बनना शुरु हो गया था। इस तरीके से औरैया में यूनिट पर कार्य हो रहा था, हम लोग वहां 2-3 दिन लड़ते रहे, जनता लड़ती रही, लेकिन सारी यूनिट ले गये, सारी ईंट उठा कर लेकर भाग गये। यह सच है, यह सब हुआ है। ऐसा जुल्म हुआ है। ऐसा जुल्म लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ है। मेरे ऊपर पोटा लगाने की बात थी। आपने स्वीकार किया कि मैंने बचाया। आपने कहा कि इसकी जांच करायें। मैंने इसकी जांच करायी । (व्यवधान) मैंने बदले की भावना से काम नहीं किया। नहीं तो, बहुतों का जेल में इंतजाम है। कतई बदले की भावना मेरे में नहीं है। हुकुम सिंह जी, लोकायुक्त से लेकर और भी फाइलें हैं इन लोगों के खिलाफ। आर0डी0एक्स0 था, कहां से आया, कौन ले आया, किसके लिए था; सब पता है। मगर कोई एक्शन अगर लेते तो कहते कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ढाई कुन्तल आर0डी0एक्स0 था, बकायदा जीप पर आया। स्टेशन पर लद कर आया। स्टेशन पर लोगों ने जब कहा कि इसे देखेंगे कि क्या है तो जीप में उसे लेकर भाग गये, वे लोग भाग गये, हाथ नहीं आये। वे लखनऊ आ रहे थे। (व्यवधान) आप लोग कहेंगे कि बदले की भावना से काम करते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

अगर आर0डी0एक्स0 था तो कार्यवाही होनी चाहिए थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस पार्टी का हाथ है। अकेले में पूछ लेना, मत बोलिए, मैं बहुत गंभीर आदमी हूं। जान की परवाह नहीं की राजनीति में। मैंने कहा है कि पंत जी का उदाहरण मैं मानूंगा पंत जी से लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरार जी भाई नाराज हो गये थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक दिन में नहा बनी है, टण्डन जी आप एक दिन में नहीं बने हैं। कितने साल लगे हैं ? प्रमोद जी बैठे हैं, इनके पिता जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लेकिन हम लोग चाहें तो एक दिन में नष्ट हो जाये जीवन, हम लोग किस लगन से इसमें आये हैं और कितने तकलीफ भरे रास्तों से गुजरे हैं। इस पांच वर्ष के पीरियड में जनता के बीच में इम्तहान होता है। इस सदन में हम लोग कैसे-कैसे जीत कर आये होंगे ? अकेले में मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। उसमें एक तो स्वर्ग सिधार गया है, जिसका हाथ था, जो आर0डी0एक्स0 में शामिल था।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

आर0डी0एक्स0 वाला होगा, वह स्वर्ग गया होगा ?

श्री अध्यक्ष--

अब उसे छोड़िये। आप इतनी गम्भीर बात को इतना हल्का क्यों लेते हो ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सच्चाई है, अभी एस0टी0एफ0 को लगा दें तो सब पता चल जायेगा। कहा उन्होंने अमर सिंह जी से कि मुलायम सिंह जांच करा रहे हैं ऐसा ऐसा। अमर सिंह ने टेलीफोन किया हमको कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और मैंने मान लिया। क्या ऐसा कोई होगा ? जांच किसके लिए थी ? आपकी सरकार थी। भले ही सपा की सरकार चल रही थी, हमारा एम0एल0ए0 मारा गया राजभवन के सामने और मारते हुए उसको पकड़ा गया। आपकी पार्टी से संबंधित निकला जौनपुर का और उसका बाप प्रचारक गाजीपुर का था। मैंने कभी आरोप नहीं लगाया।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, वह हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है वह कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। उसके पिता ने लोकसभा में कांग्रस के लिए काम किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

लेकिन प्रचारक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपने प्रतिवाद कर दिया, आ गयी बात।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अच्छा मान लिया, मान लिया। हो सकता है खबर गलत हो, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय लाल जी टण्डन ने ..... यह भी ठीक है, हमारी सरकार है, भले थोड़े-बहुत दिन रहकर चली गयी है लेकिन आपके समय विधायक राजभवन के सामने मार दिया गया। चुपचाप धरना पर बैठे। चले गये। ऐसा कभी हुआ है ? कानून व्यवस्था की बात करते हैं ये लोग । कानून व्यवस्था की बात करनी हो और कानून व्यवस्था केवल इसलिए कि

उत्तर प्रदेश में उद्योगपति न आने पाये। रोक नहीं सकते हो उद्योगपतियों को। उद्योगपति आयेंगे और माननीय प्रमोद कुमार जी, जानते हैं जिन-जिन उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में काम किया, सबके घर पर छापा मारा गया। सहारा पर 80 जगह पर छापा मारा गया। आपके रामपुर में ललित खेतान पर छापा मारा गया, पान्टी जनता पर छापा मारा गया, अनिल अम्बानी पर छापा मारा गया, अशोक चतुर्वेदी पर छापा मारा गया। जितने उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाले हैं या विकास परिषद् के हैं, संबंधित हैं, सबके घरों पर छापा मारा गया। लेकिन कुछ मिला नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। 80 जगह सहारा पर छापा मारा गया। कितना आपका दोस्त हैं, कितना संबंध गहरा, मेरा बाद में हुआ, आपका पहले हुआ, मेरा अभी हुआ 96 में, आपके कितने गहरे संबंध हैं, आपकी पार्टी के कितने गहरे संबंध हैं, आपकी अध्यक्ष जी, उस परिवार के माने जाते हैं। 80 जगह माननीय अध्यक्ष जी, छापा मारा गया।

हिन्दुस्तान की बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हल करने वाला सहारा है। 9 लाख तो वैसे हैं, अन्य को, औरों को वैसे ही रखा है, 11 लाख लोगों को सहारा रोजगार दे रहा है और सहारा कम्पनी का कोई मालिक नहीं है सहारा कम्पनी उन्हीं की है जो उसके मेम्बर हैं। सुब्रत राय उसके मालिक नहीं हैं, जेपी राय उसके मालिक नहीं है। उस कम्पनी के मालिक यह सारे लोग हैं मिलकर वह केवल तनख्वाह लेते हैं, जो एमडी वगैराह बना दिये जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, है क्या सहारा कम्पनी का कोई मालिक नहीं है। इतनी अच्छी कम्पनी, शानदार लखनऊ लखनऊ का नाम, सहारा और उसमें 80 जगह छापा मारा गया और कहा गया कि अमर सिंह और मुलायम सिंह का साथ छोड़ दो। हमने कहा, यह सही है प्रमोद जी कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मुलायम सिंह अमर सिंह का साथ छोड़ो। मैंने कहा कि कम्पनी बचाओ, मेरा साथ छोड़ो। लेकिन वह भी जिद्दी है। परवाह नहीं है। पैदल चलकर साइकिल चलाकर आया है। हम जैसे लोग पैदल, हमारे न बाप न बाबा कोई जानता नहीं, तब मुख्य मंत्री बने हैं। मेरा क्या जाता है ? इनकी तीन पीढ़ी से प्रधान मंत्री बने हैं, उन्हें चिन्ता है। हमें क्या चिन्ता ? हमें कोई चिन्ता नहीं है। हम खुद बने हैं और बनाया है। यह होगा काम देश के विकास के लिये ? उत्तर प्रदेश में छापे मारे जायेंगे, सारे उद्योगपतियों पर मारे जायेंगे और कहा गया कि छोड़ दो मुलायम सिंह और अमर सिंह का साथ। मैंने भी कहा छोड़ दो, पहले कम्पनी बचाओ ? लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने बयान दिया।

मान्यवर,, मेरा भी कभी-कभी एक-दो दौरा हो जाता है। किराया कम हो जाता है। लेकिन हम चेक देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं। चुनाव में तैयार मिल जाता है, यह सब जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर मुफ्त में लेंगे तो क्या परिणाम होगा। यह सही है कि हमें किराया कम लगता है। आपकी पार्टी के लोगों ने भी लिया है। संबंध हमारा है, लेकिन आपका बहुत दिनों से है और आपका तो पारिवारिक संबंध है। आपके राष्ट्रीय अंध्यक्ष का कितना गहरा रिश्ता है। यह पहले तो आपकी पार्टी की ही विचारधारा के थे, अब भी हैं। यह सच है कि हमारा तो झगड़ा होता था। हम नहीं जाते थे, वह खाने पर बुलाते थे, बी0जे0पी0 का पूरा पक्ष लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने मेरे बारे में जाना कि यह तो बहुत अच्छा आदमी है, तब मुझे स्वीकार किया, 1996 में। लेकिन कभी कटुता नहीं होने दी मैंने। में उन दावतों में अपनी पार्टी का अकेला व्यक्ति होता था और आपकी बी0जे0पी0 पूरी दिखाई देती थी। कई बार ऐसा हुआ है। अटल जी चले गये, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हिम्मत का काम किया। यह सच है कि उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनको रोका गया और लखनऊ नहीं आने दिया गया। अगर वह आ गये होते तो मुलायम सिंह और अमर सिंह का नाम न छपता, अटल जी का छपता। वह देश के नेता हैं, प्रधान मंत्री रहे हैं। उनके अन्दर बहुत अच्छा गुण है मानवता का, व्यवहार का। ऐसे अटल जी को रोक दिया गया, लखनऊ आने से।

श्री लाल जी टण्डन--

आपके स्वास्थ्य के लिये इतना बोलना ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं आगे बताना चाहता हूं कि लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल इन तीनों अस्पतालों के लिये मैंने फैसला किया है कि इनमें उच्च स्तरीय सुविधायें, जो पी0जी0आई0 में मिलती है, वह इनमें मिलनी चाहिये। क्योंकि इन अस्पतालों में गरीब जाते हैं, इसलिये वह मशीनें यहां भी आयेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष जी के यहां एक 500 बेड का अस्पताल है, उसको भी करा दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने तो उत्तर प्रदेश के 35 जिले चुने थे, इन 35 जिलों में पैसा गया है। बाकी जो रह गये हैं, उनमें भी जायेगा।

[समय 2.00 बजे]

पाल साहब, आप बैठ जाएं। आप क्यों टोकाटाकी कर रहे हैं ? आपकी तो हम कोई बात काटते ही नहीं हैं। इसके लिए अभी 50 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। मैंने पी0जी0आई0 को जो दिया था, हटा दिया पी0जी0आई0 का हाल देख करके। हमारे हिन्दुस्तान में पी0जी0आई0 सबसे टॉप पर था, इतनी बढ़िया जापान की मशीनें चलाने के लिए थीं, हिन्दुस्तान में इस अस्पताल का कोई मुकाबला नहीं था। यहां पर जब मशीनें आई थी तो पूरे हिन्दुस्तान में इतनी मशीनें किसी के पास नहीं थी। इतना बड़ा अस्पताल, इतनी मशीनें थीं, लेकिन मैं निराश हो गया। हस्तक्षेप वहीं से शुरू हुआ। अगर वहां से निकाल दिया जाता तो हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर हमारी सरकार का काम होता। अगर हमने उसे सौ प्रतिशत अच्छा करवा दिया, तो उसके लिए हाईकोर्ट चले गये। यह सब हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कैसे-कैसे काम हो रहे हैं वहां। आप अकेले में पूछ लेना तो बता देंगे। आपने कहा था कि डाक्टरों की कमी है। सही है, बहुत डाक्टरों की कमी है। हम जल्दी ही 1890 डाक्टरों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर देंगे। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आपने लोहिया जी के बारे में अच्छा कहा। मैं दावा करता हूं कि हिन्दुस्तान का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का और हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया विधि संस्थान डा0 लोहिया विधि संस्थान बनेगा। कोशिश हो रही है कि हम पहली जुलाई से ही दाखिला करा दें। उसमें जो सिस्टम रहेगा, वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहेगा। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं,पार्टी के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता के लिए कर रहे हैं, हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं।

इसी तरह से लोक निर्माण के बारे में, हमने पहले रखा था 2951 करोड़ रुपया और इस बार रखा है 5075 करोड़ रुपया, ताकि प्रदेश की सड़कें अच्छी बन सके। कोई पक्षपात नहीं होगा। हमें पता है कि विकास एक साथ नहीं हो सकता लेकिन अगर आप लोगों की मदद मिले तो सारे शहर आदर्श शहर बन जायेंगे, सारे चौराहे बढ़िया बन जायेंगे। आपने अच्छा काम किया था, लेकिन छोड़ा क्यों ? मैंने टेलीफोन पर आपसे क्या कहा था ? यही कहा था कि बहुत अच्छा काम है, हम आपके साथ है। सरकारी सम्पत्ति पर एकाधिकार नहीं होने दिया जायेगा, यह सब जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा दी जाएगी। चाहे दारोगा हो, तहसीलदार

हो, एस0डी0एम0 हो, डी0एम0 हो और चाहे आपके नगर निगम के लोग हों। सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं। सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा नहीं होगा। आपकी जानकारी में होगा कि इस मद में रख-रखाव के बजट में हमने 776 करोड़ रुपए रखे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी तक नये सेतुओं का निर्माण 172 किया गया है, पूरे छोटे-छोटे पुल नहीं हैं। इस बार 151 सेतुओं का निर्माण इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने अभी 251 पुल बनाकर खड़ा कर दिया है। वो भी कौन से पुल बन रहे हैं ? गंगा का, यमुना का ? क्वारी, बेतवा, केन से मध्य प्रदेश को जोड़ा है। घाघरा का पुल बना है। जब योजना आयोग ने सुना कि घाघरा का बना है तो आश्चर्य हुआ। इसमें केन्द्र सरकार ने कितनी मदद की ? एक छदाम भी [illegible]या। इन पुलों पर मदद दी जानी चाहिए थी। राष्ट्रीय मार्ग हो तो देते हैं। घाघरा, गंगा, यमुना, बेतवा, क्वारी, रामगंगा, गोमती, जितने पुल बने हैं; किसी ने हमारे अलावा नहीं बनाया। गोमती नदी का पुल बन रहा था, वह बनकर खड़ा हो गया है। आप लोगों के क्षेत्रों में भी पुल बने होंगे, आप लोग सभी पार्टियों के लोगों को लेकर जायं और उनका लोकार्पण करायें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, डालीगंज का पुल बनवा दीजिए ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप अभी लिखकर दीजिए, आप लिखकर दीजिए, 31 मार्च से पहले शुरू न करा दूं। जो लोग भी पुल देना चाहें, दीजिए। ये लोग तो भाग गये, उनके लिए भी पुल दे देते।

(श्री फतेह बहादुर सिंह के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

शिकायत करने से क्या होगा ? आप लिखकर दीजिए, आप मुख्य मंत्री के बेटे हैं, दोस्त के बेटे हैं। माननीय हुकुम सिंह जी, 10 साल में कितने पुल बने थे और एक साल में कितने बन गये हैं ? आपको आश्चर्य होगा, हमने जितने पुल बनाये हैं, उनका औसत डेढ़ दिन में एक पुल का है। हम किसी पुल का शिलान्यास करने तभी जाते हैं जब उस पर काम शुरू हो जाता है और पिलर खड़ा हो जाता है। इससे पहले हम पत्थर लगाने नहीं जाते हैं। जब पुल का निर्माण तेजी से होता है तभी शिलान्यास करते हैं और उसी समय खड़े होकर हम अधिकारियों से पूछते हैं कि बताओ, लोकार्पण कब करवाओगे ? उसी समय हमें लोकार्पण की तारीख दे दी जाती है और जो तारीख दी जाती है उससे एक माह-पन्द्रह दिन के पहले पुल बनाकर दे देते हैं। मेरे साथ चलिये किसी पुल निर्माण स्थल पर, आप अपने क्षेत्र में मुझे ले चलिये, मैं तारीख तय कर दूंगा और जो लोकार्पण की तारीख होगी उससे पहले पुल बन जायेगा। इस समय प्रदेश में इस वर्ष 5500 किमी0 सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है, अगले साल 7500 किमी0 नई सड़कें बनाने का लक्ष्य है। इस कार्य के लिए 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। नक्सलवाद की बात आती है, मैं एक दिन सोनभद्र जाने वाला हूं। सोनभद्र में नक्सलवाद नाम की कोई चीज नहीं रहने वाली है। पूरे हिन्दुस्तान में 14 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने हमें प्रमाण-पत्र दिया है कि अगर किसी राज्य ने नक्सलवाद पर कण्ट्रोल किया है तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने यह काम करके दिखाया है। यहां यह बात भी कही गयी कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का वातावरण नहीं है। भारत सरकार के मा0 प्रधान मंत्री जी ने हमको सम्मानित किया है, पूरे हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्री के सामने। एक प्रमाण-पत्र दिया है कि हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण का वातावरण बनाने में सर्वप्रथम कोई है तो उत्तर प्रदेश है।

प्रमाण-पत्र है जिसमें 17 मुख्य मंत्री उपस्थित थे, हमको दिया है। यह कहा जा रहा है कि उद्योगपति नहीं आ रहे हैं। 29 हजार करोड़ रुपए का पूँजीनिवेश हो चुका है। चार हजार करोड़ रुपए गन्ना में लग चुके हैं। हुकुम सिंह जी को पता है।

सर्व शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, शिक्षा का बजट 8 हजार करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। छात्रवृत्ति को 138 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपया कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तीन नये मेडिकल कालेज खोले जाएंगे जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, दो नये इंजीनियरिंग कालेज, 75 आई0टी0आई0, चार नए इन्फार्मेशन टेक्नालाजी पालीटेक्निक खोले जाएंगे, इसके लिए 700 करोड़ रुपए रखे हैं। सर्व शिक्षा का बजट ढाई हजार करोड़ से बढ़ाकर चार हजार करोड़ रुपए किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश पिछले दो सालों से प्रथम आ रहा है। जिसकी योजना आयोग तथा विश्व बैंक ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इसके लिए मंत्री किरन पाल जी बधाई के पात्र हैं। कानून व्यवस्था के बारे में जो ज्यादा कह रहे थे वह तो चले गए, वह तो सुनना नहीं चाहते हैं। हमने वर्ष 2005-06 में अपराधों पर नियंत्रण किया है। अयोध्या में जिस तरह से त्वरित कार्यवाही करते हुए पाँच आतंकवादियों को मार गिराया गया, उसको पूरी दुनियाँ ने माना। हिन्दुस्तान और दुनियाँ में कहीं ऐसी नजीर नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। जिन्होंने साजिश की थी उन सभी का एस0टी0एफ0 ने पर्दाफाश कर दिया। ऐसे आतंकवादियों के चीफ को जिसने यह कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करेंगे जिससे दुनियाँ हिल जाएगी, उसको लखनऊ के पास मारा गया है। वह कोई मामूली आतंकवादी नहीं था। उसको एस0टी0एफ0 ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से मार गिराया। सचिवालय की सुरक्षा के संबंध में कल ही मैंने चुपचाप बैठक की है और अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे स्कूटर खड़े रहते हैं, एनेक्सी के सामने वाहन खड़े रहते हैं कभी कोई वारदात हो सकती है, इसलिए कई कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि टेरेरिस्ट के नाम पर इतना हल्ला न मचाएं, इससे जनता का मनोबल गिरेगा। यही आतंकवादियों का उद्देश्य होता है।

बनारस की महान जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उसने इतने बड़े काण्ड के बाद भी एकता बनाए रखी और हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम की और यह बता दिया कि हम एक हैं। वहां सभी धर्मों के गुरुओं ने खड़े होकर पूरा साथ दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं वहां गया था तो चार घंटे के अन्दर वहां पर नए कम्बल, नए बिस्तर, नए गद्दे, नई तकिया सभी घायलों को उपलब्ध करा दी गई थी। उनको नए कपड़े पहनाए गए थे। बी0एच0यू0, जो केन्द्रीय संस्था है, वहां पर भी सरकार ने सफाई का काम किया। इसको पूरा बनारस सराहना कर रहा है। वहाँ पर गन्दगी नाम की कोई चीज नहीं रह गई । आपने इस बात को बी0बी0सी0 पर भी सुना होगा, किस तरह से मुलायम सिंह का नाम लेकर तारीफ की गई है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं हुई । इतनी बड़ी सफलता के बाद पूरे हिन्दुस्तान में कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है ? और अब हम तो छोटे हैं, कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 7 तारीख को जो किया गया, आप सब जानते हैं कि अन्तंराष्ट्रीय गैंग को किस तरह से औरैया में मार गिराया गया। नाम नहीं लेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का था। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर का तो पहले हो चुका था। कहते थे कि मुलायम सिंह से मेरे संबंध हैं। मीडिया तक पहुंचे कैसे ? इन्टरव्यू में पहुंचे कैसे थे ? आपको पहुंचाया किसने इन्टरव्यू में ? क्या मुलायम सिंह के

परिवार ने पहुंचाया था ? मुलायम सिंह की पार्टी ने पहुंचाया था ? अगर आपने इन्टरव्यू सीधा-सीधा दिया कि मुलायम सिंह मेरा भाई है, शिवपाल सिंह है, अमर सिंह है, अगर जिन्दगी भर उस सभा में वह गये हों तो बता दें, हम कहना चाहते हैं कि इनको आजादी है। अगर आज सदन चाहे आपसे पूछें कि आपको कौन ले गया तो इन्टरव्यू कैसे कर लिया ? आप तब मिले हुए नहीं थे क्या ? जो गया था वह मिला हुआ नहीं था क्या ? मुझे बताया आकर। ऐसे ही इन्टरव्यू ले लिया ? मुझे चैलेंज किया था कि मुलायम सिंह में हिम्मत हो तो चेलेंज किया था पर्चा दाखिल करने का। मैंने चैलेंज स्वीकार करके . . . . . यह सही है कि हमको तीन मेम्बर मिले। तीनों का मैंने पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़वाया। हमारे तीन ही वोट मिले और बाकी वो सब ले गये। बताओ, कौन सी पार्टी थी ? किस पार्टी के थे ? बतायें। किस पार्टी का जीता था ? बेरिया किस पार्टी का जीता था ? तीन वोट मिले, समर्थक, प्रस्तावक और उम्मीदवार का। तीन ही वोट मिले और सतपाल ने जोर से बिठाकर पर्चा दाखिल कराया था। चाहे जो हो, उन लोगों से कहते कि मुलायम सिंह मिले हुए हैं और कहते हैं कि मुलायम सिंह का नाम लेकर कि उसने मरवा दिया। कितना षडयंत्र, कितनी मानसिकता गन्दी हमारी पार्टी के लोगों की गाड़ी छीन-छीन कर चुनाव का प्रचार किया। गाड़ियां छीन ली गई और वे लोग खड़े रह गये। कुछ नहीं बोला, अपहरण करा लिया था, धमकी देते थे और टेलीफोन कर देते थे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मीडिया के लोग कैसे पहुंचे ? किसने पहुंचाया, इसकी अगर जांच हो जाय तो पता चल जायेगा कि कौन मिला था। कौन ले गया था ? कौन बयान टेप कर रहा था ? यह मामूली अपराध है ? हमारी आपकी छापेंगे इतनी और उनकी छापेंगे इतनी बड़ी। मीडिया के लोगों ने जिस तरह से डकैतों का सम्मान बढ़ाया है। मैंने रिक्वेस्ट की, प्रेस कान्फ्रेंस की, मीडिया के भाइयों से कहा कि इनकी खबरें इतनी मत छापो, लेकिन यह छापते हैं उनकी खबर ज्यादा और हमारी-आपकी कम छापेंगे। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति रह जायेंगे पीछे और मुलायम सिंह और टंडन जी आप कहीं नहीं होंगे। मीडिया ने उनको नेता बनाया। यह मीडिया के लोग हैं। इनको खबर मिलती नहीं इसलिये इस तरह की खबर छापते हैं। देश में गरीबी क्या है, स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है, सड़कें क्या है, इस पर आर्टिकल लिखते नहीं। आर्टिकल लिखते हैं, भागकर जा रहे हैं, थप्पड़ मार दिया, टी0वी0 पर दिखा दिया। हत्याएं क्या पहले नहीं होती थी ? अब कहीं हत्या होती है तो उसको रोज टी0वी0 में दिखाते हैं जिससे लगता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत हो रही है। (व्यवधान) कुछ लोग हैं, बाकी अच्छे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हं कि अपराधी की इतनी खबर छाप देना, क्या यह अच्छी बात है। ऐसी खबर छाप दोगे ? हत्या हो गयी, लूट हो गई, सारा पेपर भर जायेगा डकैतों की खबर छाप देने से। इससे और बढ़ती है और एक समस्या पैदा करती है। कलुआ और भूरा डकैत को बरेली में मारा गया। कितने मामले थे उसके ऊपर। कितने पुलिस के लोगों को मारा था ? किसने पाला था उसको ? हमारे घर के सामने दांयें-बांयें उसी का ठेका था। किसके राज्य में था ? इन्हीं के राज्य में था। यह भागा क्यों नहीं ? सुनना ही नहीं चाहते।

लक्ष्मीशंकर यादव को किसने मारा ? इतने बड़े नेता को किसने मारा ? किसको सजा हुई ? इतने बड़े आदमी की हत्या हो गई, 2005 में, मुठभेड़ में 2001 लोग मारे गए जिसमें 292 डकैत इनामी थे। डकैत मारे गए यह मामूली बात है ? कौन डकैत थे, यह पता लगाकर बता दें। किस सन् में पैदा हुए, आप चाहेंगे तो पता लगाकर बता देंगे। हमारे राज्य में कोई पैदा नही हुआ। हमने तो सफाया किया। हम पर यह पाप का बोझ, हमारे ऊपर यह कीचड़ और गन्दगी को जो रखा, यह ढेर

हो गया, गन्दगी का पहाड़ बन गया, ढेर बन गया। एक दिन में इसको कैसे गिराया जा सकता है ? अपने घर में साल भर तक झाड़ू न लगाओ, उसके बाद एक दिन में साफ करके दिखा दो। 95 के बाद का जो कीचड़ और गन्दगी थी, वह ढेर हो गया, पहाड़ बन गया। हम उसका सफाया कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं। अब सुनने वाले भाग गए, करने वाले भाग गए। (हंसी) कम से कम आप लोग बैठे तो हो। उनका कहना था, मुलायम सिंह करने वाले हैं। मुलायम सिंह को दोषी बना दिया। क्या इस देश के सामने ऐसा करना चाहिए था ? ऐसे लोगों को, व्यापारियों के दलाल लोगों को ऐसा करना चाहिए था ? पैसा लेकर नंबर-1 का उसे दिखाते हैं।

(हंसी)

हम और लम्बा भाषण नहीं करना चाहते। हम यह कहना चाहते कि 63 लाख 300 करोड़ का निवेश प्राप्त हो गया है। अब भाषण बंद करना है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि भूमि सेना का जो गठन किया गया है यह सोच-समझकर किया गया है, क्योंकि यह हिन्दुस्तान की जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। विकास के काम हो रहे हैं। आप देखें, जब लखनऊ की जमीन पर मैं पहली बार चुनकर आया था तो गेहूं के बाल और सरसों दिखाई पड़ती थी। आज पत्थर दिखाई देते हैं। जमीन घटती जा रही है। तीन फीसदी पैदावार घट गई । अगर ऐसा ही रहा तो देश के सामने अन्न का संकट आ जाएगा। इसलिए हमने भूमि सेना बनाई है। एक लाख हैक्टेयर जमीन को खेती लायक बनायेंगे, यह हमारी कोशिश है। दो हजार लोगों को रोजगार देंगे। हमने ऐसे भूमिहीन लोग जो हैं, उनके लिए स्कीम बनाई है। ऐसी स्कीम कही नहीं है। अपनी जमीन पट्टे पर देंगे, उस जमीन पर वह काम करेंगे, 58--60 रुपये मजदूरी देंगे जब तक खेती लायक नहीं बन जाएगी। पूरा सरकारी खर्चा करेंगे। उत्पादन बढ़ायेंगे। रोजगार बढ़ायेंगे। बेरोजगारी मिटाएंगे। यह आदर्श काम हो रहा है। कर्नाटक में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और कहीं नहीं हो रहा है।

भूमि सेना का गठन किया गया है। यह समाजवादी पार्टी का काम है। पानी की कमी है। राष्ट्रीय जल नीति बन जाती तो पानी की कमी न होती। शुद्ध और साफ पानी पीने को मिलता। शुद्ध और साफ पानी की कमी न होती। हर क्षेत्र में पानी पहुंचे ताकि पानी की कमी न हो, किसानों को पानी मिले, हर खेत को पानी पहुंचे, इसके लिए राष्ट्रीय जल नीति बननी चाहिए थी। लेकिन आज तक राष्ट्रीय जल नीति नहीं बन पाई । जब तक जल नीति नहीं बनेगी तब तक पानी का संकट दूर नहीं हो सकता है। हम आज भी मांग कते हैं। हम सहयोग करेंगे अगर भारत सरकार राष्ट्रीय जल नीति बनाये। सारा काम छोड़कर पीने के पानी का इंतजाम करे। हमने भूमि सेना के लिए पहले 40 करोड़ रखा था, अब 100 करोड़ है। आप कहीं चलकर देख लें उन अधिकारियों को, विधिवत काम हो रहा है सारे उत्तर प्रदेश में और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में अभी से दिखाई दे रहा है। हमने योजना के अन्तर्गत 126 लाख एकड़ जमीन खेतिहर बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक लाख एकड़ जमीन, ढाई लाख एकड़ जमीन खेतिहर बनायेंगे ऐसी योजना बनाई है। यह 1564 गांव हैं, एक लाख पन्चानवे हजार भूमि सैनिकों की 1254 समितियां कार्य कर रही हैं। भूमि सेना की गांव में ही समितियां बनाई गई है, उसी गांव में, और बहुत अच्छी तरह से यह काम हो रहा है। जो हमने बेरोजगारी को घटाने के लिए बात कही थी और आपने सवाल किया था, पहले मैंने कहा था 31 दिसम्बर, भीड़ हो गयी लड़कों की, फिर हमने उसे 28 फरवरी कर दिया कि 28 फरवरी तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, रोजगार दफ्तर में, उनका भी हिसाब आ जाएगा, तब आपके सामने रख दूंगा।

(मेंजें थपथपाई गईं)

श्री मुलायम सिंह यादव--

लेकिन जो अभी अनुमान है, 240-250 करोड़ का, वह आपके सामने रख ही दिया है और जो व्यय बढ़ेगा, उसको करेंगे।

आपने कुछ मांगें रखी थी तो आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। माननीय बाजपेयी जी, आपको पहले बता दें। विधान सभा की कार्यवाही संचालन में मौजूद कर्मचारियों को 1200 रुपये की जगह हम 1500 रुपये कर रहे हैं और माननीय प्रमोद कुमार ने हैण्डपम्प की बात कही है। आपने 300 मांगे थे, डेढ़ सौ हैण्डपम्प हम आपको देते हैं। उतनी बात यहां हम करेंगे, जो कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय मुख्य मंत्री जी, डेढ़ सौ आपने कहा, तीन सौ हमने कहा मैं 100 पीछे आ जाता हूं, आप 50 आगे बढ़ें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ठीक है।

(मेजें थपथपाई गईं)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

शहर वाले विधायकों को भी मिलेंगे ? और जो पिछले वर्ष के बाकी रह गये हैं, वह भी दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

शहरों को भी मिलेंगे, चिन्ता मत करो, सबको मिलेंगे। हम दे देंगे, हमने कह दिया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौर साहब, माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि जो पिछला नहीं मिला है, वह भी मिलेगा और यह भी 200 मिलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने 72 वर्षों में रणजी ट्राफी जीती तथा भारतीय क्रिकेट टीम में पहुंचे--मो0 कैफ, सुरेश रैना, आर0पी0 सिंह और पीयूष चावला को पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं। फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा-संकुल की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। अब सड़क रह गई है। बिजली का तो पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ तेजी से सुधरा है और आपको बता दूं कि बैठना मना है, खड़े रह सकते हैं। मैं तो पूरा कर रहा हूं लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो 10-10 गांव आप ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन कम्पनियों ने ठेका लिया था। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कम्पनियों को बुलाकर कस दिया है। यह सही है कि कम्पनियों ने लापरवाही की थी और फिर सारी कम्पनियों को मैंने बुलाया था और सारी कम्पनियों के साथ मैंने जिस तरह का कड़ा व्यवहार किया, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। यह सही है कि अब कम्पनियां अपना वायदा निभा रही है। एक कम्पनी ने कहा कि अगर मेरे अफसर सही काम नहीं करेंगे तो हम 15 करोड़ का घाटा देकर जो सबसे अच्छी कम्पनी होगी उसको ठेका दे देंगे। उसी दिन से उस कम्पनी का काम तेज हो गया। एक दिन हम दौरा करने

गये तो सब अधिकारी वहां पर थे। तो सब जनता ने कहा कि काम शुरू हो गया है, अब सब काम कर रहे हैं। सबने कहा कि काम शुरू हो गया है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

शहरी क्षेत्र के लिए भी कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

शहरों में तो सबको बिजली देनी है। भारत सरकार की नीति बनी है।

श्री लालजी टण्डन--

जितना गांव में दे रहे हैं उतना ही शहर में करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अलग है वह राजीव गांधी के नाम से लागू है और आपके शहरों की समस्या अलग है लेकिन हम शहरों की समस्या में असंतुलन नहीं करेंगे। शहरों की समस्या भी हम आप मिल बैठकर, उसको भी दूर करेंगे।

एक सदस्य--

मान्यवर, ए0पी0डी0आर0पी0 का भी कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसे कोई शहर है तो उसमें आधा शहर है और आधा गांव है तो उस शहर के जो गांव लगे हैं, उसमें होगा। शहर नहीं होता, शहर अलग चीज है।

श्री लालजी टण्डन--

पूरे शहर का कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार की योजना बनी है, उससे हटकर हम नहीं चल सकते। हमें क्या है ? हम पूरा कर रहे हैं । आपको 10-10 गांव लगवाने हैं, बहुत जल्दी है। हम कम्पनियों से कह देंगे, लगा दो।

श्री प्रमोद कुमार--

अब सड़क का बता दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री प्रमोद कुमार जी, ऐसा है कि हमारी प्राथमिकता में सड़क बनाना भी है। आप 10 की उम्मीद कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि 6 तो अच्छा नहीं लगता लेकिन 7 किमी0 तक सड़क हम दे देते हैं। और मैंने कह दिया कि जो शहरों की ए0पी0डी0आर0पी0 योजना है उससे शहरों की बिजली का कार्य होगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष, आपको भी धन्यवाद देता हूं और प्रमुख सचिव को, माशेल को और पूरे के पूरे माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों और सदन के नेताओं को, कर्मियों को इनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से मेरा सहयोग किया है और किन परिस्थितियों में किया है, जब बहुत अस्थिरता का वातावरण पैदा करने

की कोशिश की गयी, उन परिस्थितियों में हमें सहयोग दिया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आप समझते हैं कि बजट का महत्व क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जितने शहर के विधायक हैं पच्चीस-पच्चीस लाख रुपया विद्युत कार्य के लिए दिया जायेगा, यह घोषणा की थी। उसका शासनादेश हो गया है, हम लोगों ने अपनी संस्तुति भी दे दी है, लेकिन उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि शहरों के विधायकों को सौ हैण्ड पम्प देने की बात कही गयी थी लेकिन एक भी हैण्ड पम्प नहीं लग पाया है। यह रिवाल्विंग फंड के चक्कर में रिवाल्व कर रहा है। तो जो पिछले कार्य हैं उसके लिए स्वीकृति दिलवा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह काम नहीं हुए हैं आप लिखकर दे दीजिये, अधिकारी बैठे हैं इस समस्या का तत्काल हल करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने विद्युत के बारे में इतनी सुविधा दी है मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरे आग्रह पर विचार कर लें। मान्यवर, इससे पहले भी मैंने कहा था कि कृषकों के लिए सिंचाई के लिए जो नलकूप कनेक्शन के आवेदन-पत्र पड़े हैं पूरे प्रदेश में ।

(मुख्य मंत्री जी को सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा पत्र देने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। यह बजट पास होने जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी थी, मेरा केवल इतना आग्रह है कि किसानों के हित में उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली के कनेक्शन हेतु नलकूप के लिए जितने आवेदन-पत्र लंबित हैं क्या उनको कनेक्शन दिलवाने के लिए तुरन्त आदेश देने की कृपा करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है, हमारी पूरी प्राथमिकता है। जहां-जहां पर इस तरह की दिक्कत है, उसे हम दिखवायेंगे। हमारे अधिकारी भी सुन रहे हैं, वह भी करें और आप लोग भी पत्र लिख करके दे दें। सवाल पर सवाल कर रहे हैं, तो यह चलता ही रहेगा। दो-तीन-चार लोग साथ-साथ सवाल पूछते हैं, जनरल सवाल पूछते हैं, यह कोई लिखने वाली बात है ? हमने कह दिया है, आपका काम हम गम्भीरता से देखेंगे। आप सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, अपने क्षेत्र की बातें कर

रहे हैं। कितना बड़ा काम किया है। आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद दिया है। अब बजट पास करवायें।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी था कि मेरे भाषण के बाद आप स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बस केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए काफी घोषणायें की हैं, तीसरा बजट इस सरकार का है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक इन्सेफ्लाइटिस मैनिनजाइटिस के लोगों की मृत्यु होती है हजारों की संख्या में और चाहे वह बस्ती हो, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर हो, उस मण्डल में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी एक सैद्धान्तिक सवाल है 500 बेड का अस्पताल मौजूद है, क्या उसको मेडिकल कालेज का स्तर बना करके कम से कम उनको मृत्यु से बचाने की घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अब यह चाहें उत्तर दें या न दें मैं इन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह कैसी बात हुई, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने दीजिए, उत्तर क्यों नहीं देंगे, यह कह दें कि हम नहीं बनायेंगे, बस्ती मण्डल इस प्रदेश के नक्शे से अलग है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देंगे, टांडा पुल नहीं बनेगा या वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, तीन मेडिकल कालेज पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। एक मेडिकल कालेज हमारी सरकार का था वह भी विश्वविद्यालय इलाहाबाद का केन्द्रीय दर्जा मिलने के साथ वह भी चला गया, आप माननीय जगदम्बिका पाल खुद सोचिये, कितनी चिंता थी तीन मेडिकल कालेज बनाने की। एक साथ इतने मेडिकल कालेज बनाना है सम्भव नहीं है। लेकिन उच्च स्तरीय मेडिकल कालेज करा करके आपको गोरखपुर से जोड़ करके अच्छा इलाज का हम प्रबन्ध करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब हम मद संख्या-01 लेते हैं, माननीय मौर्य जी आप संशोधन रखेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

जी, मान्यवर, हम संशोधन रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप पढ़िये।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मान्यवर, विधायकों के क्षेत्र में सुविधायें देने की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है हम उसका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं, लेकिन बिजली के बारे में शहर में पिछला जो 25 लाख था उसका कोई कार्य

नहीं हुआ, इस बार आपने कोई एमाउण्ट तय नहीं किया कि इतना पैसा होगा, पिछली वार और इस बार का मिलाकर के शहर की बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी, कहीं ट्रान्सफार्मर उच्चीकरण होने हैं,कहीं पर तार लटक रहे हैं, सिर से लग जायेंगे कोई घटना हो जायेगी, बल्लियों के ऊपर लाइन गई है, तो वहां खम्भे लगवाने हैं, इस तरह के काम जो हैं, इसके लिए कोई धनराशि, और जो पिछली साल की है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जो बजट बढ़ाकर दिया है, इन्हीं कामों के लिए दिया है, कोई अलग-अलग गांव और शहर के लिए अलग नहीं दिया जाता। लखनऊ के साथ सारे प्रदेश के जितने भी खराब हैं, तार लटक रहे हैं, सबको ठीक कराने का आदेश दे दिया है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि अगर कोई अच्छी घोषणा रही हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहिए, वह आप नहीं करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

पहले बजट पास तो हो जाने दीजिए। यह अच्छी परम्परा नहीं है। परम्परा यह है कि पहले बजट पास हो जाय उसके बाद आप धन्यवाद दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर मेरा सिर्फ यह कहना था कि धन्यवाद टुकड़ों में नहीं दिया जाता है। हम एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। आप मुख्य मंत्री जी अभी केवल यह घोषणा कर दें कि हम विचार कर लेंगे और जब अवसर आयेगा तो जो विधायक निधि है और जो एक करोड़ रुपया अब सामानों की कीमत बढ़ने से कम लगता है उसको बढ़ाने पर विचार करेंगे। जब आपका जी करे, जब आपके संसाधन हों, आप इसे बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दीजिए और आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

चार बजे विनियोग विधेयक पेश होना है।

बजट अनुदानों को समेकित रूप में पारित कराने विषयक सुझाव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, इसे विधान परिषद् में भेजना है। हम इस सुझाव से सहमत हैं कि एक साथ सभी अनुदान की मांगे पारित कर दी जायें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। आप सब एक साथ रख दीजिए।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, एक साथ प्रस्ताव रखवा दें और एक साथ कटौती का प्रस्ताव करा दें और उसके बाद इसे पास करा दें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी लालजी वर्मा जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसे सामूहिक रूप से रख दिया जाये, अनुदान की मांगों को। मान्यवर, पिछली बार मद संख्या-10(1) आपने पुकारी थी तो अनुरोध है कि सब एक साथ ले लिया जाये। हमारी प्रार्थना है कि पूरे बजट में जितनी अनुदान की मांगें हैं सब एक साथ रख दी जायें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या-01--आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-02--आवास विभाग, अनुदान संख्या-03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या-07--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-08--उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), अनुदान संख्या-09--ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), अनुदान संख्या-11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या-18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या-21--खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-22--खेल विभाग, अनुदान संख्या-23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग),अनुदान संख्या-25--गृह विभाग (कारागार), अुनदान संख्या-26--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या-35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-37--नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग, अनुदान सख्या-40-- नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41--निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42--न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43--परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-44--पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-45--पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-46--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-47--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48--मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान सख्या-49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग,

अनुदान संख्या-50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51-- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या-52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या-54-- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55--लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56--लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें), अनुदान संख्या-59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-60--वन विभाग, अनुदान संख्या-61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-67--विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68--विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-70-- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-71--शिक्षा विभाग, (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्), अनुदान संख्या-76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77--श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-78--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग, (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-82--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-84--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-85--सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-86--सूचना विभाग, अनुदान संख्या-87--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या-90--संस्थागत विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-95--सिंचाई विभाग, (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-01, लगायत 2830 लगायत 6870 लगायत 7375 लगायत 9295 लगायत 96 के अंतर्गत कुल रुपये बासठ हजार नवासी करोड़ बानबे लाख सैंतालिस हजार (रुपये 62089,92,47,000) की अनुदान मांगे वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए स्वीकार की जाये।

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, इस तरीके से नहीं एक-एक मद रखवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप कटमोशन रख रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं रख रहा हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंतर्गत,सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है वह है कि अनुदान संख्या-01 लगायत 2830 लगायत 6870 लगायत 7375 लगायत 9295 लगायत 96 इनकी मांगें एक साथ रख दी हैं। आप भी ऐसा ही प्रस्ताव करें और सब एक साथ पढ़ दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

या ऐसा पढ़ दें कि जैसा माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पढ़ा गया है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों की मांगों के संबंध में जो प्रस्ताव किया है उसमें से जिन अनुदानों पर विवाद नहीं होना है, उनको छोड़कर शेष अनुदानों के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय लालजी वर्मा जी द्वारा कटौती प्रस्तावों के रूप में रखा गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 लगायत 2830 लगायत 6870 लगायत 7375 लगायत 9295 लगायत 96 के अंतर्गत कुल रुपये बासठ हजार नवासी करोड़ बानवे लाख सैंतालीस हजार (रुपये 62089,92,47,000) की अनुदान मांगे वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए स्वीकार की जाये !

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विनियोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित किये जाने का समय परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, कल कार्यमंत्रणा समिति में विनियोग विधेयक, 2006 का समय 4.00 बजे तय हुआ था। मैं चाहता हूँ कि इसे 4.00 बजे के बजाय 3.00 बजे ले लिया जाय। इस पर सदन की अनुमति ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव रख दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि विनियोग विधेयक, 2006 का समय 4.00 बजे के बजाय 3.00 बजे कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मद संख्या-11 विनियोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित किया जाना, जो कल कार्य मंत्रणा समिति में 4.00 बजे प्रस्तावित थी, को 3.00 बजे ले लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के विकास हेतु मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापन तथा विधायक निधि का नाम परिवर्तन व धनराशि बढ़ाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष--

जब तक विनियोग विधेयक पेश हो रहा है, तब तक प्रमोद जी आप धन्यवाद दे लीजिये।

*श्री प्रमोद कुमार--

आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से, आपके सहयोग से सदन की भावनाओं के अनुरूप और उत्तर प्रदेश के विकास को मद्देनजर रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उस पर मैं हृदय से सम्पूर्ण सदन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के पास समय कम था, उनके मन में कुछ बात थी, वह उसे कह नहीं पाये, वह रह गयी है। मैं उस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज आप काफी लम्बे समय तक बोले, बैठने में आपको तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बैठें। इसलिये खड़े हो जायें और घोषणा कर दें। मेडिकल सलाह भी आपको यही है कि आपको खड़े रहना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप अभी कर दें। आप अपने संसाधन देख लें और एक शर्त लगा दें। मेरा यह भी कहना है कि विधायक निधि का नाम बदलकर विधान सभा क्षेत्र विकास निधि कर दिया जाय और जब इतना बड़ा नाम है तो उसी हिसाब से धनराशि भी बढ़नी चाहिये। अगर आज आप न कहना चाहें तो केवल इतना कह दीजिये कि जब कभी भी अवसर आगे मिलेगा तो मैं बढ़ा दूँगा।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर की राय है कि आप खड़े रहें बैठने में मुझे दर्द होता है। जहां तक आपकी मांग है, नाम बदलने की, तो वह बदल देंगे। जहां तक विधायक निधि बढ़ाने की बात है तो अभी तो असेम्बली खत्म नहीं हो रही है, अभी तो असेम्बली आगे चलेगी। हम बात कर लेंगे, प्रमोद कुमार जी, आपसे और माननीय नेताओं से बात कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूँ।

[समय 3.00 बजे]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 21-3-2006 के असाधारण गजट कि विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रतियां बंटवा दी जाएं।

(प्रतियां बांटी गईं।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप लोग हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं बैठ रहे हैं ? कृपया आप लोग बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार का प्रस्ताव है, इसलिए दो शब्द कह लूँ। मान्यवर, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें हुई हैं। मान्यवर, मेरे केवल दो आग्रह हैं, एक तो हम यह चाहेंगे कि समय से बजट पास हो रहा है, समय से सारी स्वीकृतियां जारी हो जाएं ताकि समय से काम शुरू हो सके। मेरा दूसरा आग्रह यह है कि जो बजट का पैसा स्वीकार हो रहा है, मान्यवर, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है कि इस पैसे का अपव्यय न हो। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस पैसे का जितना सदुपयोग होना चाहिये था, उतना नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं बीच में लीकेज है। इसके लिए आपको कोई न कोई मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। मान्यवर, पैसे की स्वीकृति आपने करा दी और पैसा भी चला गया लेकिन मान्यवर, जिला स्तर पर, निचले स्तर पर उस पैसे का सदुपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं एक मिसाल दे करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, मैं किसी द्वेष की वजह से नहीं कह रहा हूँ लेकिन जब कोई कमी हमारे सामने होती है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी जानकारी सदन को दूँ। सिंचाई विभाग के नये मंत्री बने हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या आप इसकी जानकारी करायेंगे कि त्रावण मार्ग के लिए गंग नहर पर 80 करोड़ रुपए का इस्टीमेट था, उस इस्टीमेट को बढ़ा करके चार सौ करोड़ रुपए तक ले गए और चार सौ करोड़ रुपए तक ले जाने के बाद भी आज तक किसी काम के टेण्डर नहीं हुए, मिट्टी का काम दिखाया जा रहा है तो मान्यवर, क्या सदस्य होने के नाते मेरा यह दायित्व नहीं बनता कि सदन के संज्ञान में मैं इसे लाऊँ कि इतना बड़ा टेण्डर यह हो रहा है, आप इसकी जांच करा लें ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

ठीक है मैं मान गया हूँ, आपके सुझाव को मैं अच्छा मानता हूँ, आपका सुझाव अच्छा है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी मैंने अधिकारियों को भेजा था, सत्यापन में कमी पाई गईं और हमने कार्रवाई भी की है। विकास कार्यों के स्थल एवं भौतिक सत्यापन में जहां-जहां कमी पायी गयी, उनकी जांच करते हुए जनवरी, 2006 तक 6,962 मामलों में कार्यवाही की गई और 2,049 कर्मियों को निलम्बित किया गया है, 1143 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, 269 कर्मियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है और 3,489 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। अब असली जो सवाल है, उसमें सभी दल शामिल है, किसी एक दल का मामला नहीं है। आप भी जानते हैं, इसमें काफी लोग डायरेक्ट-इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं। अब इसके लिए हम सभी लोगों को बैठ करके इसके लिए उपाय सोचना होगा। जिस दिन आप उपाय करने के लिए खड़े हो जाओगे, हम तैयार हैं। चाहे किसी भी दल का कोई भी उसमें इन्वाल्व हो, उसके लिए आप जो भी फैसला करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। आपने बजट पास कराया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके विश्वास पर मैंने वोट ऑन एकाउण्ट नहीं लिया। आपके विश्वास पर मैंने यह रिस्क उठाया। मुझे विश्वास था कि समय से बजट पास हो जायेगा। अब इतने दिन मिल गये हैं तो पहली अप्रैल से स्वीकृतियां जारी हो जायेंगी। अधिकारी नहीं जारी करेंगे तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन गुणवत्ता पर आप लोग ध्यान दीजिए। गुणवत्ता पर जिस दिन ध्यान देंगे, क्वालिटी अपने-आप सुधर जायेगी। आप अधिकारियों और सरकार के भरोसे न रहिये, इस काम को स्वयं करिये। आप क्षेत्र में जाइये और कहीं कमी होती है तो लिखकर दीजिए।

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, आज बजट पास हो रहा है, 11 तारीख है, माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि तुरन्त स्वीकृतियां जारी होंगी। पिछले वर्ष बजट पास हुआ था, कुछ विभाग हैं जो बजट प्रस्ताव लाये थे, उनकी अभी तक स्वीकृतियां नहीं जारी हुई हैं। दूसरा निवेदन है कि मुझे यहां से टांडा जाना रहता है ....

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष जी, अब भाषण होने जा रहा है। वर्मा जी आप लिखकर दीजिए, मैं देख लूँगा कौन जिम्मेदार है इसके लिए उसे दण्डित भी कर दूँगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006

31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2006-2007 के लिए 90372,24,60,000 रुपये का निकाला जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे,उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 90372,24,60,000 रुपये (रुपये नब्बे हजार तीन सौ बहत्तर करोड़ चौबीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में),		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	अंकेक्षण विभाग	राजस्व :	410145	1000	411145
		पूंजी :	3500	...	3500
02	आवास विभाग	राजस्व :	192071	108026	300097
		पूंजी :	414758	194748	609506
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	557442	400	557842
		पूंजी	40000	...	40000
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	200587	...	200587
		पूंजी :	3000	...	3000
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	345870	...	345870
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	385215	...	385215
		पूंजी :	1	...	1
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	193962	...	193962
		पूंजी :	1040023	...	1040023
08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व :	678081	...	678081
		पूंजी :	70000	...	70000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	14178907	314489	14493396
		पूंजी :	30804401	...	30804401
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1115626	4547	1120173
		पूंजी :	20502	...	20502
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	9608874	510	9609384
		पूंजी :	1947700	...	1947700
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	1319533	...	1319533
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	12082312	1000	12083312
		पूंजी :	8008932	....	8008932

अनुसूची (क्रमश:)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	8439628	...	8439628
		पूंजी :	95319	...	95319
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	2346866	1379	2348245
		पूंजी :	568784	...	568784
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	146877	20	146897
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	332042	...	332042
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	405201	61444	466645
		पूंजी :	644800	136363	781163
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	23590	...	23590
		पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	17822	138979	156801
		पूंजी :	...	2845	2845
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	1324227	1550085	2874312
		पूंजी :	57766945	15000050	72766995
22	खेल विभाग	राजस्व :	206665	100	206765
		पूंजी :	239112	...	239112
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	714775	150	714925
		पूंजी :	75500	...	75500
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	702794	...	702794
		पूंजी :	375000	...	375000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	1497060	800	1497860
		पूंजी :	473520	...	473520
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	30049216	5583	30054799
		पूंजी :	2540005	334	2540339
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	1562322	...	1562322
		पूंजी :	67500	...	67500
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	760160	...	760160
		पूंजी :	...	...	0
*29	गोपन विभाग, (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	37219	37219
		पूंजी :	...	...	0

*भारत विनियोग से [illegible]

अनुसूची (क्रमश:)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	14475	...	14475
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	7629008	...	7629008
		पूंजी :	929516	...	929516
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	12805008	1000	12806008
		पूंजी :	5704435	...	5704435
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	1939920	...	1939920
		पूंजी :	97598	...	97598
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1037075	25	1037100
		पूंजी :	74579	...	74579
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	5318258	1000	5319258
		पूंजी :	257600	...	257600
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	2484055	700	2484755
		पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	5419115	...	5419115
		पूंजी :	2434564	...	2434564
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	81333	...	81333
		पूंजी :	385115	...	385115
39	भाषा विभाग	राजस्व :	49881	...	49881
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	558894	...	558894
		पूंजी :	6450040	...	6450040
41	नियंत्रण विभाग	राजस्व :	818361	...	816361
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	4557515	732613	5290128
		पूंजी :	504444	...	504444
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	398595	...	398595
		पूंजी :	318000	...	318000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	134198	...	134198
		पूंजी :	806255	...	806255
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	829322	...	829322
		पूंजी :	800000	...	800000

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	38361	...	38361
		पूंजी :	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	1027351	102	1027453
		पूंजी :	154492	...	154492
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	1887109	205	1887314
		पूंजी :	139063	...	139063
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	10710805	200	10711005
		पूंजी :	12902	...	12902
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	2355025	1550	2356575
		पूंजी :	561326	...	561326
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व :	3049577	3044800	6094377
		पूंजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	7712121	8677	7720798
		पूंजी :	5852	1051	6903
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	1563	...	1563
		पूंजी :	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	6330733	400	6331133
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	181307	16405	197712
		पूंजी :	230628	18002	248630
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	250000	...	250000
		पूंजी :	4425000	...	4425000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन -सेतु)	राजस्व :	90000	...	90000
		पूंजी :	2970048	...	2970048
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	12330785	500	12331285
		पूंजी :	20442992	55000	20497992
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	563944	...	563944
		पूंजी :	298824	...	298824
60	वन विभाग	राजस्व :	1843909	1370	1845279
		पूंजी :	1373123	...	1373123
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	27468335	129438620	156906955
		पूंजी :	2825001	130521419	133346420
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	34265339	7598	34272937
		पूंजी :	1000000	...	1000000

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3			
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	787850	600	788450
		पूंजी :	13732	...	13732
64	वित्त विभाग (राज्य लॉटरी)	राजस्व :	13042	...	13042
		पूंजी :	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	767369	...	767369
		पूंजी :	380	...	380
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	11216	1155480	1166696
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	155483	4395	159878
		पूंजी :	3000	...	3000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	444755	5301	450056
		पूंजी :	3835	...	3835
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	322346	...	322346
		पूंजी :	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	69127414	...	69127414
		पूंजी :	20187	..	20187
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	32037919	270	32038189
		पूंजी :	190793	...	190793
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	7537270	1	7537271
		पूंजी :	305000	...	305000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	632125	...	632125
		पूंजी :	22240	...	22240
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	966821	...	966821
		पूंजी :	5	...	5
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	905368	...	905368
		पूंजी :	261914	...	261914
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	1961573	...	1961573
		पूंजी :	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	7168500	...	7168500
		पूंजी :	112531	...	112531
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	10597666	...	10597666
		पूंजी :	...	...	0

अनुसूची (क्रमश:)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अन्यधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	304411	10	304421
		पूंजी :	17690	...	17690
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	146996	11123	158119
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	22436647	...	22436647
		पूंजी :	14138566	...	14138566
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	5194	...	5194
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	20741	...	20741
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	311200	...	311200
		पूंजी :	181900	...	181900
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	259565	10	259575
		पूंजी :	10600	...	10600
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	25043	...	25043
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)	राजस्व :	2312302	194706	2507008
		पूंजी :	49386	...	49386
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	400265	...	400265
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	669535	4	669539
		पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	320228	5	320233
		पूंजी :	170900	...	170900
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	8241275	...	8241275
		पूंजी :	1311973	...	1311973
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	10774886	...	10774886
		पूंजी :	22039664	40000	22079664
	योग :-	राजस्व :	423644152	136853401	560497553
		पूंजी :	197255095	145969812	343224907
	महायोग :-		620899247	282823213	903722460

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग मानें जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11 मार्च, 2006 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई :--

पहली सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की है, जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-सीटी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्री बनाने में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विधायक निधि के धन का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है, जनपद बस्ती स्थित रेफेरल अस्पताल में निदेशक/चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री राकेश सचान की है, जनपद कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में कमलापुर नवही मार्ग का सड़क निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री प्रेम सिंह की है, जनपद मथुरा स्थित ग्राम पेरसुवा अंतर्गत श्री बांके लाल के घर पर दबंगों द्वारा लूटपाट एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया की है, जनपद गाजियाबाद स्थित रिलायन्स पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री महेश नारायण सिंह की है, जनपद इलाहाबाद स्थित नेशनल हाई-वे जी0 टी0 रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, शाहजहांपुर नगर की अधूरी पड़ी सीवर लाइन को चालू कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है, लखनऊ स्थित ऐतिहासिक टिकैत राय तालाब की रख-रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की है, पूरे प्रदेश में खराब मौसम के कारण किसानों की नष्ट हुई फसलों को देखते हुए उन्हें आर्थिक अनुदान की घोषणा किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवी सूचना श्री लल्लू सिंह की है, जनपद फैजाबाद के सुहावल स्थित 220 के0वी0 विद्युत् सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं

सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, इलाहाबाद शहर में निर्मित अनधिकृत कालोनियों एवं आवासों के नियमितीकरण किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है जनपद आजमगढ़ स्थित मेहनगर में बिना स्वीकृत के पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की है, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में बी0 टेक0 एवं बायोटेक की मान्यता दिलाये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की है, थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के ग्राम भुपियामऊ निवासी श्री श्यामलाल शर्मा के साथ दबंगों द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि की दूसरी किस्त जारी न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं श्री हरिप्रताप सिंह, श्री राम हेत भारती, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रामकरन आर्य, श्री बीजू पटनायक, श्री राम अचल राजभर, श्री सदल प्रसाद, श्री छोटे लाल यादव, श्री मस्त राम, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री आलमबदी, श्री जगदीश नारायण राय, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री मदन चौहान, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री राम विशुन आजाद, श्री दयाराम एवं श्री रणवीर राणा।

जनपद चित्रकूट की श्रीमती रामकन्या की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(श्री नरेश अग्रवाल द्वारा कार्यसूची से उत्तर देने पर)

श्री हुकुम सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी सदन को कम से कम इतनी गम्भीरता से लें कि एजेण्डा से न उत्तर दें। अगर उनके पास वक्तव्य की प्रतियां न हों तो पहुंचा दी जायं। इतना तो सदन का लिहाज करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

डा0 पूर्णमासी देहाती, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 1-3-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत....

(अनेक सदस्यों द्वारा इसे पढ़ा हुआ मानने का अनुरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[दी गयी सूचना जो कि जनपद चित्रकूट की श्रीमती रामकन्या की जमीन जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में उपर्युक्त प्रकरण की पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से प्राप्त आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है-- .

श्रीमती रामकन्या, नि0 हस्ता, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में क्षेत्राधिकारी, राजापुर द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी, तो पता चला कि श्रीमती रामकन्या के पिता दो भाई थे 1--महादेव 2--शिव सम्पत। महादेव की दो संताने रामकन्या व मेडिया है। महादेव की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी रामकन्या हुई। शिव सम्पत के कोई सन्तान नहीं थी। शिव सम्पत ने अपना हिस्सा रामकन्या को दे दिया। रामकन्या के रिश्ते में एक चाचा प्रभु दयाल भी थे उनकी भी कोई सन्तान नहीं थी। प्रभुदयाल ने अपनी जमीन अपने भान्जे वीरेन्द्र कुमार व सदाश्याम को दे दिया। वर्ष 1979 में प्रभु दयाल ने अपनी जमीन वीरेन्द्र व सदाश्याम के नाम वसीयत कर दी। वर्ष 1984-85 में रामकन्या ने यह दावा किया कि मेरे पिता व चाचा के कोई भान्जा नहीं है हम खातेदार हैं इसलिए प्रभुदयाल की जमीन हमें मिलनी चाहिए और उसी वर्ष एक मुकद्मा ए0एस0डी0ओ0, कर्वी के न्यायालय में दाखिल किया। तब से अब तक विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चलता रहा। कभी रामकन्या के पक्ष में निर्णय होता था तो कभी विपक्षी वीरेन्द्र आदि के पक्ष में। वर्तमान समय में मा0 हाईकोर्ट, इलाहाबाद द्वारा ए0एस0डी0ओ0, कर्वी को निर्देश दिया गया कि प्रकरण को 6 सप्ताह के अन्दर निस्तारित करें। ए0एस0डी0ओ0, कर्वी ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दिनांक 9-1-06 को श्रीमती रामकन्या के पक्ष में अपना फैसला सुनाया तथा अभिलेखों में विपक्षी वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर श्रीमती रामकन्या का नाम इन्द्राज करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में अभिलेखों में वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर रामकन्या का नाम दर्ज हो गया किन्तु ए0एस0डी0ओ0, कर्वी के आदेश दिनांक 9-1-06 के विरुद्ध प्रतिवादी वीरेन्द्र आदि ने आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के न्यायालय में अपील दायर की जिसमें दिनांक 30-1-2006 को सुनवाई करते हुए ए0एस0डी0ओ0, कर्वी के आदेश दिनांक 9-1-06 को स्टे करते हुए सुनवाई की अग्रिम तिथि 3-3-2006 निश्चित की है। तब तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। वर्तमान समय में उक्त विवादित जमीन पर उक्त विपक्षी वीरेन्द्र आदि का कब्जा है। चूंकि ए0एस0डी0ओ0, कर्वी के आदेश दिनांक 9-1-06 द्वारा मण्डलायुक्त, बांदा द्वारा स्टे कर दिया गया है एवं प्रतिवादी वीरेन्द्र आदि का पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा एक प्रकरण कब्जा सम्बन्धी बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद में विचाराधीन है। जहां तक रामकन्या के गांव छोड़कर पलायन किये जाने का प्रश्न है तो रामकन्या का अपने मायके के गांव हस्ता में खुद का मकान व जमीन है तथा इसकी ससुराल कोइरीपुर, जनपद कौशाम्बी में है वहां पर इनके पति का पुस्तैनी मकान व जमीन जायदाद है तथा रामकन्या के पति श्री ललाम त्रिपाठी प्रधानाध्यापक रहे हैं, इनका एक लड़का वकील है, जो कर्वी कचेहरी में वकालत करते हैं तथा कर्वी में भी इनका मकान है। चूंकि तीन-तीन जगह जमीन-जायदाद होने के कारण रामकन्या व उनका परिवार कभी यहां, कभी वहां रहते हैं तथा ज्यादातर कर्वी में रहते हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण जमीनी पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है जो आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा व बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद में विचाराधीन होने की स्थिति में पुलिस द्वारा इस प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है फिर भी शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।]

प्रदेश में सन् 1977 में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द राजनैतिक कैदियों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[आपातकालीन अवधि (25-6-1975 से 21-3-1977) के दौरान निरुद्ध मीसा बन्दियों जिनकी हिरासत पैरोल पर अथवा मुक्ति की 3 माह की अवधि में मृत्यु हो गयी तथा जिनकी आपातकाल में शासन की नीतियों का विरोध करते हुए पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गयी के आश्रितों को पेंशन दिये जाने की एक योजना भारत सरकार गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ-आर/22/77-एफ एफ(पी), दिनांक 12-7-1977 द्वारा चलायी गयी। उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रुपये 200.00 से रुपये 300.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान था तथा इस योजना को दिनांक 1-7-1980 से भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया।

2--भारत सरकार की उक्त योजना प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान दिये जाने की योजना तैयार की गयी जिसे शासनादेश दिनांक 23-11-77 द्वारा स्वीकृत किया गया। यह योजना संक्षिप्त रूप में निम्नवत् थी--

राजनैतिक आधार पर निरुद्ध मीसा तथा डिसिर के ऐसे बन्दियों जिनकी 25 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 तक हिरासत के दौरान अथवा रिहा होने की तारीख के 3 महीने के भीतर मृत्यु हो गयी हो या जिनकी आपात स्थिति के दौरान पुलिस गोली-बारी के दौरान मृत्यु हो गयी हो के परिवार के सदस्यों को एक मुश्त अनुदान दिये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी थी। इस योजना का आशय ऐसे परिवारों को लाभ देने का था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अनुदान की धनराशि मृतक के आश्रितों की संख्या, आय तथा अन्य परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक मामले में कम से कम रुपये 5,000 और अधिकतम रुपये 10,000 की सीमा में देय थी। अनुदान मृतक के परिवार के निम्नांकित सदस्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु दिया था--

(1) मृतक की विधवा

(2) अविवाहित तथा आश्रित पुत्रियां

(3) 21 वर्ष से कम आयु वाले उसके आश्रित पुत्र .

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4) मृतक के माता और पिता जो जीवन यापन के लिए केवल मात्र मृतक पर आश्रित हों तथा

(5) मृतक के 21 वर्ष से कम आयु वाला आश्रित पौत्र (यदि उसका पिता जीवित न हो)

3--उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 25 राजनैतिक बन्दियों के आश्रितों को रुपये 5000 से लेकर 10,000 के अन्दर एक मुश्त धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी।

उपर्युक्त योजना शासनादेश संख्या 5072 जेड/6-81-165जी/77, दिनांक 20-11-1981 द्वारा समाप्त कर दी गयी।

4--आपातकालीन अवधि के राजनैतिक बन्दियों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की भांति पेंशन व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में विचार किया गया और सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बन्दियों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः वर्ष 1975-77 के आपातकालीन मीसा डीआईआर में निरुद्ध रहे व्यक्तियों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की भांति पेंशन तथा अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।]

जनपद सोनभद्र में भयंकर सूखे को देखते हुए सोन पम्प नहर से घाघर मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के संबंध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जनपद सोनभद्र स्थित सोन पम्प नहर परियोजना चार चरणों में स्थापित है तथा प्रत्येक चरण में 6-6 पम्प सेट (60 क्यूसेक क्षमता) के लगे हैं जिसमें एक-एक पम्प स्टैण्ड बाई है। इस परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण वर्ष 1984-85 से तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण 1989-90 से संचालित हो रहे हैं। इस पम्प नहर पर स्थापित उपकरण अपना निर्धारित जीवनकाल बहुत पहले पूर्ण कर चुके हैं, परिणाम स्वरूप उपकरणों के अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो जाने से उनको पूर्ण क्षमता से चलाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। परियोजना के उपकरणों की स्थिति तथा इनके पूर्ण क्षमता से न चल पाने के कारण प्रथम एवं द्वितीय चरण पर तीन-तीन तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण पर दो-दो पम्प संचालित करने के आदेश दिये गये हैं। इस पम्प नहर से बलुई बंधी व घाघर नहर प्रणाली को पानी दिया जाता है।

यह कथन सही है कि जनपद सोनभद्र में अनावृष्टि के कारण नदियों, तालाबों में पानी की कमी है तथा भू-गर्भ जल की भी कमी है। उक्त क्षेत्र में पानी की कमी के संकट को सरकार गम्भीरता से ले रही है, अतएव सोन पम्प नहर की पुनरोद्धार की परियोजना नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु बनायी गयी है, जिसमें जीर्ण-शीर्ण पम्प सेटों व अन्य उपकरणों का पुनरोद्धार भी सम्मिलित है। इस परियोजना के स्वीकृत होने तथा नये उपकरणों की स्थापना होने के बाद नहर को पूर्ण क्षमता से चलाया जाना सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में पम्पों को यथा सम्भव ठीक रखकर एवं चलाकर जल की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद कौशाम्बी में ससुर खदेरी नदी पर अवशेष पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दयाराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 8-3-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत मनौरी सराय अकिल, कौशाम्बी मार्ग के किमी0 11 पर ससुर खदेरी नदी पर पुल के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत प्रदान की गयी थी, किन्तु शेष धनराशि न दिये जाने के कारण कार्य रोक दिया गया है, पुराने जर्जर पुल से बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित है तथा उक्त मार्ग जनपद कौशाम्बी का प्रमुख मार्ग होने के कारण जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि इस स्थान पर पुराना आर्च सेतु क्षतिग्रस्त है, जिसके स्थान पर नया सेतु निर्माणाधीन है तथा आवागमन डाइवर्जन मार्ग से हो रहा है। उक्त जनपद कौशाम्बी की परियोजना मनौरी सराय अकिल मार्ग के किमी0 11 पर ससुर खदेरी नदी पर निर्माणाधीन सेतु के संबंध में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 29-9-2005 द्वारा रु0 242.31 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण मूल्यांकन प्रभाग स0 कराया जा चुका है। परियोजना की लागत रु0 228.11 लाख आंकलित की गयी है। सम्प्रति पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अत्यन्त अल्प धनराशि अवशेष रह जाने के कारण इस परियोजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अवसर नहीं है।]

जनपद आजमगढ़ स्थित बड़ी सरयू नदी (घाघरा नदी) में डूबते हुये बच्चों को जीवित बचाने वाली 15 वर्षीय कु0 माला पटेल को राष्ट्रीय पदक से पुरस्कृत करने एवं मृत बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[प्रश्नगत नोटिस में दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 26-2-2006 को थाना रौनापार पर श्री शिवाजी ग्राम पोखर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ ने एक लिखित सूचना दिया कि आज शिवरात्रि के त्यौहार के अवसर पर गांव के काफी औरत, मर्द एवं बच्चे घाघरा नदी धुसवा गांगीपुर गये थे। उसकी लड़की कंचन 12-13 वर्ष तथा उसके साथ पूनम पुत्री लालचन्द्र व प्रताप पुत्र बालचन्द्र, मुकेश पुत्र कैलाश, राकेश पुत्र शत्रुघ्न पाण्डेय व मंजू पुत्री शत्रुघ्न पाण्डेय जो सभी लगभग 14 वर्ष की उम्र के थे भी स्नान करने गये थे। करीब 11 बजे दिन में कम पानी में खेलते-खेलते वे अधिक पानी में चले गये और डूबने लगे ठीक उसी समय ग्राम जहदर गांगीपुर के दशरथ की लड़की कु0 माला जो उस पार से घास लेकर आ रही थी तो डूबते बच्चों को देखकर तत्काल पानी में कूद कर दो बच्चियों को बाहर निकाल लिया जिसमें मंजू पुत्री शत्रुघ्न पाडेय को जिन्दा व कंचन को मरा हुआ बाहर निकाली। इस घटना की जानकारी होने पर थानाध्यक्ष रौनापार उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुये मय फोर्स के साथ पहुंचे तथा आस-पास के मल्लाहों एवं जनता के गोताखोरों को बुलवा कर शेष 4 डूबे बच्चों की तलाश चल रहा था कि इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तत्काल पुलिस के गोताखोरों को भेजते हुये जिलाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और डूबे हुये बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकालने हेतु निर्देशित किया गया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रौनापार पुलिस गोताखोर व जनता के मल्लाह एवं गोताखोरों के प्रयास से दिनांक 28-2-2006 को पूनम व राकेश को मृत दशा में बाहर निकाला गया तथा दिनांक 1-3-2006 को शेष 2 बच्चों को भी मृत दशा में निकाला गया एवं पंचायतनामा की कार्यवाही कर के अभिभावकों एवं जनता के लोगों के आग्रह पर अन्तिम संस्कार हेतु दे दिया गया। लोगों से बातचीत से विदित हुआ कि घटना के समय उस पार से ग्राम जहदर की कु0 माला पटेल उम्र करीब 15 वर्ष ने साहस वीरता एवं शौर्य का प्रदर्शन, करते हुए तत्काल नदी में कूद कर बीच धारा से कु0 मंजू को जीवित दशा में और कु0 कंचन को मृत दशा में बाहर निकाला। नदी में काफी तेज बहाव व अत्यधिक गहराई है अत: उसके इस साहस एवं शौर्य के प्रदर्शन को देखते हुए वीरता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 8-3-2006 द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की आख्या के अनुसार मृत बच्चों के अभिभावकों को पचास-पचास हजार रुपये देने की घोषणा दिनांक 26-2-2006 को ही कर दी गयी है।]

जनपद प्रतापगढ़ के बालगंज में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हिस्ट्रीशीटर श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 21 स्थगित की जाती है।

समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मार्गों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिये पत्थर एवं बजरी की आपूर्ति करने वाले क्रशरों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य विधान सभा, श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 की सूचना में अवगत कराया गया है कि समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मार्गों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पत्थर एवं बजरी की आपूर्ति जनपद सहारनपुर से होती है। जहां पर काफी बड़ी संख्या में क्रशर उद्योग लगे हुए हैं जिनमें कई हजार श्रमिक कार्य करते हैं। विगत 3 महीने से ये सभी क्रशर इन कारणों से बन्द पड़े हैं कि प्रदेश सरकार ने खनन के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। स्थानीय नागरिकों, जन प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन द्वारा बार-बार प्रार्थना-पत्र एवं अनुस्मारक देने के बावजूद प्रदेश सरकार के खनन विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जिसका परिणाम ये हुआ कि हजारों श्रमिक और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास कार्य एकदम ठप है। मार्गों एवं भवनों के निर्माण हेतु न पत्थर उपलब्ध है और न बजरी।

2--इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रिट याचिका सं0 484/06 राकेश गोयल बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अवैध खनन रोकने सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन में जांच के दौरान यह पाया गया कि जनपद सहारनपुर के क्रशर धारकों द्वारा उ0 प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली, 2002 के अनुसार भण्डारण लाइसेन्स का नवीनीकरण वर्ष 2004 से नहीं कराया गया है, जिसके कारण उनके क्रेशरों को जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा भण्डारित खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र (सी) के निर्गत करने हेतु शासन द्वारा शासनादेश सं0 57 मंत्री/77-5-02, दिनांक 29-11-2002 द्वारा रोक लगाने का उल्लेख करते हुए प्रपत्र (सी) निर्गत करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त उ0 प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली, 2002 के अनुसार प्रपत्र (सी) निर्गत करने का निर्देश शासनादेश सं0 811/77-5-2006-412/2002टीसी, दिनांक 9 मार्च, 2006 द्वारा जिलाधिकारी, सहारनपुर को दिया जा चुका है। इस बीच क्रशर धारकों के भण्डारण लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो गये हैं। लाइसेन्स नवीनीकरण आवेदन-पत्र पर विचार कर जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। इससे उप खनिजों की भण्डारण व परिवहन की समस्या का निराकरण हो जाता है।

3--जहां तक बालू का प्रश्न है, के संबंध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सहारनपुर की तहसील सदर, नकुड़ एवं बेहट में उप खनिज बजरी, बोल्डर आदि के क्षेत्र उपलब्ध हैं। बजरी, बोल्डर आदि उप खनिजों पर आधारित क्रेशर उद्योग जनपद सहारनपुर में स्थापित हैं। वर्ष 2003 में नीलामी प्रणाली द्वारा तहसील सदर, नकुड़ एवं बेहट में उपलब्ध क्षेत्रों को खनन पट्टे पर स्वीकृत किया गया था। नीलामी पट्टाधारकों ने 3 वर्ष की अवधि के स्थान पर 1 वर्ष की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित कराये थे जिसके कारण शासन द्वारा 1 वर्ष की अवधि के उपरान्त खनन कार्य बन्द करा दिया गया था परन्तु तहसील नकुड़ एवं सदर के ठेकेदारों ने मा0 उच्च न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त कर लिये हैं जिसके कारण तहसील नकुड़ एवं सदर में खनन पट्टा स्वीकृत करने की कार्यवाही बाधित है।

4--यह भी उल्लेखनीय है कि तहसील बेहट में स्थित 42 लाटों का खनन पट्टा दिनांक 5 जनवरी, 2006 को समाप्त हो गया है तथा उक्त क्षेत्रों को शासन की वर्तमान नीति के अनुसार स्वीकृत किये जाने हेतु दिनांक 9 जनवरी, 2006 को विज्ञापित किया गया तथा उक्त विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आवेदन-पत्रों में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु आवेदकों को 15 दिन का नोटिस दिया गया है। कमियों का निराकरण हो जाने के उपरान्त उक्त क्षेत्रों पर खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। नियमित रूप से खनन पट्टा स्वीकृत होने तक नियमावली, 1963 के नियम 68 के प्राविधानों के अन्तर्गत मो0 जावेद व 2 अन्य को अधिकतम 2 माह हेतु खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी थी परन्तु उक्त अनुमति के विरुद्ध रिट याचिका सं0 484/06 राकेश गोयल बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2006 के कारण शासकीय अनुमति कार्यान्वित नहीं हो सकी। उक्त स्थगनादेश को अपास्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है तथा मा0 उच्च न्यायालय में इस हेतु प्रतिशपथ-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13-1-06 के विरुद्ध पट्टेदार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 (एस)1816/2006 मो0 जावेद व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य सम्बद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 (सी)2955/06, मो0 जावेद व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी जिसमें दिनांक 24-2-2006 को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश हुए हैं तथा तद्नुसार आगामी कार्यवाही किया जाना शासन के विचाराधीन है।

5--जनपद सहारनपुर के रिक्त क्षेत्रों के खनन पट्टों के स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित अग्निशमन केन्द्रों पर दमकल की गाड़ियों में डीजल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 23 स्थगित की जाती है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में पड़े सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 24 स्थगित की जाती है।

जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में व्यापार-कर से छूट दिये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी मांग के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष भर मेलों/महोत्सवों का आयोजन होता रहता है जिसमें प्रदेश के तथा प्रदेश के बाहर के व्यापारियों/दुकानदारों के द्वारा दुकानें लगायी जाती है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम 1948 की धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते हुए प्रदेश में सैफई महोत्सव में कुछ अवधि में की गयी कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर व्यापार-कर से छूट कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। सैफई महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र का मेला है तथा इसे आकर्षक बनाने हेतु कुछ दिवसों के लिए व्यापार-कर से छूट दी गयी थी। उक्त प्रदान की गयी छूट का प्रभाव भी हुआ तथा ट्रैक्टर, दो पहिया वाहन एवं चारपहिया वाहन की काफी बिक्री भी हुई। नौचन्दी (मेरठ) का मेला जो कि एक माह चलता है, एक सुस्थापित एवं ख्यातिप्राप्त मेला है तथा बड़े महोत्सव का मेला होने के कारण इसे किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।]

किसान मजदूर उ0 मा0 विद्यालय गणपतिनगर (दुविहाँ-नेवादा) जनपद गाजीपुर में नियुक्त, अनुमोदित अध्यापकों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन भुगतान के संबंध में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[किसान मजदूर उ0 मा0 विद्यालय गणपतिनगर (दुविहां नेवादा) जनपद गाजीपुर में नियुक्त, अनुमोदित अध्यापकों/कर्मचारी के वेतन भुगतान का प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है जिससे अध्यापकों/कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी। इससे स्थानीय लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। वर्ष 1998-99 में विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची पर लाया गया

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय में फर्जी नियुक्तियों की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गयी जिसमें वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), गाजीपुर एवं तत्कालीन अपर निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) द्वारा प्रकरण की जांच की गयी और आख्या शासन को भेजी गयी, परन्तु छः साल के बाद भी शासन द्वारा कार्यवाही नहीं हुयी दिनांक 19-11-2003 को एक प्रतिवेदन मा0 मुख्य मंत्री जी को इसके संबंध में दिया गया। मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 5-12-2003 को पत्रांक सं0 दर्ज 275/2005/11(104)/2005 लो0शि0-4 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर को उक्त प्रकरण पर बिन्दुवार आख्या हेतु निर्देशित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ने दिनांक 30-1-2006 को पत्रांक मा0/मु0वाद/19479-84/2005-06 द्वारा आख्या मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रेषित की, परन्तु अभी तक इस प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। संदर्भित अध्यापकों/कर्मचारियों के समक्ष अत्यन्त आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण में शासन को शीघ्र भुगतान हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कृतकार्यवाही की आख्या--

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में शिक्षा निदेशक माध्यमिक से 10-2-2006 को प्राप्त स्पष्टीकरण का शासन स्तर पर परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र वेतन भुगतान आदि का निर्णय लेते हुए सदन को अवगत कराया जायेगा।]

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत कचरे से बिजली बनाने की योजना का क्रियान्वयन न किये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[कचरे से बिजली बनाने का कार्य ऊर्जा विभाग के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है तथा इस संबंध में कोई योजना ऊर्जा विभाग में विचाराधीन नहीं है।]

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ के भ्रष्टाचार की जांच एवं उनके स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री भगवान स्वरूप, संयुक्त शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), इलाहाबाद को समूचे प्रकरण की जांच कर दो सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। प्रकरण की जांच आख्या प्राप्त होने पर श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में दो घण्टे भी विद्युत् आपूर्ति न होने के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री हुकुम सिंह द्वारा दिनांक 1-3-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड ऊन एवं कैराना के ग्रामीण अंचलों की विद्युत् आपूर्ति 220 केवी प्राथमिक उपकेन्द्र कण्डेला (शामली) द्वारा की जा रही है। उक्त उपकेन्द्र से 132 केवी प्राथमिक उपकेन्द्र झिंझाना भी पोषित है। विकास खण्ड कैराना के अतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों से औसत विद्युत् आपूर्ति लगभग 10 घण्टे है विकास खण्ड ऊन के ग्रामीण अंचल 132 केवी प्राथमिक उपकेन्द्र झिंझाना से पोषित है जिससे वर्तमान में अन्य प्राथमिक उपकेन्द्रों की भांति औसतन 12 घण्टे की आपूर्ति की जा रही है परन्तु 132 केवी उपकेन्द्र, झिंझाना अति भारित होने के कारण उससे पोषित 4 नं0 33/11 केवी उपकेन्द्र क्रमश: झिंझाना (15 एमवीए), गढ़ी अब्दुल्ला (08 एमवीए), चौसाना (13 एमवीए) तथा ऊन (13 एमवीए) है की विद्युत् आपूर्ति इसकी लगभग आधी हो पाती है। तदनुसार इसकी वर्तमान क्षमता 2x20 एमवीए से बढ़ाकर 20x40 एमवीए के प्रस्ताव उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा 40 एमवीए परिवर्तक भेजा जा रहा है। इसी तारतम्य में 220 केवी प्राथमिक उपकेन्द्र, कण्डेला (शामली) की क्षमता वृद्धि भी 160+100 एमवीए से बढ़ाकर 2x160 एमवीए प्रस्तावित की गयी थी एवं उसकी स्वीकृति के पश्चात् 160 एमवीए का परिवर्तक उक्त उपकेन्द्र पर आ चुका है एवं उसकी टेस्टिंग आदि का कार्य चालू कर दिया गया है एवं माह मार्च, 2006 के अन्तिम सप्ताह तक ऊर्जीकृत होने की सम्भावना है जिसके पश्चात् उक्त उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि हो जायेगी। इसी प्रकार 132 केवी उपकेन्द्र, झिंझाना पर भी 40 एमवीए परिवर्तक के आ जाने पर विद्युत् आपूर्ति में सुधार होगा।]

प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग के बन्द होने के संबंध में श्री रिजवान अहमद खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि, विदेश व्यापार, विपणन एवं निर्यात मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री रिजवान अहमद खां, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग जो अति जनहित व लघु उद्योग में आता है जिससे अधिकांश कृषक व मजदूरों की रोजी-रोटी का भी सवाल है। यह इकाइयां पूर्व व मौजूदा सरकारों के ध्यान न देने से अति पिछड़ गयी हैं तथा बर्बादी के कगार पर पहुंच कर नष्ट हो चुकी हैं। ऊपर से इन पर मण्डी समिति टैक्स भी लादा गया है। जो गन्ना मिलों या अन्य खाद्य पदार्थों पर नहीं है। केवल खाण्डसारी उद्योग पर है। इसके अतिरिक्त समाधान योजना लागू होने पर समय पर नहीं भेजी जाती है। जिससे तमाम विभाग व जनता में आक्रोश है कि इस वर्ष की समाधान योजना कम्पाउण्ड स्कीम इस वर्ष अब क्यों नहीं भेजी गयी। कम्पाउण्ड स्कीम न भेजने से कृषक मजदूर व खाण्डसारी इकाइयों में आक्रोश है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या 154/80-1-2005-600(20)/94, दिनांक 10-3-2005 द्वारा प्रदेश में स्थापित खाण्डसारी इकाइयों के लिए क्रेशर इकाई समाधान योजना खाण्डसारी वर्ष 2004-05 के लिए लागू की गयी थी। उक्त योजना दिनांक 30-9-2005 को समाप्त हो चुकी है। निदेशक, मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 16-2-2006 द्वारा चीनी वर्ष 2005-2006 हेतु खाण्डसारी समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सम्यक् विचारोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 27-2-2006 द्वारा निदेशक, मण्डी परिषद् को यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नगत प्रस्ताव को मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कराने तथा संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर चीनी वर्ष 2005-2006 हेतु खाण्डसारी समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।]

जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों से कार्य न कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री सुरेश कुमार खन्ना मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 1-3-06 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया है कि जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में रु0 37.00 करोड़ आया हुआ है किन्तु स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण टेन्डर नहीं हो रहा है, जिसके कारण योजना की प्रगति शून्य है। विलम्ब से कार्य होने पर कार्य की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अतएव जनहित में तत्काल टेन्डर करा कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय वर्ष (2004-05 तथा 2005-06) में फेज 3 (सामान्य) फेज 3 (विश्व बैंक घटक) एवं फेज 4 के कार्य स्वीकृत हुये थे। फेज 3 (सामान्य) के 6 पैकेज रु0 8.00 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुये एवं माह जुलाई, 2005 से सितम्बर, 2005 के मध्य समस्त कार्यों के अनुबन्ध गठित कर लिये गये हैं, जिसमें लगभग रु0 7.00 करोड़ का व्यय माह जनवरी, 2006 तक हो चुका है।

विश्व बैंक पोषित कार्य हेतु समस्त निविदायें (कुल पैकेज 6) दिनांक 27-1-2005 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें केवल 3 पैकेजों की निविदायें प्राप्त हुयीं। जिसमें से 02 पैकेजों को निविदा विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी एवं एक पैकेज की निविदा अस्वीकृत कर दी गयी। दिनांक 27-1-2006 को आमंत्रित निविदाओं में से अवशेष 3 पैकेजों की निविदायें पुन: दिनांक 27-4-2005 को आमंत्रित की गयी इन पुनर्निविदाओं में से पैकेज की निविदा प्राप्त नहीं हुयी जिसकी निविदा पुन: दिनांक 1-12-2005 को विश्व बैंक द्वारा अस्वीकृत एक निविदा के साथ आमंत्रित की गयी। दिनांक 27-4-2005 को आमंत्रित निविदाओं में से 2 पैकेजों के अनुबन्ध गठित हो चुके हैं। इस प्रकार 04 पैकेजों में अनुबन्ध (रु0 8.00 करोड़) क्रमश: जून, अक्टूबर तथा दिसम्बर, 2005 में गठित किये गये। जिनके विरुद्ध रु0 1.52 करोड़ का व्यय जनवरी, 2006 तक हो चुका है। दिनांक 1-12-2005 को आमंत्रित निविदा में से एक पैकेज की निविदा प्राप्त नहीं हुयी एवं एक पैकेज के निस्तारण का कार्य प्रगति पर है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फेज 4 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु0 17.41 करोड़ के 13 पैकेजों की निविदायें दिनांक 8-9-2005 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें 7 पैकेजों की निविदायें प्राप्त नहीं हुयी एवं 06 पैकेजों की निविदायें स्वीकृत योग्य नहीं पायी गयीं। पुन: समस्त पैकेजों की निविदायें दिनांक 21-11-2005 को आमंत्रित की गयी जिसमें से 10 पैकेजों की निविदायें प्राप्त नहीं हुयीं। फेज 4 की पुन: निविदायें जिसमें शाहजहांपुर जनपद के उक्त 10 पैकेज भी सम्मिलित हैं, दिनांक 15-2-2006 को आमंत्रित की जा चुकी हैं।

जनपद शाहजहांपुर के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य हेतु निविदा आमंत्रण इत्यादि की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। विश्व बैंक पोषित कार्यों की पुनर्निविदा की अनुमति भी विश्व बैंक द्वारा ही दी जाती है, जिसमें होने वाले विलम्ब के अतिरिक्त और कोई विलम्ब इन कार्यों में नहीं हो रहा है।]

गोरखपुर में प्रदेश के फुटबाल खिलाड़ियों के लिये छात्रावास प्रारम्भ करने के संबंध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 अध्यक्ष, विधान सभा ने नियम 51 के अन्तर्गत डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा दी गयी सूचना के क्रम में फुटबाल के खिलाड़ियों के लिये गोरखपुर में छात्रावास प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में मा0 मंत्री, खेलकूद एवं युवा कल्याण के वक्तव्य हेतु निर्धारित किया गया है। मा0 विधायक के द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार फुटबाल एक सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। छात्रावास के अभाव में फुटबाल की प्रतिभायें कुंठित हो रही हैं और खेल संसाधनों के अभाव में खिलाड़ी मध्य प्रदेश तथा गुजरात जैसे प्रान्तों को पलायन करने के लिये मजबूर हो रहे हैं, गोरखपुर में छात्रावास के लिये भवन उपलब्ध है सिर्फ वित्तीय व्यवस्था करना है,माननीय विधायक के अनुसार मा0 खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने गोरखपुर दौरे में फुटबाल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुये छात्रावास प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। अभी यह घोषणा कोरा आश्वासन है।

मान्यवर, यह सत्य है कि फुटबाल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। प्रदेश सरकार द्वारा न केवल फुटबाल के खिलाड़ियों के लिये बल्कि सभी लोकप्रिय खेलों के लिये अधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रतिबद्ध है। उत्तरांचल के अलग होने के बाद 09 स्थानों पर 370 बालक/बालिकायें आवासीय छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। खेल विभाग ने जनपद, मण्डल और राज्य स्तर पर खेलों की प्रतियोगितायें आयोजित की गयी हैं। इस वित्तीय वर्ष में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन कराया गया। खेल विभाग के इन प्रयासों के फलस्वरूप ही आज क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम में चार-चार खिलाड़ी सम्मिलित होकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फरवरी, 2006 में त्रिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय स्कूली प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश फुटबाल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 06 बालक आवासीय

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फुटवाल छात्रावास, वाराणसी के हैं। यह सही है कि मैंने गोरखपुर भ्रमण के दौरान फुटबाल छात्रावास प्रारम्भ किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये थे, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी यह छात्रावास प्रारम्भ नहीं हो सका है। युवा बालक/बालिकाओं के उत्साहवर्धन हेतु छात्रावासों में नये खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिये वित्त विभाग की सहमति लेनी पड़ती है। खेल विभाग इसके लिये प्रयत्नशील है, जहां तक गोरखपुर में आवासीय फुटबाल छात्रावास खोलने का प्रश्न है, उससे मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूं। वर्तमान समय में गोरखपुर स्टेडियम में आवासीय छात्रावास की व्यवस्था है। मैंने 25 छात्रों को छात्रावास में रखकर फुटबाल का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कराया गया है, जिसमें भोजन, प्रशिक्षण, किट एवं चिकित्सा आदि का व्यय सम्मिलित है। एक आंकलन के अनुसार इन 25 बच्चों के प्रशिक्षण पर रु0 10,27,500.00 का व्यय होगा। मेरा प्रयास है कि इस धनराशि की अगले वित्तीय वर्ष में व्यवस्था करके गोरखपुर में फुटबाल के लिये छात्रावास प्रारम्भ कराया जाय।]

फैजाबाद में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अभी तक अवमुक्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा के वर्तमान सत्र के नियम 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी थी जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं--

"पूर्वांचल विकास निधि (जिलान्श) वर्ष 2004-05 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0-896/26-ब0प्र0/2004, दिनांक 31-12-2004 द्वारा जनपद फैजाबाद हेतु रु0 57.09 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी किन्तु उक्त आवंटित धनराशि से संबंधित शासनादेश कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद को न जारी होने के कारण धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सका, फलस्वरूप (स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना) की उपरोक्त धनराशि आहरित न होने के कारण जनपद फैजाबाद में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा चारों विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, बीकापुर, सोहावल व अयोध्या की अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सके जिससे जनपद का संतुलित विकास रुका हुआ है और क्षेत्रीय जनता में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद ने अपने पत्रांक 1005/पू0वि0नि0/2005-06, दिनांक 17 फरवरी, 2006 को विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित कर अनुरोध किया था कि पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2004-05 एस0सी0पी0 मद में आवंटित धनराशि पुन: निर्गत करने का कष्ट करें जिससे मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के द्वारा प्रस्तावित स्वीकृत कार्यों को सम्पन्न कराया जा सके। फैजाबाद जनपद में पूर्वांचल विकास निधि के जिलान्श के कार्यों की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग फैजाबाद है इसलिये लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, फैजाबाद जनपद को वर्ष 2004-05 के जिलान्श की एस0सी0पी0 की धनराशि 57.09 लाख रुपये ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग फैजाबाद को

आवंटित/अवमुक्त करने सम्बन्धी शासनादेश जारी करना चाहिये। किन्तु अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2004-05 के जिलान्श की एस0सी0पी0 की धनराशि अवमुक्त न किये जाने से जनपद के स्वीकृत सभी कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं जिससे संतुलित विकास अवरोधक होने के साथ क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।"

उक्त के संबंध में मा0 सदन को अवगत कराये जाने हेतु टिप्पणी निम्नवत् है--

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0-896/26-ब0प्र0-2004, दिनांक 31-12-2004 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ 29 जिलों के लिये रु0 18.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इसमें रु0 57.09 लाख की धनराशि जनपद फैजाबाद के लिये थी। शासनादेश संबंधित मण्डलायुक्तों एवं जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित किया गया था। शासनादेश की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं--

1--धनराशि डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो। उक्त धनराशि बैंकों आदि में कदापि नहीं रखी जायेगी।

2--मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने के लिये स्वीकृत आगणनों के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

3--योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिये संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तद्नुसार कार्य कराने हेतु वे कार्यदायी संस्था से अपना प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

4--मुख्य विकास अधिकारीगण पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त 2002 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के साथ बैठक करके प्रस्तावों को अन्तिम रूप देंगे।

5--निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार किया जायेगा।

6--पूर्वांचल विकास निधि से वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्य पर लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभागों द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज चार्जेज नहीं लिये जायेंगे। इस संबंध में पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि की मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 6.8 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

धनराशि को डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखने के निर्देश थे। अत: धनराशि व्यपगत नहीं होनी थी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17-2-2006 द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31-12-2006 का शासनादेश प्राप्त न होने के कारण धनराशि का आहरण संभव नहीं हो पा रहा है जबकि वित्तीय वर्ष 2004-05 की धनराशि के संबंध में शासनादेश प्राप्त न होने का तथ्य शासन के संज्ञान में दिनांक 31-3-2005 से पहले लाना चाहिये था अथवा यदि शासनादेश मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त नहीं हो पाया था तो मण्डलायुक्त फैजाबाद

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये थी। समय से धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में न रखने एवं धनराशि व्यपगत हो जाने के प्रकरण में जांच करा कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मा0 जनप्रतिनिधियों के लम्बित प्रस्तावों के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आगामी वित्तीय वर्षों में धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश में स्टाम्प आयुक्त के निर्देश के बाद स्टाम्प विक्रेताओं के हड़ताल पर चले जाने के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टाम्प आयुक्त के एक आदेश ने स्टाम्प विक्रेताओं को संकट में डाल दिया है, किसी एक व्यक्ति को 15 हजार रुपये तक के स्टाम्प बेचने के आदेश पर कई शहरों के स्टाम्प विक्रेता हड़ताल पर हैं।

उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 152 क का हवाला देते हुये स्टाम्प आयुक्त ने निर्देशित किया है कि किसी एक विलेख के लिये एक ही स्रोत से स्टाम्प खरीदे जायें पहले एक विक्रेता अन्य विक्रेताओं से स्टाम्प खरीद लेता था जब सीधे कोषागार से स्टाम्प मिलेंगे इससे स्टाम्प विक्रेताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले 10-15 वर्षों में जमीन के सर्किल दरें अनेक बार बढ़ायी जा चुकी हैं लेकिन स्टाम्प बेचने की सीमा नहीं बढ़ायी गयी है।

स्टाम्प बेचने की सीमा 15 हजार रु0 धनराशि के स्थान पर एक लाख रुपये की होनी चाहिये।

2--उक्त के संबंध में स्थिति यह है कि उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 152(क) में यह व्यवस्था है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प विक्रेता द्वारा स्टाम्पों को एक क्रेता को पन्द्रह हजार रुपये के स्टाम्प विक्रय किये जायेंगे। उक्त आदेश के निर्गत होने से पूर्व स्थिति यह थी कि यदि किसी व्यक्ति को पन्द्रह हजार रुपये से अधिक के स्टाम्प की आवश्यकता हो तो दो स्टाम्प विक्रेता मिल कर उसे स्टाम्प उपलब्ध करा देते थे। प्रदेश में जाली/फर्जी/संदिग्ध स्टाम्पों के प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को उक्त नियम 152(क) का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिनांक 27-1-2006 तथा 22-2-06 को समस्त जिलाधिकारियों को दिया गया है। यदि स्टाम्प क्रेता को पन्द्रह हजार रुपये से अधिक धनराशि के स्टाम्प क्रय करने की आवश्यकता हो, तो उसके द्वारा संबंधित कोषागार/उपकोषागार से स्टाम्प क्रय किया जा सकता है।

अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प विक्रेता की स्टाम्प विक्रय करने की सीमा को पन्द्रह हजार रुपये से बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में मानक के अनुरूप कार्य न कराने, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री जी का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री परमेश्वर दयाल मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 9-3-06 के माध्यम से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना में प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों द्वारा परियोजना प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिस पर आगणन प्राप्त कर आगणन के सापेक्ष धन भी अवमुक्त किया गया, किन्तु मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये गये। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तथा फर्जी भुगतान कराये गये। अत: सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन करा कर फर्जी भुगतान करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में मानक के अनुरूप कार्य न कराने, मजदूरों को मजदूरी भुगतान न करने, फर्जी भुगतान करने आदि का उल्लेख है, अतएव उक्त सूचना दिनांक 9-3-06 में उल्लिखित तथ्यों की जांच आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 से मुख्यालय स्तर पर एक टीम गठित करते हुये कराये जाने का निर्णय किया गया है। प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।]

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किये जाने के संबंध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 36 स्थगित की जाती है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम हस्ता में पी0ए0सी0 की मौजूदगी में दबंगों द्वारा आतंक मचाये जाने के संबंध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद चित्रकूट के ग्राम हस्ता में दिनांक पी0ए0सी0 की मौजूदगी में आतंक .....

(अनेक सदस्यों द्वारा इसे पढ़ा हुआ मानने का अनुरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[मचाने के संबंध में डा0 पूर्णमासी देहाती, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 10-3-2006 को दी गयी नोटिस के विषय में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है--

श्रीमती रामकन्या व विपक्षी वीरेन्द्र, नि0--हस्ता, थाना--राजापुर आदि का जमीन संबंधी परिवारिक विवाद है, जो मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण जमीनी विवाद से संबंधित है, इसलिये प्रश्नगत मामले में पुलिस का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का स्थगनादेश भी प्रभावी है। जहां तक दिनांक 8-3-2006 को दबंगों द्वारा गोली चलाने एवं पी0ए0सी0 की मौजूदगी में आतंक मचाने के संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी न दर्ज करने तथा दोषी पुलिस कर्मियों को हटाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह पाया गया है कि प्रकरण में फसल काटने को लेकर दोनों पक्षों द्वारा फायरिंग की गयी थी जिसमें स्थानीय पुलिस एवं पी0ए0सी0 द्वारा मामले में शान्ति व्यवस्था स्थापित की गयी। पुलिस की कथित भूमिका के संबंध में अलग से विचार किया जा रहा है।]

के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकायों का भुगतान न होने के संबंध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 38 स्थगित की जाती है।

बांदा स्थित केन कैनाल सिस्टम से पानी लेते समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा हो रहे झगड़ों को देखते हुये केन नदी व बागेय नदी को जोड़कर किसानों को पानी की आपूर्ति किये जाने के संबंध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद बांदा का अधिकांश कृषि योग्य क्षेत्र केन नहर प्रणाली से सिंचित . . . . . .

(अनेक सदस्यों द्वारा इसे पढ़ा हुआ मानने का अनुरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[इस प्रणाली के शीर्ष कार्य मध्य प्रदेश के जनपद पन्ना एवं छतरपुर में निर्मित है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य जल का बंटवारा आपसी अनुबन्ध के आधार पर किया जाता है वर्षा के समय केन नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बांदा शहर एवं निकटवर्ती ग्राम बाढ़ से प्रभावित होते हैं। केन नदी के अतिरिक्त जल के बेहतर उपयोग हेतु केन-बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा बांदा एवं मध्य प्रदेश के निवासियों के मध्य सिंचाई के पानी को लेकर होने वाले झगड़ों एवं बांदा, हमीरपुर आदि जनपदों में बाढ़ की समस्या के निदान हेतु केन नदी को बागेय नदी से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। उक्त सुझाव पर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई कार्यवाही मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से ही की जा सकेगी। फिर भी अग्रेतर कार्यवाही का निर्णय लिये जाने हेतु उक्त सुझाव पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जायेगा और यदि यह योजना तकनीकी रूप से साध्य एवं उपयोगी होगी तभी आगे कार्यवाही की जा सकेगी।]

गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह निर्मित कराये जाने के संबंध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संस्कृति मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10-3-2006 का उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अधीन दी गयी उक्त संदर्भित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि गोरखपुर सिविल लाइन्स में प्रेक्षागृह निर्माण हेतु शासन के नजूल अनुभाग के शासनादेश संख्या 5649(1)/9-नजूल-642एन/83, दिनांक 5-9-1986 द्वारा आराजी छावनी स्थिति नजूल भूखण्ड संख्या-53 में क्षेत्रफल 1.36 एकड़ तथा भूखण्ड संख्या-55 में 1.60 एकड़ इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.96 एकड़ सांस्कृतिक कार्य विभाग के पक्ष में नि:शुल्क इस शर्त के अधीन हस्तान्तरित की गयी थी कि इसकी आवश्यकता न रहने पर यह स्वत: बिना किसी प्रतिकर के नजूल में प्रत्यावर्तित हो जायेगी। तदन्तर प्रेक्षागृह निर्माण हेतु भौतिक कब्जा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1986 में प्राप्त किया और उक्त भूमि पर प्रेक्षागृह निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को निर्माण इकाई घोषित करते हुये प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य शुरू कराया गया।

गाटा संख्या 55 क्षेत्रफल 1.60 एकड़ के तथाकथित पूर्व पट्टेदार श्री विट्ठल दास आदि द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 509/96 दाखिल करके मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा नजूल भूखण्ड संख्या-53 के क्षेत्रफल 1.36 एकड़ तथाकथित पूर्व पट्टेदार श्री हरिराम खेतान के वारिसान सर्वश्री मातादीन खेतान, भगवती प्रसाद खेतान व गिरिजा शंकर खेतान द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के तथ्यों को छिपाते हुये जिला प्रशासन से गलत रूप से श्रीमती जैश्री जायसवाल पत्नी श्री कैलाश जायसवाल के पक्ष में नामांकन करते हुये फ्री-होल्ड की कार्यवाही दिनांक 19-10-2001 में करा लिया, लेकिन सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी ज्यों ही जिला प्रशासन के संज्ञान में आयी, जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा दिनांक 15-2-2002 तथा दिनांक 28-2-2002 को उक्त फ्री-होल्ड की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी है। इन निरस्तीकरण आदेशों के विरुद्ध श्रीमती जैश्री जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 10690/2002 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 14-3-2002 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। श्रीमती जैश्री जायसवाल ने मा0 उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट याचिका संख्या 43110/2000 भी इस आशय से योजित की गयी थी कि उन्हें फ्री-होल्ड की गयी भूमि का कब्जा दिलाया जाय। इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने श्रीमती जायसवाल के कब्जा दिलाये जाने संबंधी प्रत्यावेदन को 6 सप्ताह में निस्तारित किये जाने के आदेश दिनांक 17-10-2000 को पारित किये। याचिका संख्या 10690/2002 में दिनांक 27-10-2004 को पारित अपने आदेशों में मा0 उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 15-2-2002 एवं 28-2-2002 को निरस्त करते हुये निर्देश दिये कि याची के प्रत्यावेदन को उन्हें सुने जाने का मौका देकर के निस्तारण किया जाय। इन आदेशों के अनुपालन में दिनांक 25-1-2005 को जिलाधिकारी, गोरखपुर ने श्रीमती जायसवाल के प्रत्यावेदन पर सम्यक् सुनवाई करने के उपरान्त उसे निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी के इन निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध श्रीमती जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पुन: एक रिट याचिका संख्या 33564/2005 योजित की गयी। इस रिट याचिका में दिनांक 27-4-2005 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किये गये कि याची के प्रत्यावेदन पर शासन स्तर पर 30 दिन में निस्तारण किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव आवास के स्तर पर पक्षों की सुनवाई करके प्रत्यावेदन को अन्तिम रूप से निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रेक्षागृह हेतु हस्तान्तरित भूमि पर प्रेक्षागृह निर्माणाधीन है। 2.5 मी0 ऊंचाई के 135 खम्भे तथा एक से डेढ़ मी0 ऊंचाई के 20 खम्भे निर्मित हो चुके हैं और निर्माण कार्य पर लगभग रु0 105.00 लाख व्यय हो चुका है। सम्प्रति निर्माण कार्य, मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण रुका हुआ है।]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुये छात्र हित में बिजली की आपूर्ति कराये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री राम नरेश यादव द्वारा दिनांक 10-3-2006 को नियम 51के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति का निम्नलिखित प्राविधान है--

ग्रामीण क्षेत्र	14 घण्टे
तहसील स्तर	15 घण्टे
जनपद मुख्यालय	16 घण्टे
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	16 घण्टे
मण्डल स्तरीय नगर	18 घण्टे
महानगर	20 घण्टे

वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय/मण्डल स्तरीय नगर एवं महानगरों में अतिविशेष परिस्थितियों को छोड़ कर प्रात: 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कोई कटौती नहीं की जा रही है। विद्युत् उपलब्धतानुसार रात्रि में भी अधिक से अधिक आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं। परीक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि से (01 मार्च, 2006 से 10 मार्च, 2006 तक) विभिन्न क्षेत्रों एवं नगरों की औसत विद्युत् आपूर्ति निम्नवत् है--

ग्रामीण क्षेत्र	13 घण्टे 10 मिनट
तहसील स्तरीय नगर	13 घण्टे 10 मिनट
जनपद मुख्यालय स्तर	18 घण्टे 44 मिनट
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	17 घण्टे 56 मिनट
मण्डल स्तरीय नगर	19 घण्टे 27 मिनट
महानगर	23 घण्टे 04 मिनट

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त घण्टों में स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं है। अधिक से अधिक उपलब्धता बढ़ाने एवं आपूर्ति करने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु प्रणाली की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है।]

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। 20 मार्च, 2006 को प्रात: 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 15 मिनट पर सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 11 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के निर्देश पीछे पृष्ठ संख्या 26 पर)

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में आज दिनांक 11मार्च, 2006को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न है।

श्री उदयभान करवरिया--

आज दिनांक 11-3-2006 को विधान सभा में इलेक्ट्रानिक मीडिया व प्रिन्ट मीडिया द्वारा मा0 विधायक के प्रति बिना सबूत समाचारों को प्रसारित करने पर चर्चा हुयी चर्चा में मैं भी भाग लेना चाहता था किन्तु आप द्वारा व्यवस्था दी गयी कि जिन विधायकों को कुछ कहना है वे लिखित दे दें उसे कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जायेगा। पिछले वर्ष माननीय विधायक उदयभान करवरिया की सदस्यता हत्या के आरोप में आरोपित होने के उपरान्त समाप्त कर दी गयी एक इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनेल आज तक ने इस घटना को प्रसारित किया एवं पूरी घटना के प्रसारण के दौरान मेरी फोटो दिखायी गयी मेरे द्वारा उक्त चैनेल से सम्पर्क करने पर चैनेल द्वारा खेद व्यक्त करने की बात कही गयी जिसे आज तक नहीं किया गया इसी पूरी घटना से मेरे सम्मान को आघात पहुंचा एवं मेरे पास कई स्थानों से मेरे शुभचिन्तकों के टेलीफोन आये तथा मेरी बदनामी हुयी यह घटना सहज घटना नहीं है कि सदस्यता किसी माननीय सदस्य की समाप्त हो और वीडियो क्लीपिंग मेरी दिखलायी जाय।

कृपया संज्ञान में लेते हुये इस प्रकरण को भी कमेटी के सुपुर्द करने का कष्ट करें एवं न्यायोचित कार्यवाही कर मनमाने ढंग से इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा किये जा रहे प्रसारणों पर रोक लगाने की कृपा करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुये मेरा सुझाव है कि राज्य में एक आतंकवादी विरोधी विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाय। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी काशी को विद्युत् कटौती से मुक्त किया जाय क्योंकि अन्य कई जिले वर्तमान परिस्थिति में भी विद्युत् कटौती से मुक्त हैं। कन्या विद्या धन योजना एक अच्छी योजना है आवश्यक है कि इसकी पात्रता में सभी इण्टर पास कन्याओं को शामिल कर लिया जाय ताकि उसका लाभ व्यापक हो और वर्तमान योजना में जो भ्रष्टाचार दिखायी पड़ रहा है उस पर रोक लगायी जा सके। महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली काशी में उनके जन्म-स्थान पर भूमि अधिग्रहीत कर एक भव्य स्मारक का निर्माण प्रारम्भ किया जाय जैसा कि मेरे द्वारा रखे गये संकल्प के उत्तर में राज्य सरकार द्वारा वचन दिया गया है और उक्त योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त है। काशी जैसे महत्वपूर्ण नगर की सड़कों की दशा ठीक नहीं है, आवश्यक है कि महत्वपूर्ण सड़कों को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाय। जल संस्थान वाराणसी को कटौती मुक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु परियोजना के लिये विधायक निधि से 45 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है लेकिन रिवाल्विंग फण्ड से राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक करोड़ रुपये की धनराशि उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन को दिये जाने हेतु शासनादेश अविलम्ब निर्गत किया जाय।

मैं आभारी रहूंगा यदि आप उपरोक्त बिन्दुओं को बजट भाषण की चर्चा की कार्यवाही में सम्मिलित करते हुये प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे।

श्री अनूप कुमार पाण्डेय--

सादर आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 153 राम नगर, जनपद बस्ती के तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बस्ती, डुमरियागंज, पीलीभीत और बहराइच जो मार्ग हैं वह बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में है इस सड़क का निर्माण करवाया जाना जनहित में आवश्यक है और जगह-जगह सड़क टूट गयी है जिससे चलने में बड़ी कठिनाई होती है इस सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत कराना बहुत जरूरी है। आये दिन इस सड़क पर दुर्घटना होती रहती है क्योंकि सड़क जर्जर अवस्था में है इसलिये यहां की जनता में इससे आक्रोश व्याप्त है। इस सड़क निर्माण कार्य जनहित में आवश्यक है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये इस सड़क के निर्माण कराये जाने के लिये सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

डा0 यशवन्त सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे बजट भाषण पर अपने विचार रखने का मौका मिला है, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय मैं इस बजट को पेश करने के लिये नेता सदन को भी धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने बजट में लगभग सभी बिन्दुओं को छूने का प्रयास किया है। महोदय जनता का स्वस्थ रहना किसी भी परिवार, व्यक्ति अथवा सरकार की प्रगति के लिये सबसे जरूरी है। महोदय इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के लिये दिया गया बजट आम व्यक्ति के इलाज में सहयोग हो ऐसी व्यवस्था की जाये। महोदय इस प्रदेश की लगभग 30 प्रतिशत जनता आज भी ऐसी है जो लम्बी बीमारी के इलाज कराने में आर्थिक व्यवस्था खराब होने के कारण असमर्थ है। इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारी तौर पर होने वाली दवाइयों की खरीद की गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी दवाइयों की व्यवस्था की जाये। इस संबंध में मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जानसठ तथा बतौली में अल्ट्रासाउन्ड की मशीनें लगवाने की मांग करता हूं ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सुलभ स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें।

मान्यवर, जहां सड़कों के नवनिर्माण एवं सुधार हेतु एक भारी भरकम बजट की व्यवस्था की गयी है वहीं मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि सड़कों के वितरण में सभी विधायकों को समरूपता से देखा जाये। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र में आने वाला एक रास्ता खतौली मोरना मार्ग जो धार्मिक तीर्थ स्थल शुक्रताल को जाता है बहुत खराब हालत में इस मार्ग में गाड़ियों का आना-जाना लगभग असम्भव कार्य हो गया है, इसी प्रकार खतौली से मीरापुर जाने वाला मेरी विधान सभा के प्रमुख मार्ग की हालत दयनीय है। महोदय आपके माध्यम से मैं इन सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का अनुरोध माननीय मुख्य मंत्री जी एवं पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी से करता हूं। महोदय मेरी विधान सभा में एक 33/11 के0वी0ए0 का सब स्टेशन लम्बे समय से गांव कुतुबपुर में प्रस्तावित है जिसके निर्माण हेतु तीन बार आदेश भी किये हैं परन्तु अभी तक धन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की कृपा करें। इसी संबंध में मैं आपके माध्यम से इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री लाल बहादुर यादव--

माननीय अध्यक्ष जी आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता सदन के जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब तथा दल और पार्टी से ऊपर उठ कर आम आवाम के लिये बजट में प्राविधान किया है इसके लिये मैं नेता सदन को बधाई देता हूं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये कुछ विकास के संबंध में बात कहना चाहता हूं।

1--मेरे विधान सभा के मध्य सई नदी है। उसमें जाने में बड़ी कठिनाई होती है। कृपया विधान सभा के अन्तर्गत सई नदी के बोझवा घाट पर पुल निर्माण कराया जाय।

2--विधान सभा की सड़कें खराब हैं। कृपया मरम्मत कराई जाय।

अन्त में मैं बजट का पुन: समर्थन करते हुये बात समाप्त करता हूं।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु तथा टिकाऊ विकास हेतु यह आवश्यक है कि राज्य का विकास दर 5% या उससे अधिक हो इस बजट में यह अनुमानित है कि 2002-03 की तुलना में विकास दर 1% से बढ़ कर 2005-06 में 6% होगी यह दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी प्राप्ति से राज्य नि:संदेह एक अग्रणी राज्यों की पंक्ति में होगा।

बजट में पहली बार राजस्व घाटे को समाप्त किया गया है जो संभवत: केन्द्र द्वारा 19 हजार करोड़ योजनागत व्यय में बढ़ोत्तरी की गयी जबकि छ: हजार करोड़ की नयी योजना में लागू की गयी है। पूंजीगत कार्यों में व्यय निवेश 70% की बढ़ोत्तरी हुयी है।

इस वर्ष राजस्व धन में वृद्धि हुयी है। जो संभवत: राज्य सरकार के संसाधन जुटाने में प्रयास का परिणाम है। इस प्रकार राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिये समय पर बजट प्रस्तुत किया है। प्रशासनिक व्यय में कमी की गयी है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखा है। आधारभूत सुविधाओं पर निवेश बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में बढ़ोत्तरी की है। वृद्धावस्था पेंशन 360 करोड़ रुपये का व्यय का प्राविधान किया गया है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि को दोगुना कर 78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बजट के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है, सामाजिक सेवाओं को महत्व दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियां बजट में प्रस्तुत की गयी हैं।

मेरे क्षेत्र में भी लुम्बनी-दुद्धी मार्ग पर हाटमिक्स प्लान्ट से निर्माण शुरू है उसे जमालपुर से सन्त रविदास नगर जो प्रस्तावित है धन मिल जाय।

रामपुर-गोपालपुर मार्ग पर बसुही नदी पर पुल एवं मलेथू घाट वरुणा नदी पर पुल का निर्माण कराके लोकप्रिय बजट की सार्थकता को और बढ़ा दिया जाय अन्त में मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का तहेदिल से स्वागत कर समर्थन करता हूं।

श्री रामहेत भारती--

मान्यवर, नेता सदन द्वारा 2006-07 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्षेत्रों तथा प्रदेश के समुचित विकास तथा समाज के गरीब, कमजोर, दलितों तथा पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है। प्रदेश का बजट असंतुलित

बजट इसमें हमारे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है और न ही बजट में शामिल किया गया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि निम्नलिखित विकास कार्यों को शामिल कर बजट का प्राविधान विकास कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराया जाय।

1--इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने हेतु धन उपलब्ध करा कर शीघ्र निर्माण कराया जाये।

2--अतिमहत्वपूर्ण सीतापुर कस्ता मार्ग जो बहुत ही कम चौड़ा है अत्यन्त क्षतिग्रस्त है उक्त मार्ग को चौड़ा किया जाये।

3--हरगांव महोली रोड से गुलरिहा मंदिर तक पुख्ता पेण्टेड सम्पर्क मार्ग बनवाया जाय।

4--सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु 10 राजकीय नलकूपों का निर्माण करवाया जाय।

5--विकास खण्ड ऐलिया में जगना सम्पर्क मार्ग से दतली पिपर झला मार्ग से सहराई चकरावत सम्पर्क मार्ग के बीच के कच्चे अवशेष मार्ग को पेण्टेड किया जाय।

6--सीतापुर से बड़ा गांव झुड़ाहुसा मार्ग के बीच अवशेष कच्चे मार्ग को पेण्टेड कराया जाय।

7--कस्बा हरगांव में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के रहने के लिये राजकीय पुरुष तथा महिला छात्रावासों का निर्माण करवाया जाय।

8--ग्राम बेरिहा (ब्लाक महोली) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाय।

9--विकास खण्ड ऐलिया तथा हरगांव के मध्य सरायन नदी पर ग्राम सहरोई तथा रौना तथा ग्राम रुकनापुर व फूलपुर के मध्य एवं अक्ख्यारपुर व कुसुमी के बीच कुसुमीघाट पर रपटा पुलों काज वे का निर्माण कराया जाय।

10--हमारे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के ग्रामीण अंचल में जनहित में कम से कम 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ महोली कस्बा तथा इमलिया सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय।

11--विकास खण्ड हरगांव में ग्राम कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग से कुर्सियारी तक पुख्ता सम्पर्क पेन्टेड का निर्माण कराया जाय।

12--हरगांव कस्बा तथा मेला तीर्थ स्थल पर वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण कराया जाय।

13--टाउन एरिया महोली में महमुनियागंज, कैथा, मास्टर कालोनी महोली गांव की दलित बस्ती में आर0सी0सी0 डामर रोड, तथा नाली खड़ंजा का निर्माण करवाया जाय तथा कमजोर पिछड़े वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की व्यवस्था की जाय।

श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

मान्यवर, प्रस्तावित बजट में निम्न प्रस्ताव सम्मिलित करने का कष्ट करें। सरकार द्वारा प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के संबंध में जनपद खीरी की निम्न सड़कों को जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं को बनाये जाने हेतु सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1--निधास--पलिया मुख्य मार्ग।

2--निधासन--पचपेड़ी घाट मुख्य मार्ग।

3--पालिया--खजुरिया मुख्य मार्ग।

4--सिंगाही--तिकोनिया मुख्य मार्ग तथा पालिया-दुधवा मार्ग आदि।

मान्यवर, जनपद खीरी में राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज योजना व आदर्श जनपद योजना तथा रोजगार गारण्टी आदि योजनाओं में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 100 करोड़ से भी अधिक की धनराशि विकास कार्यों हेतु आयी है। प्रत्येक विधान सभा में विकास कार्य समान रूप से कराने हेतु प्रत्येक माननीय विधायक को बराबर-बराबर धनराशि विकास हेतु आवंटित कराने का कष्ट करें।

अन्त में अपनी बात रखने हेतु लिखित रूप से प्रस्ताव मांगा है इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

मान्यवर, जैसा नेता सदन के अनुरोध पर आपने व्यवस्था प्रदान की है सुझाव कार्यवाही में शामिल कराने के आदेश की कृपा करें।

1--पट्टी विधान सभा के ब्लाक आसपुर देवसरा में एक राजकीय डिग्री कालेज स्वीकृत करने का सुझाव।

2--राजकीय कन्या डिग्री कालेज हिदुया पट्टी एवं मगरोरा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय स्वीकृत करने का सुझाव है।

3--पट्टी विधान सभा में सायं 6 बजे से लगातार सुबह 6 बजे तक एवं दिन में 10 बजे से सायं 6 बजे तक विद्युत् आपूर्ति की जाय।

4--राजकीय हाई स्कूल भगरोरा का स्वीकृत एवं मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या 70/01 द्वारा निर्देशित है का स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

5--पट्टी विधान सभा के जिन ग्रामों में विद्युत् पोल खड़े हैं का शेष कार्य पूर्ण कराया जाय।

6--पट्टी विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, जिला पंचायत की पुराना बना सड़क का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत, पुनर्निर्माण कराया जाय।

7--पट्टी चन्दा मार्ग, काहडौर पट्टी मार्ग, पट्टी बधना मार्ग, पट्टी राजा बाजार मार्ग की चौड़ीकरण कराया जाना।

8--वर्ष 2002-03 तक पूर्वांचल निधि के राज्यांश का स्वीकृत सड़क का अवशेष धन को अवमुक्त करते हुये उसे पूर्ण कराया जाय।

9--पट्टी विधान सभा का अतिरिक्त 500 इण्डिया मार्क II हैण्ड पम्प स्वीकृत किया जाय।

श्री बैजनाथ दुबे--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट के पक्ष में समर्थन करता हूं कि जिस तरह का बजट 2006-07 का प्रस्तुत हुआ है वह गरीबों के लिये, असहायों के लिये, विद्यार्थियों के लिये, शिक्षकों के लिये, गरीब बेरोजगारों के लिये, विकलांगों के लिये हितकारी बजट है। मैं सरकार को

धन्यवाद देता हूं कि गरीब वृद्धों के लिये व विधवाओं के लिये शत प्रतिशत पेंशन की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये बालिका श्री योजना प्रारम्भ करने 2001 जमा करने 800 बचत-पत्र दिया जायेगा तमाम शिक्षण संस्थायें खोलकर सभी तरह के बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम दिया गया है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं मेरे विधान सभा में टेढ़ी नदी बहती है जो कि विभिन्न गांवों के 16 स्थानों पर काटती है जिसमें फैलाघाट, उर्दी गोण्डा के पास सुमेरवा घाट, चन्दहा नदी पर मलौना घाट, अन्जोरवा नाला, परसिया रानी के पास पेड़रवा घाट का पुल निर्माण करा दिया गया है। क्षेत्र का विकास हो सकता है तथा टेढ़ी नदी का पानी काफी क्षेत्र में फैला हुआ है जिससे काफी क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। यदि नाले को गहरा कर दिया जाय तो काफी क्षेत्र काफी खेती लायक खाली हो जायेगी। तो बेरोजगारी दूर हो जायेगी तथा मेरे क्षेत्र में करीब एक दर्जन सड़क अत्यन्त खराब दशा में है। जैसे गोण्डा कटरा मार्ग, करनैलगंज कुकुर चुकवा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण रामापुर दुबहा बाजार मार्ग, चौरी कटरा मार्ग, चौरी गद्दोपुर मार्ग से बटौरा लोहांगी मार्ग बराइच गोण्डा मार्ग से परसा मार्ग, चौरी गद्दोपुर मार्ग से परसा महेशी गुरसड़ा मार्ग, गोण्डा करनैलगंज मार्ग से पतिसा मार्ग, मैजापुर से सर्वांगपुर मार्ग।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की बड़ी कमी है। यदि सेल्हरी, अशोकपुर गुरसड़ा रायपुर आदि स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दिया जाय तो स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें हल हो जायेंगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालयों की बड़ी कमी है यदि 2 दर्जन विद्यालयों की स्थापना सर्वे कराकर करा दिया जाय तो शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा। इसी तरह यदि 12 विद्यालय जूनियर हाई स्कूल खोल दिया जाय तो बच्चियों के पढ़ने की सुविधा होगी तथा मेरे पूरे क्षेत्र में एक भी डिग्री कालेज नहीं है यदि एक डिग्री कालेज असेवित योजना में रामापुर में खोल दिया जाय तो डिग्री तक शिक्षा गरीब किसानों के लड़के भी प्राप्त कर लेंगे।

अत: मैं वर्ष 2006-07 के सामान्य बजट का समर्थन करके माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नवाब सिंह नागर--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की मांगे हल कराई जायें।

1--ग्रेटर नोयडा स्थित गौतमबुद्ध पूवा विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराया जाय।

2--डीडा प्राधिकरण की घोषणा वापिस हो। उक्त क्षेत्र को ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाये और

3--हमारे क्षेत्र बादरी में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिये (मरम्मत हेतु) कोई पैसा नहीं मिला है कृपया सड़कों को मरम्मत हेतु व्यवस्था की जाय।

श्री सुल्तान बेग--

मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का समर्थन करते हुये अपने क्षेत्र की कुछ बहुत ही प्रमुख समस्याओं का ध्यानाकर्षण करते हुये इन समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध भी करना चाहता हूं। मान्यवर, नगरिया, सोवरनी-विघरीपुर-पुनका मार्ग पर किवहना नदी पर एक पुल

बनाना नितान्त आवश्यक है ताकि तहसील मीरगंज मुख्यालय को दूर दराज के गांवों से जोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, यह पुन: मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा में भी शामिल है। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र 39 कावर और आवला तथा सन्हा विधान सभा क्षेत्र के तीनों विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने हेतु ककी घाट जहां पर पिछले दिनों एक नाव दुर्घटना में चौदह जानें चली गयी थीं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री ने लगभग तीन लाख रुपये पीड़ित परिवारों को तथा एक-एक इन्दरा देने की भी घोषणा की है। इस घाट पर राम गंगा नदी पर जब तक पक्का पुल न बन जाये तब तक पीपों का पुल बनवाने हेतु कोई न कोई व्यवस्था अवश्य कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त मेरी विधान सभा क्षेत्र से ग्राम वसयी में गांव से मन्दिर से होता हुआ धनतिया तक सड़क निर्माण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस रास्ते से मोहर्रम तथा होली और राम बारात भी निकलती है और रास्ता एक तालाब में परिवर्तित हो गया है। कारणवश क्षेत्र वासियों को अत्यधिक परेशानी हो रही है इसलिये इस सड़क को बनाने हेतु धन तत्काल किसी भी विभाग से दिला दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मीरगंज-सिरवली पर सूचानमन पुल मोड़ से दियोरिक अब्दुलागंज होता हुआ लकेड़ा दुर्गा प्रसाद तक सड़क निर्माण तत्काल कराने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त ग्राम जुन्ही में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु पर्यटन विभाग द्वारा तत्काल धन आवंटन करने की कृपा करें। चूंकि यह मामला धार्मिक आस्था का है इसलिये यह मंदिर हर हाल में ठीक होना चाहिये इसके अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी के जो घोषणायें जो 39 कावर बरेली की हैं उन्हें तत्काल धन आवंटित करा कर निर्माण कार्य कराने का कष्ट करें।

अन्त में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट जो किसानों, छात्रों, मजदूरों, गांव के गरीबों के हितों की पूरी रक्षा करता है, का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और बजट भाषण पर बोलने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शब्बीर--

मान्यवर, बजट के समर्थन में आपसे कहना चाहता हूं। जो बजट माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रस्तुत किया वह सराहनीय है, जिसमें गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति, मुसलमान, किसान व सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रक्खा है, ये बजट पूरे प्रदेश के लिये हितकर है। जिसमें व्यापारियों, छात्रों का भी ध्यान रखा है, खासकर यह बजट गांवों के लिये सर्वोत्तम है, इसके लिये मैं माननीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।

मान्यवर, कुछ समस्यायें मेरे विधान सभा क्षेत्र चदी जनपद बहराइच की हैं--

1--मान्यवर, मेरे विधान सभा में तीन विकास खण्ड हैं, जिसमें तीनों विकास खण्ड में बालिका इण्टर कालेज की नितान्त आवश्यकता है।

2--मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु सिंचाई बालुवाडीह व पटना में विद्युत् मात्र दस घण्टे मिलते हैं जिससे किसानों को समुचित सिंचाई नहीं हो पाती कृपया पूर्व की भांति इक्कीस घंटा बिजली देने की कृपा करें, जिससे किसानों की सिंचाई हो सके।

3--मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलों की नितान्त आवश्यकता है जिसमें चनैनी घाट व कुन्डा घाट, गोकुलपुर नाले व मधुवा घाट पर एक-एक पुल की नितान्त आवश्कता है।

4--मान्यवर, विकास खण्ड नवाबगंज में चालीस शय्याओं की महिला अस्पताल की नितान्त आवश्यकता है।

5--मान्यवर, रूपैडिहा व बाबागंज में जनहित में तहसील बनना नितान्त आवश्यक है, विकास खण्ड जमुवहा में तहसील हेतु पत्रावली आपके पास विचाराधीन है जिसमें आपको जमीन भी उपलब्ध हो चुकी है।

5--मान्यवर, विकास खण्ड रिसीया में शंकरपुर चौराहा में एक अस्पताल की आवश्यकता है हरदत्त नगर प्रिन्ट में एक अस्पताल की नितान्त आवश्यकता है, मिर्जापुर चौराहे पर एक महाविद्यालय खोलवाने की कृपा करें।

श्री राम मगन रावत--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2006-07 का बजट पेश किया गया है उस पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया गया है। मैं इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। यह बजट प्रदेश की जनता के लिये कल्याणकारी एवं जनोपयोगी है। वर्तमान में बजट में जो प्राविधान किया गया है निश्चित ही प्रदेश की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जैसा कि सरकार के पिछले बजट एवं कार्य पद्धति से स्पष्ट हो रहा है कि महिला जगत के संवर्धन एवं विकास हेतु कन्या विद्या धन योजना का क्रियान्वयन, उसकी संख्या में वृद्धि और नारी जगत को सम्मान का जीवन जीने हेतु स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार का ऐतिहासिक कदम है। विकलांगों, निराश्रित विधवाओं, वृद्ध किसानों की पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी, इण्टरमीडिएट तक नि:शुल्क शिक्षा, सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति, अस्पतालों में दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता, गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान, गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी, प्राइमरी शिक्षा में मिड डे मील योजना नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं ड्रेस का वितरण, शिक्षा मित्रों का चयन, नहरों की टेल तक सफाई, ड्रेनों की खुदाई, गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु सड़कों एवं पुलों का जाल बिछाकर हर चेहरे पर मुस्कान लाने का ऐतिहासिक कार्य प्रदेश में एक मिसाल है। आजादी से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किये, जितना इतने कम समय में समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किये गये हैं। प्रस्तुत बजट भी अपने नये आयामों के साथ प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेगा क्योंकि सरकार के पास तमाम उपलब्धियां हैं जिनके विषय में बयान करना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा क्योंकि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का बखान प्रदेश की जनता के मुंह से चारों तरफ सुनने को मिल रहा है :--

"प्रदेश का व्यापारी, बुनकर और किसान,
अल्पसंख्यक समुदाय, छात्र, नौजवान,
चारों तरफ कर रहे सरकार का गुणगान,
ऐतिहासिक है मा0 मुलायम सिंह जी के काम"

इसलिये आदरणीय नेता जी के द्वारा जनकल्याणकारी और लोक हितकारी बजट पेश किया गया है उस पर मैं बल देता हूं और अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के विषय में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पी0एस0यू0पी0--87 विधान सभा--12-6-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।